राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 1 विधान सभा के पंचम सत्र का ग्यारहवां दिवस संख्या 9 (अ)

वृहस्पतिवार

दिनांक 30 मार्च, 1972

विधान सभा की बैठक म. पू. 10-32 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

आय व्ययक (1972-73) का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष: वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) का उपस्थापन।

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन इस बात से भलीभांति परिचित है कि आम चुनावों के पश्चात् इस सरकार ने थोड़े दिन पहले ही कार्यभार संभाला है और राज्य का '1972-73' का बजट बनाने हेतु विचार विमर्श के लिए अभी पूरा समय नहीं मिल पाया है। तदनुसार मैं आगामी वर्ष का बजट राज्य सरकार के चालू व्यय हेतु केवल लेखानुदान प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत कर रहा हूं। गैर-आयोजना तथा आयोजना कार्यक्रम के 1972-73 के नवीन मदों से सम्बन्धित प्रस्तावों तथा अन्य प्रस्तावों के साथ में सदन में फिर उपस्थित होऊंगा।

2. बजट का वर्तमान अवसर भी विधान सभा के चुनाव के ठीक बाद में ही होने के कारण एक विशेष महत्व रखता है। हाल ही की राजनीतिक घटनाओं ने, जिनके कारण हमारे उप महाद्वीप का इतिहास और भूगोल दोनों बदल गए हैं, हमारे सम्मुख नई चुनौतियां पेश की हैं जिनका मुकाबला करने के लिये हमें अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रयासों में प्राथमिकताओं का पुनर्विलोकन करना होगा। चुनावों के माध्यम से जनता ने जनतान्त्रिक तथा शान्तिपूर्ण तरीकों से सामाजिक क्रान्ति में गहन आस्था प्रकट की है और दुनियां को अपने परिपक्व विचारों का सबूत दिया है। राष्ट्र के मूलभूत सिद्धान्तों; लोकतन्त्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता में अपना दृढ विश्वास प्रकट करते हुए जनता ने सामन्तशाही तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों को निर्मूल सा कर दिया है। जनता का यह प्रबल आवेश सरकार पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व डालता है और आज ही सरकार जनतान्त्रिक तथा शान्तिपूर्ण तरीकों से सामाजिक क्रान्ति के लिए वचनबद्ध है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार का कार्यक्रम हम जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व व मार्ग दर्शन में पूर्ण करने की ओर अग्रसर ही नहीं बल्कि सक्षम भी होंगे।

Page No. 2

(श्री चन्दनमल बैद)

3. राज्य में 1968-69 तथा 1969-70 के भीषण सूखे के शेष चिन्ह अभी भी पूर्णतः नहीं मिटे हैं और इस वर्ष भी राज्य के कुछ भागों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। फलस्वरूप कुछ जिलों में अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। दूसरी ओर राज्य के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा के कारण भीषण बाढ़ें आई जिससे फसलों व सम्पत्ति को अत्यधिक हानि हुई। इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य की सहायता करने हेतु भारत सरकार से निवेदन किया गया था। भारत सरकार ने बाढ़ से हुई हानियों की पूर्ति हेतु 2.36 (करोड़) रुपये तक की राशि स्वीकृत की है।

4. राजस्थान राज्य की बहुत बड़ी सीमा पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। उस देश के साथ हुए हाल ही के संघर्ष के कारण युद्ध की कार्यवाहियों को सुचारु रूप से संचालन हेतु राज्य को कई प्रकार से अधिक व्यय करना पड़ा। इन सारी बातों की प्रतिछाया चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों पर पड़ी है जिससे हमें अतिरिक्त घाटे का सामना करना पड़ा है।

संशोधित अनुमान

1971-72

5. अब मैं वित्तीय वर्ष 1971-72 के संशोधित अनुमानों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों का विवरण इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	आयव्ययक अनुमान 1971-72	संशोधित अनुमान 1971-72
राजस्व लेखे से प्राप्तियां	187.61	193.42
राजस्व लेखे में व्यय	197.28	209.44
राजस्व घाटा	-9.67	-16.02
पूंजी लेखे में प्राप्तियां (लोक लेखा को सम्मिलित करते हुए)	174.81	331.01
पूंजी लेखे में व्यय	189.05	328.74
पूंजी लेखा	-14.24 का घाटा	+2.27 की बचत
कुल बजट का घाटा	-23.91	-13.75

Page No. 3

(श्री चन्दनमल वैद)

गत बजट में कुल घाटा 25.51 (करोड़) रु. का दर्शाया गया था। पिछले भाषण में 1.60 (करोड़) रु. के अतिरिक्त साधनों की भी घोषणा की गई थी जिससे घाटा 23.91 (करोड़) रु. ही रहा। आयोजना सम्बन्धी 30.00 लाख के अतिरिक्त खर्च की जो घोषणा की गई उसे सम्मिलित करते हुए बजट का घाटा 24.21 (करोड़) रु. का रहा जिसमें आयोजना का घाटा 1.48 (करोड़) रु. और गैर आयोजना का घाटा 22.73 (करोड़) रु. था।

6. संशोधित अनुमानों में बतलाया गया 13.75 (करोड़) रु. का घाटा केन्द्रीय सरकार से 24.51 (करोड़) रु. के विशेष ऋण को हिसाब में लेने के पश्चात् रहा है। अतः घाटे की उचित तुलना करने के लिए यह आवश्यक है कि संशोधित घाटे की रकम 13.75 (करोड़) रु. में 24.51 (करोड़) रु. भी जोड़े जाएं। इस प्रकार स्पष्ट है कि बजट के 24.21 (करोड़) रु. के घाटे की तुलना में संशोधित अनुमानों में 38.26 (करोड़) रु. का घाटा रहा अर्थात् आयोजना का घाटा 3.13 (करोड़) रु. व गैर आयोजना का घाटा 35.13 (करोड़) रु. हुआ। बाढ़ पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय की पूर्ति केन्द्रीय सहायता से की गई है, परन्तु अकाल की पिछली देनदारियों की पूर्ति हेतु अकाल पर होने वाले व्यय से 76.00 लाख रु. की कमी रहेगी। 1.25 (करोड़) रु. का महत्वपूर्ण व्यय राज्य कर्मचारियों को अतिरिक्त तदर्थ सहायता से सम्बन्धित है। इसके अलावा सीमाओं पर युद्ध के कारण विभिन्न विभागों में भी अतिरिक्त व्यय हुआ है। स्वायत्त संस्थाओं द्वारा अपनी जमा रकमों के वापस ले लेने के कारण भी बजट में घाटे की वृद्धि हुई है।

बजट अनुमान

1972-73

7. मैं अब बजट अनुमान 1972-73 के प्रमुख मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। चालू खर्चों के अनुसार आय-व्ययक अनुमान निम्न प्रकार हैं:—

राजस्व लेखे से प्राप्तियां	207.80	(करोड़) रु.
राजस्व लेखे में व्यय	219.94	,,
राजस्व घाटा	-12.14	,,
पूंजी लेखे में प्राप्तियां (लोक लेखा को सम्मिलित करते हुए)	322.52	,,
पूंजी लेखे में व्यय	333.94	,,
पूंजी लेखे में घाटा	-11.42	,,
कुल बजट का घाटा	-23.56	,,

Page No. 4

(श्री चन्दनमल बैद)

8. यहां यह बताना उचित होगा कि यह घाटा खर्च के दो मुख्य मदों आयोजना व गैर आयोजना में बंटा हुआ है। इस वर्ष की आयोजना के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता, राज्य सरकार द्वारा जुटाये हुए साधन व अन्य साधन सब मिलाकर 62.06 (करोड़) होते हैं। अभी केवल चालू स्कीमों के खर्च ही आयोजना बजट में सम्मिलित किये गये हैं। ऐसी स्कीमों पर कुल खर्चा 57.98 (करोड़) रु. अनुमानित है जिससे आयोजना के मद में 4.08 (करोड़) की बचत रह जाती है। यह बचत किस प्रकार खर्च की जावेगी व आयोजना के अन्य प्रस्ताव व साधन क्या होंगे यह सदन के सामने फिर प्रस्तुत किये जायेंगे। उपरोक्त बचत को अलग करने पर गैर आयोजना बजट कुल मिलाकर 27.64 (करोड़) रु. का घाटा होता है। इस घाटे में बाद में आने वाले प्रस्तावों से जो परिवर्तन होंगे उनसे भी सदन को अवगत करा दिया जावेगा।

9. श्रीमान् इन शब्दों के साथ मैं 1972-73 के आय-व्ययक अनुमान सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य के विस्तृत वित्तीय विवरण (आय-व्ययक), 1972-73 का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 30 मार्च, 72 के 11-30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही 10 बज कर 40 मिनिट पर मध्याह्न पूर्व 11-30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

[illegible]स्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 1] [illegible] [संख्या 9

बृहस्पतिवार, दिनांक 30 मार्च (ब) 1972

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.35 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[अकाल सहायता, समाज कल्याण, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, विकास, विद्युत, उपनिवेशन, सिंचाई विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री भीमसेन !

बीकानेर जिले के अभावग्रस्त ग्राम

1. **श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :** क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के काफी गाँव इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण अभावग्रस्त हैं ? अगर हां, तो इन गांवों को अब तक अभावग्रस्त घोषित क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त अभावग्रस्त गांवों के लोग बड़ी तकलीफ में हैं ?

(3) क्या सरकार ऐसे अभावग्रस्त गांवों के लोगों को मजदूरी देने एवं पेय जल हेतु सहायता देने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री ओंकार-लाल) : (1) बीकानेर जिले में इस वर्ष 415 गांवों में अभाव की स्थिति है। इन गांवों को दिनांक 10-2-72 को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जिले में राजस्थान नहर परियोजना, क्रेश स्कीम तथा अकाल प्रभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कामों पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। अतः वहां मजदूरी उपलब्ध हो सकती है। इसलिए सरकार सहायता कार्य खोलने का वर्तमान में कोई विचार अभी नहीं रखती है। पेयजल व्यवस्था हेतु जिलाधीश की मांग के अनुसार आवश्यक व्यवस्था हेतु स्वीकृति दे दी गई है।

श्री भीमसेन : यह पेय जल व्यवस्था हेतु कितनी राशि अभी तक स्वीकृत की है ? (विराम) और क्या सरकार को मालूम है कि मजदूरी के अभाव में और

(श्री भीमसेन)
पेय जल की व्यवस्था न होने के कारण कई गांव खाली हो चुके हैं ?

श्री ओंकारलाल : ऐसी सूचना नहीं आई है कि कोई गांव खाली हो चुका है।

श्री भीमसेन : मैं सूचना दे रहा हूं। मेरे क्षेत्र के दस-बारह गांव, जिनका नाम उल्लेख नहीं करना चाहता, अभी खाली हुए हैं वहां पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण और मजदूरी नहीं मिलने के कारण। यह व्यवस्था के लिए गंगानगर, पंजाब और हरियाणा में जाकर रह रहे हैं।

श्री ओंकारलाल : यदि ऐसी स्थिति है और इस प्रकार की जानकारी आये तो उसके सम्बन्ध में उचित जानकारी की जायगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : आपने कितने गांवों में पेय जल, पानी पहुंचाया है लूणकरणसर के गांवों में ?

श्री भीमसेन : किसी में भी नहीं पहुंचाया है। एक में भी नहीं पहुंचाया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह बतायें कि कितनों में पहुंचाया है ••

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एक मिनिट, उत्तर आने दीजिये।

श्री ओंकारलाल : नल कूप चला कर 31-7-72 तक पानी पहुंचाना है तहसील कोलायत के पांच गांवों में भीखमपुर, रणजीतपुरा, बरसलपुर, गोड्डू व बज्जू में। तहसील बीकानेर में एक गांव में, मोतोगढ़ में लूणकरणसर में तीन गांवों में महाजन, लूणकरणसर, कानोलाई इस प्रकार कुल नौ गांवों में पहुंचा रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह गलत सूचना है, रणजीतपुरा में ट्यूब वैल काम कर रहा है, पाँच साल, दस साल से। मेरा प्रश्न है कि अकाल के दिनों में कितने गांवों में पेय जल की व्यवस्था की है ?

श्री भीमसेन : महाजन की असत्य बात है, एक में भी नहीं पहुंचाया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं आपको सूचना दूं कि अनूपगढ़ तहसील में साढ़े चार हजार वोट लूणकरणसर के बैठे हैं, अकाल के कारण आप कहते हैं कि गांव खाली नहीं हुए हैं, जब कि साढ़े चार हजार का मतलब नौ हजार ऐसे आदमी आये हैं क्योंकि उस क्षेत्र में पानी का संकट हो गया है।

श्री ओंकारलाल : इसी प्रकार टैंकर्स से जल परिवहन दिनांक 30-6-72 तक होगा, कोलायत के चार गावों में बज्जू, मिठडिया, बोडायत, बांगड़सर, बीकानेर के दस गांवों में लाखूसर, मनावतवाला, सुरासर, रामड़ा, बराला, बरजू, करणीसर भाटियान, रामसरपूगल, बान्दर वाला और थारूसर।

श्री भीमसेन : यह सूचना दी जा रही है, असत्य है, किसी गांव में लूणकरणसर में व्यवस्था नहीं है। एक गांव में भी व्यवस्था नहीं की है। आप कह रहे हैं उसमें से एक गांव में भी टैंकर चालू नहीं किये हैं।

Page No. 7

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कहा, वह सूचना सही है यह आप वेरीफाई कर लीजिये ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है उससे निराशा हो रही है । मैं बीकानेर जिले से कल ही आ रहा हूं । मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि किसी भी गांव में आज तक सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं हुई है । अगर आपको कहना है तो सत्य रूप से कहना चाहिए । मन्त्री महोदय ने कहा है कि 400 गांवों में अकाल की स्थिति है और आज तक राज्य सरकार ने सहायता देने का विचार नहीं किया उससे भारी निराशा हुई····

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं । प्रश्न पूछें ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जल्दी से जल्दी राहत कार्य चालू करायें ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : जो प्रश्न संख्या 7 में मुझे सूचना मिली है, उससे स्पष्ट है कि 28-3-72 तक जो गांव अभावग्रस्त थे उनको घोषित किया गया है । तब बाद में पानी सप्लाई करने का प्रश्न नहीं उठता । इसलिए इस बारे में स्पष्टीकरण मन्त्री महोदय करें तो अच्छा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : स्थिति भयंकर है । गांव के गांव खाली हो गए । किसी गांव में पेय जल की व्यवस्था नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं मन्त्री महोदय के स्टेटमैन्ट को चैलेन्ज करता हूं, वह असत्य है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें ।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलुम्बर) : जांच कराने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इस सदन में गलत सूचना देते हैं ।

श्री ओंकारलाल : इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए गए हैं कलेक्टर के द्वारा अगर इस प्रकार की शिकायत है तो जांच की जाएगी ।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

(अश्रव्य)

श्री भीमसेन : आपको मजदूरी की व्यवस्था करनी चाहिए····

श्री अध्यक्ष : एक-एक ।

श्री रोशनलाल शर्मा : अकाल क्षेत्र 28-3-72 को इतनी देरी से क्यों घोषित किया है जब आप जानते थे कि गांव के गांव खाली हो गए हैं । सरकार ने इतने महत्वपूर्ण कार्य में ढिलाई क्यों बर्ती ?

श्री ओंकारलाल : इस प्रकार के आदेश जारी हो चुके हैं । गजट में नोटिफिकेशन हुआ है जयपुर, 10 फरवरी, 1972 राजस्थान सस्पेन्शन एण्ड रेमिशन ऑफ लैण्ड रेवेन्यू । मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई बात रह गई है या इस प्रकार की कमी रह गई है तो पूरी जांच की जायेगी ।

श्री भीमसेन : यह मजदूरों के पानी और रोटी का सवाल है । जांच करने से उनका पेट नहीं भरता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ब्यूरोक्रेसी की आदत है ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आप जो अभावग्रस्त की बात बता रहे हैं, कलेक्टर की रिपोर्ट कब प्राप्त हुई ?

श्री अध्यक्ष : समाज कल्याण मन्त्री ।

गाँधी शताब्दी वर्ष में व्यय की गई राशि

2. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गांधी शताब्दी वर्ष में जयपुर में किन किन कार्यों के लिये कितनी राशि दी गई ? क्या उस राशि का उपयोग कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मन्त्री (**श्री ओंकारलाल**) : गांधी जन्म शताब्दी वर्ष में जयपुर में जिन जिन कार्यों के लिये जितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा उपयोग में लाई गई उनकी विगत संलग्न सूची में अंकित की गई है । शेष राशि के अब तक उपयोग में नहीं लेने का कारण भी सूची में प्रत्येक आइटम के आगे अंकित कर दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री श्रीराम गोटेवाला : लगभग 23 लाख रुपये की राशि गांधी शताब्दी वर्ष में दी गई उसमें से सिर्फ 5 लाख रुपये खर्च हुए । मैं माननीय अध्यक्षजी आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि जो 4 लाख रुपये ह्वीकल्स के लिए दिये गये जयपुर नगर परिषद् को, उसमें से मुझे बताया गया है कि लगभग 1.60 लाख खर्च हुये हैं और जो जवाब दिया गया है उसमें कहा गया है कि टेम्पो और ट्रैक्टर्स आदि न मिलने के कारण राशि का उपयोग नहीं हो सका । यह बात बिल्कुल गलत है । कोई टेम्पो और ट्रैक्टर की बात नहीं थी । केवल 5 स्कूटरों की बात थी । 5 स्कूटर दे दिये गये लेकिन बाकी राशि ह्वील बरोज के लिये थी, वह प्रशासनिक ढिलाई के कारण नहीं दी गई । क्या यह सही है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सूचना गलत है ।

श्री ओंकारलाल : यह जो 4 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई उसमें से 1 60,254) म्युनिसिपैलिटी द्वारा खर्च की गई है । यह सारी जिम्मेदारी नगर परिषद् की थी । उनको चाहिए था कि समय रहते टेम्पो और स्कूटर्स के लिए धनराशि खर्च करते । हमारे यहां से स्वीकृति 4 लाख रुपये की थी; उनका काम था कि वह खर्च करते ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मंत्री महोदय सदन को गलत सूचना दे रहे हैं । जो

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
4 लाख रुपए की राशि दी गई थी ट्रैक्टरों के लिए नहीं थी। फिर मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि सदन को सही जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष : जो उनके पास थी, वह दे दी।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या नगर परिषद् की ही जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जांच करवा लें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : रुपया लेप्स हुआ, क्या हुआ ?

श्री ओंकारलाल : जो मेरे पास जानकारी है उसके आधार पर कह रहा हूं। अगर सूचना सही नहीं है तो जांच करा लेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 1.60 लाख की बात तो हो गई। इसके अन्दर 2.40 लाख बचते हैं। क्या मंत्री महोदय सदन को आश्वासन देने को तैयार हैं कि इसके लिए जयपुर नगर परिषद् को ट्रैक्टर्स वगैरह खरीदने की इजाजत दी जाएगी।

श्री ओंकारलाल : आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : आवश्यक कार्यवाही क्या होती है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : गलती तो वास्तव में राज्य सरकार की थी नगर परिषद् की नहीं। तो क्या यह राशि जो शेष बची है इसको 31-3-72 को लेप्स न मानकर आगामी वर्ष में उसका उपयोग किया जा सकेगा ?

दूसरी बात, यह जो उपयोग में नहीं ली गई राशि, इसमें राज्य सरकार दोषी है और राज्य सरकार ने जान बूझ कर जयपुर नगर परिषद् के साथ सौतेला व्यवहार किया है, क्या मेरा प्रश्न सही है ?

श्री ओंकारलाल : मैं नहीं मानता कि सौतेला व्यवहार हुआ है लेकिन जो राशि खर्च नहीं हुई है उसके लिए प्रोपोजल्स हैं जून तक इसकी अवधि बढ़ा दी जाए और यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसके साथ में जो विगत दी गई है उसके अनुसार बताया है कि कच्चे और सूखे शौचालयों को फ्लश लेट्रिन्स में परिवर्तित करने के लिये 3 लाख रुपये की राशि दी गई है और उन्होंने बताया है कि 3 लाख में से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। जयपुर शहर में गन्दगी की स्थिति है। मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस 3 लाख रुपए की राशि को अब निश्चित तिथि तय करके आप उपयोग करवाने की बात करें।

श्री ओंकारलाल : विचार किया जा सकता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह जो विचार किए जाने वाली बात है, तीन वर्ष हो गए और पड़ी हुई हैं 3 लाख रुपए की राशि……

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कच्चे और सूखे शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तित करने हेतु 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई। उसमें 69,205) खर्च हुए हैं ....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा जून तक अवधि बढ़ाने की सोच रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक आइटम के लिए बढ़ाने की बात कही है। राज्य सरकार ने 9 लाख रुपए दिए। 4 लाख यांत्रिक गाड़ियों को खरीदने के लिए। यांत्रिक शब्द की परिभाषा नहीं की गई। नगर परिषद् बार बार लिखती रही। ये 4 लाख रुपये राज्य सरकार की लापरवाही के कारण पड़े रहे। इस प्रकार 3 लाख रुपए प्राईवेट लैट्रिन्स को फ्लश में परिवर्तित करने के लिए जयपुर की जनता को 300) अनुदान के रूप में एक एक को दिया जाएगा लेकिन पद्धति ऐसी बनाई कि समाज कल्याण विभाग का संचालक बैठेगा, कलेक्टर बैठेगा, कमिश्नर बैठेगा, उसकी पेचीदगियों के कारण नहीं हुआ है। मेरी जानकारी के आधार पर 3 लाख में से केवल 2400) बांटे हैं। इस प्रकार जो कच्ची बस्तियों में शौचालय हैं उनको फ्लश में बदलने के लिए जो 2 लाख रुपए दिए, उसके लिए नगर परिषद् ने आपके पास एक योजना भेजी लेकिन आज तक सरकार ने स्वीकृत करके नहीं भेजी। सरकार की गलती के कारण 9 लाख रुपए नगर परिषद् में ज्यों के त्यों पड़े रहे, जयपुर शहर की हालत खराब है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कच्ची बस्तियों के लेट्रिन्स को फ्लश में बदलने के लिए....

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेन्ट्री सवाल पूछें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिन 9 लाख रुपए का उपयोग नहीं हो सका, उसकी अवधि जून तक न बढ़ाकर मार्च, 1973 तक बढ़ा दी जाए। एक वर्ष का पूरा समय दिया जाए ताकि जयपुर शहर का विकास हो सके और उसकी उन्नति हो सके।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह अवधि केवल जयपुर नगर परिषद् के लिए ही बढ़ाई जा रही है या बीकानेर नगर परिषद् के लिए भी बढ़ाई जा रही है?

श्री मानकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व): मेरा निवेदन है कि मैं अनुभव की बात....

श्री अध्यक्ष : अनुभव नहीं।

श्री मानकचन्द सोगानी : जून तक काफी नहीं होगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुझे जो विगत दी गई है उसमें 9 लाख रुपये....

श्री अध्यक्ष : आपने तीन बार पूछा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न मेरा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मार्च, 1973 तक खर्च करने के लिए समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : कह चुके हैं।

श्री ओंकारलाल : माननीय सदस्य ने जो बात बताई और राज्य सरकार की ओर से भी कहा गया है, मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार की कोई

(श्री ओंकारलाल)
गल्ती नहीं हुई है। यह जिम्मेदारी नगर परिषद् की थी। जब सरकार की ओर से रुपया दिया गया तो नगर परिषद् का काम था कि वह यूटीलाइज करे। उनको फ्लश लैट्रिन्स के लिए यूटीलाइज करना चाहिए था, आप जबरदस्ती राज्य सरकार को....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा आरोप सही है। मन्त्री महोदय नए आए हैं, शायद उनको इस बात का पता नहीं।

श्री ओंकारलाल : मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, कि जो जानकारी मेरे पास थी वह मैंने दे दी है। इसके अलावा कोई जानकारी अगर माननीय सदस्य चाहें तो उसके लिए अलग से प्रश्न पूछें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो सवाल का जवाब दिया है उसमें जो अवधि बढ़ायी गयी है। वह अलग अलग नहीं बढ़ायी गयी है। ऐसी दशा में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप एक विगत को बार बार पूछ रहे हैं। सवाल का जवाब दिया जा चुका है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में यह जानकारी चाहता हूं कि क्या यह सभी जगहों के लिये किया गया है।

श्री ओंकारलाल : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल यहां सदन में पैदा हुआ है उसके बारे में यह जवाब दिया गया है। हमने यह बताया है कि जो भी पैसा, धनराशि जो कि म्यूनिसपैलिटि, जयपुर खर्च नहीं कर सकी है किसी कारणवश उसकी अवधि जून तक बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है। और आगे भी विश्वास दिलाता हूं माननीय सदस्य को कि राज्य सरकार का यह ध्येय है कि जो राशि सैंक्शन हुई है उसमें अधिक से अधिक राशि जयपुर नगरपालिका के काम आये। और इसके आगे भी जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार इस बारे में सोच सकती है।

श्री अध्यक्ष : क्लोज। प्रश्न संख्या 3 श्री खेतसिंह !

श्री रोशनलाल शर्मा (सलुम्बर) : अध्यक्ष महोदय मेरा यह प्रश्न है इसमें कि क्या मन्त्री महोदय ने जो जून तक नगर परिषद्, जयपुर को धनराशि खर्च करने की अवधि बढ़ायी है, क्या वह सभी नगरपालिकाओं के लिये है ?

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न क्लोज हो चुका है। श्री खेतसिंह। प्रश्न संख्या 3।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 4। श्री गोपाल जोशी।

बीकानेर शहर में रेल लाइन से यातायात में असुविधा

4. **श्री गोपाल जोशी** (बीकानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर के बीचोंबीच कई रेल्वे समतल पारण द्वार (रेल्वे क्रासिंग गेट्स) हैं ?

(2) क्या इन फाटकों के बार बार दिन में कई बार बन्द होने से वहां

(श्री गोपाल जोशी)
की जनता को यातायात में अत्यधिक कष्ट, यातना व कार्य में विलम्ब होता है ?

(3) यदि हां, तो सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु पूर्व में क्या कदम उठाये हैं व भविष्य में इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि बीकानेर की जनता ने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को इस समस्या के समाधान हेतु बार बार प्रार्थना की है ? यदि हां, तो इस पर क्या कदम उठाये गये हैं ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) अण्डर ब्रिज एवं ओवर ब्रिज बनाने हेतु उत्तरी रेल्वे से पत्र-व्यवहार किया जाता रहा है ।

(4) जी हां हॉस्पीटल, बीकानेर के निकट बने क्रोसिंग को अण्डर ब्रिज बनाने हेतु चौथी पंचवर्षीय योजना में हाथ में ले लिया जाय यह विचार चल रहा है ।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : क्या रेल्वे मन्त्रालय से कोई प्रस्ताव इस बारे में आया है ।

श्री हरिदेव जोशी : पत्र-व्यवहार चल रहा है ।

श्री गोपाल जोशी : क्या इसके लिए केन्द्रीय सरकार कुछ धनराशि राज्य सरकार को देने को तैयार है ? या पूरी धनराशि इसके लिये देने को तैयार है ।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा ना कि पत्र-व्यवहार चल रहा है इस बारे में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच में ।

श्री गोपाल जोशी : इसको चलते हुए कितना अर्सा हो गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : काफी लम्बा समय हो गया है ।

श्री गोपाल जोशी : तो यह काम कब तक हो जायेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : इसके लिये अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता । राज्य सरकार के प्रयत्न जारी हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह काफी समय से चल रहा है । सन् 62 से चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने बताया ना कि प्रयत्न किया जा रहा है । जल्दी ही हो जायेगा । नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, जल्दी हो जायेगा ये तो कोई जबाव नहीं हुआ । कोई निर्धारित अवधि बतायी जाय । कोई कॉन्क्रीटली अवधि बतायी जाय कि इतने समय से चल रहा है ।

श्री गोपाल जोशी : क्या मंत्री महोदय यह बता सकेंगे कि ये कौनसी तारीख से चल रहा है ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास अभी इसके फैक्ट्स फिगर्स नहीं हैं कि कौन सी तारीख से चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 5 ।

(श्री अध्यक्ष)
श्री निरञ्जननाथ आचार्य ?

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 6। श्री गुरदयालसिंह सन्धु।

माफीदारों को भूमि पर खातेदारी अधिकार

6. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करनपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मुख्य मन्त्री के दिनांक 25 मार्च, 1970 को जिला गंगानगर के किसानों को दिये गये आश्वासन के अन्तर्गत कि गुरुद्वारों की भूमि संस्था के नाम पर व माफी की भूमि माफीदारों के नाम पर मुफ्त खातेदारी दी जायेगी के अनुसार कितने गुरुद्वारों व माफीदारों को खातेदारी दी जा चुकी है और कितनों को देनी बाकी है ?

(ख) आज तक खातेदारी हक न दिये जाने का क्या कारण है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) 197 धार्मिक संस्थानों को तथा 1956 माफीदारों को खातेदारी दी जा चुकी है। 119 धार्मिक संस्थानों को एवं 459 माफीदारों के मामले विचाराधीन हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मेरा प्रश्न है कि कितने गुरुद्वारों को दो जा चुकी है और कितने माफीदारों को दी जा चुकी है। और अब कितने बाकी हैं। उन्हें कब तक दे दी जायेगी। और वो अब तक, क्यों नहीं दी गयी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो बचे हैं उनका प्रश्न विचाराधीन है, जल्दी से जल्दी फैसला कर दिया जायेगा।

श्री गुरदयालसिंह संधु : क्या उन्हें भी खातेदारी हक दिया जायेगा। और कुल कितने है। कितनी एप्लीकेशन्स आयीं....

श्री रामचन्द्र चौधरी : कुल संख्या 2,761 थी जिसमें से कुल संख्या 1,956 को माफीदारी दी जा चुकी है। कुल दरख्वास्त खारिज 346 थी और विचाराधीन मामले 459 हैं।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं तो धार्मिक संस्थानों की बात कर रहा हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : 20-3-72 तक धार्मिक संस्थानों को 465 अर्जी आयी और 197 को खातेदारी दी जा चुकी है। इसमें 149 प्रार्थना-पत्र खारीज कर दिये और 119 के विचाराधीन हैं।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं पूछ रहा हूं कितने को और खातेदारी देना बाकी है और कितनी कितनी जमीन दी जायेगी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने बता दिया कि 197 को खातेदारी दी गई है....

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं तो कह रहा हूं कि धार्मिक संस्थाओं को कितनी कितनी भूमि दी गई है और कहां कहां दी गई है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ये हर एक की फेहरिस्त मेरे पास नहीं है, धार्मिक संस्थाओं को हर एक को कहां कहां जमीन दी गई है। यह अभी नहीं बता सकता।

Page No. 14

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : यह इसलिए पूछा गया है कि बड़े गुरुद्वारों की भूमि और माफी की भूमि माफीदारों को जो खातेदारी दी गई है वह दोनों अलग अलग चीज है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। इसके लिये अलग प्रश्न करें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसके लिये अलग से सूचना मांगें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह तो माननीय अध्यक्ष पूछना चाहते हैं कि गुरुद्वारों की जो धार्मिक ग्रन्थियां हैं उन्हें कितनी मिली और दूसरे धार्मिक संस्थानों की कितनी जमीन मिली.......

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह दोनों को मिलाकर दी गई है। अलग अलग नहीं है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैंने तो गुरुद्वारों के बारे में पूछा है धार्मिक ग्रन्थियों के बारे में नहीं पूछा है। हर एक गुरुद्वारों को कितनी कितनी और कब मिली है....

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसकी जानकारी अलग से लेकर दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 7। श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

राज्य के अभावग्रस्त ग्राम

7. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) :—क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के किस किस जिले के कितने गांवों को इस वर्ष सरकार ने कब से अभावग्रस्त घोषित किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने को कृपा करें।

(2) राज्य सरकार बाड़मेर एवं अन्य जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में कहां कहां क्या क्या राहत कार्य खोल कर जनता को किस प्रकार राहत पहुंचा रही है ?

(3) राज्य सरकार आने वाले गर्मी के कठिन दिनों में क्या राहत कार्य खोलने का कार्यक्रम बना रही है ?

अकाल राहत मंत्री (श्री ओंकारलाल): (1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) राज्य सरकार द्वारा अभी बाड़मेर या अन्य किसी जिले में कोई राहत कार्य नहीं चलाये जा रहे हैं। प्रभावित लोगों को क्रेश योजना, क्षेत्रीय अकाल प्रभावित कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे कार्यों पर, रोजगार उपलब्ध है।

(3) फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार ने क्रेश प्रोग्राम, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए लागू की गई है इसके अन्तर्गत तो एक जिले में एक हजार व्यक्तियों को ही रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके अलावा दूसरे जो रूरल वर्क्स प्रोग्राम हैं उनकी अभी तक कईयों की तो सेंक्शन्स ही नहीं आई हैं तो मैं समझता हूं कि एक जिले में जनसंख्या करीब दो तीन लाख से ऊपर जायेगी। आज बाड़मेर के क्षेत्र में हमेशा से अकाल रहा है वहां पर

Page No. 15

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
गांवों की संख्या 310 है और जनता भी वहां पर करीब 3 लाख है। हर गांव अकालग्रस्त क्षेत्र से प्रभावित है वहां पर आपका जो यह क्रेश प्रोग्राम है जो एक जिले में एक हजार व्यक्तियों को काम देता है बाकी को क्या होगा। और जो रूरल वर्क्स प्रोग्राम हैं वो शुरू नहीं हुए हैं।

श्री ओंकारलाल : 310 जो गांव हैं उनमें पहले भी अकाल राहत कार्य हुए। इधर क्रेश प्रोग्राम की योजना चल रही है और जो रूरल वर्क्स हैं वह प्रोग्राम भी जल्दी चलने वाले है। उन्हें भी जल्दी चालू कर दिया जावेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अगर इनको भी एम्प्लॉय कर लेगें तब भी तीन लाख जनता के लिए दो हजार एम्प्लॉयमेंट से क्या काम चलेगा? इसके लिये तो आपको अकाल राहत कार्य खोलने पड़ेंगे। इसके लिये आपने क्या सोचा है?

श्री ओंकारलाल चौहान : अगर जरूरत पड़ी तो खोले जावेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जरूरत अभी नहीं तो फिर कब पड़ेगी। मार्च में फेमीन डिक्लेअर हो गया ऐसी सूरत में अभी तुरन्त नहीं खोलेंगे तो क्या उनके मरने के बाद खोलेंगे?

श्री ओंकारलाल चौहान : डिले हमारे यहां से नहीं हुई है। रिपोर्ट आने में देरी हुई है। जैसे ही आई हमने अकाल राहत एरिया घोषित किया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अब अकाल राहत कार्य खोलेंगे या नहीं?

श्री ओंकारलाल चौहान : अवश्य खोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : जल्दी खोलें, नहीं तो गरीबी मिटाने में गरीब नहीं मर जावें।

एक माननीय सदस्य : ये मिनिस्टर को दबा रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हां, मैं दबा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या माननीय सदस्य इसके लिए आज्ञा देंगे?

श्री अध्यक्ष : यहां से डायरेक्शन्स थोड़े ही दिये जा सकते हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कुछ तो ऐसा जवाब दें कि जिससे सन्तोष हो।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं माननीय सदस्यों की व्यग्रता और चिन्ता को समझ रहा हूं। जो जानकारी उन्होंने दी है उस पर पूरा पूरा विचार किया जावेगा।

श्री रोशनलाल शर्मा : क्या विचार किया जावेगा।

एक माननीय सदस्य : जो काम पिछले अकाल राहत के समय के अधूरे पड़े हैं क्या वे पूरे किये जावेंगे?

श्री ओंकारलाल चौहान : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रोशनलाल शर्मा : जिन क्षेत्रों को अकाल राहत क्षेत्र घोषित किया गया है क्या वहां अकाल राहत के काम चलाना सरकार आवश्यक नहीं मानती?

Page No. 16

श्री ओंकारलाल चौहान : आवश्यक मानती है।

श्री रोशनलाल शर्मा : तो फिर कब शुरू करेगी वे काम सरकार।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैंने निवेदन किया कि आवश्यक काम अवश्य होंगे।

श्री रोशनलाल शर्मा : कोई योजना आ गई है क्या कलेक्टर के यहां से ?

श्री ओंकारलाल चौहान : इस प्रकार की रिपोर्ट आई नहीं है।

श्री रोशनलाल शर्मा : वह कब तक मांग लेंगे आप अब ? और अब कब तक उसके आने की आशा की जा सकती है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : जल्दी से जल्दी मांग ली जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 8।

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : यह प्रश्न पंचायत से ताल्लुक रखता है इसलिये पंचायत विभाग को भेज दिया गया है।

भूमिहीनों को भूमि का आवंटन

9. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सन् 71-72 में भू-आवंटन समिति की ओर से लूणकरणसर एवं बीकानेर राजस्व तहसीलों में भूमिहीनों को भू-आवंटन किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त समिति द्वारा गांव लाखनसर, किस्तूरिया, सुई, जैतपुर आदि गांवों के काश्तकारों को भू-आवंटन के पट्टे जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(3) सरकार उपरोक्त गांवों के भू-आवंटन हेतु पट्टे कब तक जारी करा देगी?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां।

(2) तहसील लूणकरणसर के ग्राम लाखनसर, किस्तूरिया, सुई, जैतपुर में भूमि आवंटन में अनियमितताओं की शिकायतें प्रमुख, प्रधान आदि द्वारा प्रस्तुत होने पर इन गांवों के पट्टे कार्यालय (कलेक्टर) आदेश क्रमांक 2217/2218, दिनांक 4-9-71 द्वारा रोके गये हैं। इन मामलों की जांच उप जिला विकास अधिकारी, बीकानेर के यहां चल रही है।

(3) उपरोक्त गांवों के भूमि आवंटन सम्बन्धी मामलों की जांच अप्रेल, 1972 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है तथा जांच के बाद ही जैसी भी स्थिति होगी पट्टे वितरण सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करा दी जावेगी।

श्री भीमसेन : यह जो शिकायत बता रहे हैं कि प्रधान और प्रमुख ने की, क्या यह सही है। ये प्रधान, प्रमुख समिति की बैठक में स्वयं मौजूद थे और वहां उन्होंने कोई ऐतराज नहीं किया ? तो क्या यह उनकी शिकायत फिस्कल है या वैग है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : प्रधान, प्रमुख और एक हुक्माराम तीन व्यक्तियों ने शिकायत की है कि यह जमीन उन लोगों को अलॉट कर दी गई है जो शहरी हैं और इन गांवों में भी नहीं रहते। इसलिये

Page No. 17

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
इस पर कलेक्टर द्वारा जांच की जा रही है इसके बाद ही पट्टे दिए जा सकेंगे।

श्री भीमसेन : किन किन लोगों को गलत दी है ? जिनको गलत दी है उनके खिलाफ जांच होने पर निर्णय किया जाना तो ठीक लग सकता है पर सारों के ही पट्टे रोक देना यह कहां तक उचित है ? प्रश्न यह है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : तीनों जिम्मेदार आदमी हैं जिन्होंने शिकायत की है। अब जांच का काम पहले तो भारत पाक युद्ध के कारण रुक गई, बाद में चुनाव आ गए, अब जल्दी ही जांच का काम पूरा हो जावेगा।

श्री भीमसेन : जिम्मेदार तो मैं भी हूं।

श्री रोशनलाल शर्मा : वे अलॉटमेन्ट कमेटी के मेम्बर थे तो अलॉटमेन्ट होते समय बैठक में वे शामिल थे या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भीमसेन : सारे शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं जिनको अलॉट हुई है जमीन और सारे भूमिहीन हैं। प्रधान उस कमेटी में मौजूद था।

श्री रामचन्द्र चौधरी : फिर उस प्रधान ने यह शिकायत क्यों की, यह आप भी तो बता सकते हैं ? आप बता दीजिए।

श्री रोशनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रधान उस कमेटी में उपस्थित था। पर उसने वहां ऐतराज नहीं किया। बाद में सरकार के पास ऐतराज करना गलत है। फिर सरकार को इस तरह की शिकायत पर ऑर्डर नहीं देना चाहिए रोकने का। फिर आप यह बतायें कि कुछ खास आदमियों के बारे में शिकायत की गई या जनरल की गई सबके लिए ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह जनरल शिकायत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जनरल शिकायत पर आप सबको क्यों रोक देते हैं। इस तरह से तो कोई भी व्यक्ति उनके सारे काम रोक देगा।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : मैं माननीय मन्त्री महोदय को पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार के मामले पहले भी बहुत हुए हैं। जहां जहां शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को किसी तरह से जमीन अलॉट होती है तो निहित स्वार्थी लोग उनको कब्जा नहीं लेने देते, सरकारी मशीनरी भी इसमें उन निहित स्वार्थी लोगों को मदद पहुंचाते हैं। सदन में भी मन्त्री महोदय मामले को स्पष्ट नहीं करते, न पूरा स्पष्ट जवाब देते हैं। सदन के माननीय सदस्य इस तरह से गुमराह किए जाते हैं। प्रधान की रिपोर्ट के बारे में आज भी ये एम. एल. ए. से पूछ रहे हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कलेक्टर को यह रिपोर्ट की गई है कि यह जमीन हरिजन आदिवासियों को अलॉट नहीं की जाकर कुछ बाहरी लोगों को की गई है शहरी आदमियों को देदी गई है,यह शिकायत है।

श्री भीमसेन : सारी ही जमीन भूमिहीन शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को अलॉट की गई है। कलेक्टर से जिन लोगों ने शिकायत की है वे एक पोलिटिकल पार्टी के सम्बन्धित व्यक्ति हैं।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में जल्दी ही कार्यवाही समाप्त कर दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो मामला बहुत स्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 10।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने लोग हैं ये ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न दूसरा ले लिया गया है।

श्री दीपंकर : आप अवसर ही नहीं देते पूछने का। 300) तीन सौ रुपया देकर लोगों ने........

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 10।

आराजी काश्त पर दी गई भूमि की दर

10. श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु (करनपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर के किसानों को दिनांक 25 मार्च, 1970 की मुख्य मन्त्री की घोषणा के अनुसार कि सरकारी भूमि पर चार रुपये प्रति बीघा की सामान्य दर आराजी काश्त पर दी गई भूमि पर लगाई जायेगी ? यदि हां, तो इसे पुरा क्यों नहीं किया गया ?

(ख) क्या यह सच है कि गंगानगर क्षेत्र में आठ रुपये से भी अधिक प्रति बीघा रकम वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(ग) क्या सरकार अधिक वसूल की गई रकम किसानों को लौटाने के लिए तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) जी हां। आदेश जारी कर दिए हैं। प्रतिलिपि संलग्न है।

(ख) नवीनीकरण के लिए 8) रुपया प्रति बीघा मालकाना वसूल करने के आदेश दिनांक 25-1-71 को जारी किए गए थे जिनको दिनांक 23-7-71 को वापिस ले लिया गया।

(ग) लौटाया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

एक माननीय सदस्य : कितने समय में लौटाया जावेगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : शीघ्र लौटाया जावेगा।

श्री गुरुदयालसिंह संधु : धन्यवाद है।

बेरोजगार लोगों को रोजगार

11. श्री भीमसेन : (लूणकरणसर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि देहाती क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की केन्द्रीय योजना का कार्य धीमी गति से चल रहा है?

(श्री भीमसेन)

(2) सरकार इस कार्य को लक्ष्य के अनुसार रोजगार देने की दृष्टि से क्या कदम उठा रही है ?

(3) बीकानेर जिले में उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है ?

(4) क्या सरकार और अधिक लोगों को रोजगार देने हेतु बीकानेर जिले में कुछ सड़कों का कार्य प्रारम्भ कर रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

विकास मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): (1) व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण कार्य तीव्र गति से नहीं हो सका है।

(2) लक्ष्य के अनुसार रोजगार देने हेतु जिला स्तर पर समन्वय समिति का गठन किया गया है व आगामी दो वर्षों में लिये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र भेजने हेतु निदेश जारी कर दिये गये हैं।

(3) 562 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है।

(4) जिला स्तरीय समिति के सुझाव आने पर सड़कों का काम स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकता है।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने पूछा था हड़ताल की वजह से एम्प्लॉयमेंट दिया तो आपने कहा क्रेस प्रोग्राम में लगा रखा था और यहां क्रेस प्रोग्राम का प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं काम की गति धीमी रही है।

श्री ओंकारलाल (विकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय वास्तव में मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कुछ कठिनाइयां ऐसी हैं जिससे काम शीघ्र नहीं हो सका। मैं इसको देखूंगा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : वह क्या कठिनाइयां थीं।

श्री ओंकारलाल : इस समय मैं निवेदन नहीं करना चाहता हूं। मेरे पास रिपोर्ट भी नहीं है कि क्या कठिनाइयां हैं।

श्री भीमसेन : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि बीकानेर जिले में 562 आदमियों को काम दिया जा रहा था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल जयपुर): अध्यक्ष महोदय, शीघ्र शब्द की व्याख्या और व्यवहारिक शब्द की व्याख्या कर दी जाय ताकि पता चले कि शीघ्र का मतलब 1 महीना 2 महीना या कितने महीने और ऐसे ही व्यवहारिक शब्द का मतलब बता दिया जाय ताकि डिक्शनरी में इसका अर्थ लगाया जा सके।

श्री अध्यक्ष : शीघ्र का मतलब शीघ्र।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : शीघ्र का मतलब तो शीघ्र हो गया और व्यवहारिक का मतलब कठिनाई.......

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : इस मद में आपने कितना पैसा अलोकेट किया है और कितना यूटिलाइज किया है।

श्री ओंकारलाल : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक जिले में साढ़े बारह लाख का प्रावधान है।

श्री भीमसेन : बीकानेर जिले में आपने कितनी राशि यूटिलाईज की है ?

श्री ओंकारलाल : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में 28 हजार 222 रुपये का एक्सपेन्डिचर हुआ है।

श्री अध्यक्ष : विद्युत् मन्त्री जी।

एक माननीय सदस्य : मैं एक जानकारी चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने जवाब दे दिया, अब कोई जानकारी नहीं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

मैं आपसे एक बार निवेदन कर चुका हूं। आपको देख लेना चाहिए जब स्पीकर कह रहा है तो आपको बैठ जाना चाहिये।

तहसील पदमपुर के गांवों में बिजली

12. श्री गुरुदयालसिंह सन्धु (करणपुर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील पदमपुर के कितने गांवों को बिजली दी जा चुकी है ? इनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें 1972 में बिजली दी गई है ? अन्य गांवों को बिजली कब तक दे दी जावेगी ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अब तक पदमपुर तहसील के 14 गांवों को विद्युत् उपलब्ध कराई जा चुकी है। इनमें से 9 गांवों का विद्युतिकरण 1971-72 (द्वितीय वर्ष) में हुआ है। तहसील के सारे गांवों का विद्युतिकरण कब तक हो जायगा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : यह बात गलत है कि इससे पहले 5 गांवों में बिजली थी। इससे पहले तीन गांवों में बिजली थी और जो 9 गांव बताये गये हैं उनमें भी पांच गांवों में बिजली थी। यह गलत उत्तर है।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास जो सूचना है 14 गांवों में बिजली उपलब्ध करादी गई थी।

श्री केदारनाथ : क्या प्रायरिटी फिक्स करने के पहले कोई कमेटी ऑपरेशन में है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : आपका भिन्न प्रश्न है लेकिन सभी जगह ऐसा है इसलिये वहां भी होनी चाहिये।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु : क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं जांच करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 13।

रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत ली गई सड़कें

13. श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रूरल वर्क्स प्रोग्राम के तहत तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर में कौन कौन सी सड़कें ली गई हैं ?

(श्री खेतसिंह)

(2) सेतरावा-मिणियाणा सड़क का कार्य अभी तक क्यों नहीं शुरू किया गया है।

(3) चरवा-फलसूंड की सड़क का कार्य किस कारण से रुका पड़ा है और अब यह कार्य कब शुरू होगा ?

(4) तिवरी-बालेसर सड़क का कार्य किस प्रोग्राम के तहत चल रहा है ? क्या इस सड़क पर डामर नहीं होगा ?

(5) जोधपुर से पोकरण-जैसलमेर जाने वाली सड़क जो अभी के भारत पाक युद्ध के वक्त बिल्कुल टूट गई थी, उसकी मरम्मत का कार्य कब शुरू किया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी : (1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) स्वीकृति दे दी गई है, एस्टीमेट बनाये जा रहे हैं।

(3) कार्य प्रारम्भ करा दिया है ?

(4) क्रेश योजना के अन्तर्गत कार्य चल रहा है। डामर का प्रावधान नहीं है।

(5) साधारण मरम्मत कार्य किया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री खेतसिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि खण्ड दो में जो जवाब दिया है उसमें कितनी धनराशि मंजूर की है ?

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। क्या चीफ ह्विप प्रश्न पूछने का अधिकारी है ? ये तो गवर्नमेंट के पार्ट एण्ड पार्शल हैं।

श्री खेतसिंह : चीफ ह्विप मिनिस्टर नहीं है, एम. एल. ए. है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, यह बताया जाय, क्या चीफ ह्विप सदन में प्रश्न पूछने का अधिकारी है ?

श्री खेतसिंह : यह प्रश्न के खण्ड 4 में जो सड़क चल रही है वह क्या क्रेश प्रोग्राम के अन्दर है ?

श्री हरिदेव जोशी : क्रेश प्रोग्राम में डामर नहीं किया जाता है। यह पी. डब्ल्यू. डी. और कलेक्टर तय करता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भीमसेन।

छतरगढ़, मलकीसर पचायतों के आबाद विस्तार हेतु आवेदन-पत्र

14. श्री भीमसेन : (लूणकरणसर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की ओर से छतरगढ़, मलकीसर आदि गांवों की आबादी विस्तार हेतु जिलाधीश, बीकानेर के माध्यम से उपनिवेशन विभाग को आवेदन-पत्र दिये हैं ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(2) उपरोक्त आवेदन-पत्र सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किये गये ?

(3) क्या सरकार भविष्य में ऐसे आवेदन-पत्रों के निर्णय के लिये कोई निश्चित अवधि तय करेगी ?

उपनिवेशन मंत्री :(श्री रामचन्द्र चौधरी) ग्राम पंचायत मलकीसर का ग्राम मलकीसर के आबादी विस्तार हेतु प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, बीकानेर के माध्यम से उपनिवेशन विभाग को प्राप्त हुआ है। इस प्रार्थना-पत्र पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। ग्राम छत्तरगढ़ की आबादी विस्तार हेतु जिलाधीश, बीकानेर के माध्यम से कोई प्रार्थना-पत्र उपनिवेशन विभाग, बीकानेर में प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) उपरोक्त मलकीसर ग्राम की आबादी विस्तार का प्रार्थना-पत्र सर्व प्रथम दिनांक 6-11-71 को प्राप्त हुआ।

(3) जी नहीं। निर्णय शीघ्र से शीघ्र किया जावेगा।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, यह उपनिवेशन विभाग लोगों को बसाने के लिये बनाया है लेकिन वहां पर जो आबादी है छत्तरगढ़ में वहां आज से 50 वर्षों से आबादी बसी हुई, उस आबादी को उठाने के लिये कर रहा है। आपके विभाग को तो यह कार्यवाही करनी चाहिये कि जो लोग जहां बसते हैं उनको वहीं बसने दिया जाय और स्वीकृति दे दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : छत्तरगढ़ से आबादी उठाने का सवाल तो उपनिवेशन विभाग में आया ही नहीं है।

श्री भीमसेन : मैं कहता हूं उपनिवेशन विभाग में आया है और आप इसकी जानकारी कर लें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, यह उपनिवेशन शब्द बड़ा भद्दा लगता है। अतः मैं समझता हूं मन्त्री महोदय को इसका नाम बदल देना चाहिये। उपनिवेशन शब्द के तो हम सख्त खिलाफ हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ये हम गंगानगर वाले सभी उपनिवेशन के मामले में आते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरुदयालसिंह संधु !

कर्णपुर की कॉटन फैक्ट्री को पानी

15. श्री गुरुदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) चक 1389 तहसील करणपुर के मोघों से जय महालक्ष्मी कॉटन फैक्ट्री को कितना पानी कब से दिया जा रहा है ? इससे सिंचाई विभाग को क्या लाभ है ?

(ख) यदि कोई आय नहीं है तो रकम की वसूली सरकार कब करेगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : जय महालक्ष्मी कॉटन मिल को जून, 1957 से चक 13 ओ. के मोघे से पानी दिया जा रहा है। पानी की सप्लाई व आय का विवरण सूची (अ) में संलग्न है।

(ख) आय की रकम सन् 1971-72 तक की वसूल की जा चुकी है और इस अवधि की कोई रकम बकाया नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री गुरुदयालसिंह संधु (करणपुर) : पांच साल पानी देने के बाद 62-63 में क्या खर्च पड़ा है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उस समय उस मील को आधा पानी चाहिये था और उसकी आधी रकम ली गई है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु : क्या राज्य सरकार इस मामले की जांच करेगी कि ये बनावटी आंकड़े हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अगर ऐसा है तो जांच कर ली जायगी।

श्री गुरुदयालसिंह संधु : 4443 रुपये की रकम बकाया बतायी है, आपका कहना है कोई रकम बकाया नहीं है। इसमें आपका क्या कहना है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने अर्ज किया 4443 रुपये की रकम वसूल की जा चुकी है। कोई रकम बकाया नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोतर

काश्तकारों को पास बुकों का वितरण

3. **श्री खेतसिंह** (शेरगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर जिले की कितनी तहसीलों में कृषकों को पास बुकें वितरित कर दी गई हैं?

(2) तहसील शेरगढ़ के कितने गांवों में उस गांव के सभी काश्तकारों को पास बुकें वितरित की गई हैं? बाकी के गांवों के कृषकों को कब तक पास बुकों का वितरण किया जावेगा?

(3) क्या पास बुकों के वितरण में सरकार को कोई कठिनाई है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

आरोपों की जांच

5. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण मंत्री ने दिनांक 11-11-71 को महिला सदन में प्रविष्ट की हुई आश्रित महिलाओं के गर्भवती होने के आरोपों के संबंध में जांच कराकर दिनांक 12-11-71 को सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विश्वास दिया था?

(2) क्या उक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करदी गई है? यदि नहीं तो उक्त जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आए? उक्त रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

मकान बनाने के लिये भूमि

8. **श्री गुरुदयालसिंह संधु** (करनपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) गांवों व शहरों में जो भूमिहीन व मजदूर लोग जिनमें कि अधिकतर हरिजन हैं, को मकान बनाने के लिये भूमि क्यों नहीं दी जा रही है?

(श्री गुरुदयालसिंह संधु)

(ख) क्या यह सच है कि पंचायतें जिन हरिजनों को कीमतन भूमि (आबादी भूमि) देती है उन्हें जिलाधीश, श्री गंगानगर द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है? जैसे:—

"मामराज सा. 1 डीडी का अहाता"

(ग) क्या यह सच है कि नगरपालिका, गजसिंहपुर में जो नायक रह रहे हैं उन्हें रहने के लिये आबादी भूमि में जगह नहीं दी जा रही है?

(घ) क्या सरकार भूमिहीनों को जो गांवों व शहरों में रह रहे हैं, रहने के लिये मुफ्त भूमि देने का प्रबन्ध करेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोउत्तर

खाले का निर्माण कार्य

1. श्री गुरुदयालसिंह संधु (करनपुर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि मुरब्बा नम्बर 28 चक 7 वाई तहसील गंगानगर के लिये कलेक्टर गंगानगर ने खाला तारीख 16-2-70 को मंजूर किया था? यदि हां, तो उसे आज तक न बनाये जाने का क्या कारण है?

(ख) क्या यह सच है कि एक्स. ई. एन. सिंचाई विभाग (नोर्थ), गंगानगर जान बूझ कर उस खाले को बनाने में टालमटोल कर रहा है?

(ग) क्या सरकार उपरोक्त एक्स. ई. एन. के विरुद्ध कलेक्टर गंगानगर के हुक्म को पालना न करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी और खाले को शीघ्र बनवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(क) जी हां, जिलाधीश, गंगानगर ने मुरब्बा नं. 28 चक 7 वाई के लिये 16-2-70 को खाला इस शर्त पर मंजूर किया था कि श्री हरनेकसिंह (प्रार्थी) श्री जंगीरसिंह (आपत्तिकर्ता) को जिसकी जमीन से खाला निकलना है, 10 बिस्वा जमीन बदले में देगा, परन्तु श्री जंगीरसिंह न तो जमीन के बदले जमीन और न ही मुआवजा लेने को तैयार है, अतः मामला भूमि अवाप्ति हेतु जिलाधीश को प्रेषित कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि विभाग खाला बनवाने के लिये प्रयत्नशील है। भूमि अवाप्ति के पश्चात् खाला बनवाने की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

नये बागों को पानी

2. श्री गुरुदयालसिंह संधु (करनपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) गत पांच वर्षों में गंग नहर क्षेत्र में किस किस को कितने नये बाग मंजूर

(श्री गुरुदयालसिंह सन्धु)
किये गये इनका कितना रकबा है और उसके लिये कितना अतिरिक्त पानी मंजूर किया गया है ?

(ख) जो नये बाग मंजूर किये गये हैं उन राजबाग्रों की टेलें क्या बाग मंजूर करने के पूर्व पूरी चल रही थी और क्या उन राजबाग्रों में बागों को देने के लिये नियमानुसार अतिरिक्त पानी था ? यदि नहीं था तो वे बाग क्यों मंजूर किये गये ?

उत्तर

(क) सूची 'अ' संलग्न है।

(ख) जी हां जो नये बाग स्वीकृत किये हैं उन राजबाग्रों को टेलें पूरी चल रही थीं तथा बाग स्वीकृत करने हेतु अतिरिक्त पानी उपलब्ध था।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

चुकन्दर की फसल के लिये पानी

3. श्री गुरुदयालसिंह संधु (करनपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(क) चक 16 '0' तहसील करणपुर में किस किस के द्वारा और कितना कितना चुकन्दर बोया हुआ है और कितने चुकन्दर की बीजाई के लिए अतिरिक्त पानी दिया जा रहा है ?

(ख) क्या यह सच है कि मौके पर चुकन्दर बहुत कम बोया हुआ है और चुकन्दर की बीजाई के नाम पर नाजायज नाल नहर का पानी हासिल करने के लिए लगा रखी है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(क) चक 16 ग्रो. के श्रीमान् जवन्त सिंह व पालसिंह को 50 बीघा चुकन्दर के लिये पानी दिया गया है उसकी जगह 47 बीघा चुकन्दर बोया है।

(ख) जी नहीं।

गम्भीरी नदी की बाढ़ को रोकने की योजना

4. श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गम्भीरी नदी में वर्षा ऋतु में आने वाली बाढ़ को नियंत्रित किये जाने की क्या योजना है ?

(2) गम्भीरी नदी के अतिरिक्त जल को वाण गंगा नदी से सिंचित हो सकने वाले क्षेत्र को उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजना पर क्या कार्यवाही चल रही है ?

(3) इस योजना का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जाने वाला है ?

उत्तर

(1) गम्भीरी नदी से वर्षा ऋतु में आने वाली बाढ़ को आंशिक रूप से नियंत्रित कर सिंचाई हेतु उपयोग के लिए पांचना सिंचाई योजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग को प्रेषित की जा चुकी है।

(2) इस योजना का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य करने के पश्चात् यह ज्ञात हुआ है कि इस योजना की अनुमानित लागत 4.63 करोड़ रुपये होगी जो बहुत अधिक

(सिंचाई मन्त्री)
है अतः इस योजना को कार्यान्वित करना संभव नहीं है।

(3) पांचना योजना का कार्य इसकी स्वीकृति व आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर ही प्रारम्भ किया जा सकेगा।

कृषि उपज पर कर

5. श्री गुरदयालसिंह संधु (करनपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

मण्डी पदमपुर, तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर में ग्राम पंचायत पदमपुर द्वारा कृषि उपज पर जिसकी कि खपत उस मण्डी में नहीं है पंचायत नियमों के विपरीत चुंगी कर लगाया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार उस टैक्स को कब बन्द करायेगी और वसूल किये गये टैक्स को कब वापिस दिलायेगी?

उत्तर

राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 64 के अनुसार ग्राम पंचायत पदमपुर द्वारा पंचायत क्षेत्र में उपभोग व खपत के लिए लाये गये सामान पर जो चुंगी कर लगाया है वह नियमानुसार है। अतः उक्त कर को बन्द करने और वसूल की गई राशि को वापिस लौटाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

खनिज रायल्टी की बकाया

6. श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार की खनिज रायल्टी की कितनी रकम विभिन्न ठेकेदारों व संस्थाओं में अब तक बकाया है?

(2) सवाई माधोपुर जिले में ऐसे कौन कौन से ठेकेदार हैं जिनमें उपरोक्त रायल्टी बकाया है और वे अब भी खनिज उत्पादन कार्य कर रहे हैं?

(3) राज्य सरकार इस प्रकार के ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) खान एवं भू-विज्ञान विभाग के विभिन्न ठेकेदारों व संस्थाओं में 31-1-72 को 1,17,11,086/- रुपया डेडरेन्ट व रायल्टी आदि की बकाया थी।

(2) सूची संलग्न है।

(3) ऐसे ठेकेदारान के विरुद्ध राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1959 के नियम 17 (22) के अन्तर्गत शास्ती आरोपित तथा ठेके रद्द करने की कार्यवाही की जाती है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री मोहम्मद गफ्फार अली तथा श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा, सदस्य विधान सभा ने जयपुर में तांगे रिक्शा चालकों की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस स्थगन प्रस्ताव पर सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, वहां स्ट्राइक चल रही है। इस छोटे से मामले में टालमटोल न किया जाकर आज ही जानकारी दे दी जाय तो बहुत अच्छा रहेगा। सारे स्कूटर तांगे बन्द हैं और इससे तमाम आवागमन के रास्ते रुके हुये हैं। जिनके पास गाड़ी नहीं है, उन माननीय सदस्यों को तो यहां तक आने में भी काफी दिक्कत हो रही है। इस पर सूचना जल्दी दे दी जाय तो अच्छा रहेगा। मांग छोटी सी है और वह यह है कि जो टेम्पो हैं जो बड़े टेम्पो हैं वे शहर से बाहर 10 मील से बाहर चलने चाहियें ताकि छोटे लोगों पर जो रोजगार का असर हो रहा है वह न हो। मेरी गुजारिश यही है मंत्री महोदय से कि इस छोटे से मामले को टालने की कोशिश न करें। अमन में खलल पडी हुई है। मेरी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। इसको आज ही तय कर दिया जाय तो अच्छा हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, आज सदन का आखिरी दिन है और सारे शहर का काम काज ठप्प हो रहा है। तांगे वाले, स्कूटर वाले, रिक्शा वाले आये हुये हैं वे स्ट्राइक पर हैं और एक छोटा सा मसला है। इसको आज ही निपटा दिया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : नो स्पीचेज प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : शहर में टेम्पो की क्या स्थिति है। यहां की पुलिस 5 रु, 10 रु. पर टेम्पो चलवा रही है.......

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : आप चेम्बर में जानकारी कर लेना।

गृह मंत्री महोदय !

(श्रीमती कमला बेनीवाल के सदन से बाहर जाने पर)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह सदन के बजाय सदन के बाहर वक्तव्य देने पधार गई हैं।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा लगता है वे कागज भूल आई हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह अच्छा है वे मजदूरों से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने चली गई हैं।

शासकीय वक्तव्य

बारां (कोटा) क्षेत्र के ग्राम रामगढ़ के करीब डाकू श्योकरणसिंह द्वारा अपहृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में राज्य गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, श्री भानुकुमार शास्त्री, विधायक द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार हैं:—

दिनांक 19-3-72 को कुख्यात डाकू श्योकरणसिंह के गिरोह में ग्राम रामगढ़ से करीब तीन मील दूर केलपुरा जो बिलकुल एकान्त में है, गये हुये एक पिकनिक पार्टी जिसमें कि औरतें और बच्चे भी थे, में से 6 व्यक्तियों का अपहरण किया और कुछ दूर जाकर रामनाथ नामक एक व्यक्ति को जो ड्राइवर था, को छोड़ गये और मोहनलाल महाजन, सौभागमल, विष्णु-

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

प्रकाश मास्टर, राम कल्याण मास्टर और मोहनलाल मास्टर नामक पांच व्यक्तियों को अपहरण कर जंगल में से होते हुए मध्यप्रदेश की सीमा में घुस गये। दस्युदल का पीछा किया जाकर अपहृत व्यक्तियों को मुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। इन अपहृत व्यक्तियों को मुक्त कराने की दस्युदल ने कोई रकम फिरोती की अभी तक नहीं मांगी है।

इसी दस्युदल द्वारा दिनांक 25-2-72 को थाना खातोली के ग्राम मिथूतना से भी 6 व्यक्तियों का अपहरण किया गया था जिनको मुक्त कराने के भी भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

जिला कोटा में गत तीन वर्षों में हुई डकैती और अपहरण की वारदातों के आंकड़ों का अवलोकन करने से विदित होगा कि इस जिले में सन् 1969 में डकैती की कुल 25 वारदातें हुई हैं जब कि सन् 1970 में केवल 3 और 1971 में केवल 4 वारदातें ही हुई हैं। इसी प्रकार इस जिले में अपहरण की वारदातों के आंकड़ों के अवलोकन से विदित होगा कि सन् 1969 व 1970 में क्रमशः अपहरण की 6 और 8 वारदातें हुई थीं जबकि सन् 1971 में केवल एक ही वारदात हुई है। इस जिले में डकैतों के साथ पुलिस द्वारा की गई मुठभेडों में सन् 1969 में लक्ष्मण उर्फ दीवानसिंह और जगना उर्फ जगन्नाथ नाम के दो कुख्यात डाकू मारे गये तथा 42 गिरफ्तार किये गये। इसी प्रकार सन् 1970 में श्योकरणसिंह दल के 3 डकैत जादुसिंह, रामचरण तथा काशीराम जिला कोटा में तथा चौथिया उर्फ रामप्रसाद जिला सवाई माधोपुर में मारे गये। इन डकैतों के कब्जे से स्वचालित टेलीस्कोपिक बन्दूक भी बरामद की गई।

कुख्यात दस्यु श्योकरणसिंह का दल मध्यप्रदेश के जंगलों में शरण पाता है और मध्यप्रदेश से लगने वाले हमारे सीमावर्ती गांवों में यदा कदा मौका पाकर वारदातें करने का प्रयास करता है। इस सीमा पर स्थापित चौकियों पर जो आर. ए. सी. का स्टाफ लगाया हुआ था उसको पाक युद्ध के दौरान एवं चुनाव में अन्यत्र भेज दिये जाने से इन रक्षा चौकियों की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी जिसका फायदा उठाकर गिरोह ने यह वारदातें की हैं। अब विगत दस रोज से इन चौकियों पर पुनः आर. ए. सी. का स्टाफ लगा दिया गया है। पुलिस व आर. ए. सी. पार्टियां नियमित गश्त कर रही हैं और समस्त उच्च अधिकारीगण अपहृत व्यक्तियों को मुक्त कराने व दस्यु दलों को पकड़ने हेतु जागरूकता से कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण के रूप में यह जानना चाहूंगा कि भारत-पाक संघर्ष के दौरान आर. ए. सी. के जवानों को वहां से हटाया गया तो क्या कारण था कि साधारण पुलिस विभाग के जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनको वहां नहीं लौटाया गया और राजस्थान की जनता को इन खूंखार डाकुओं को जो यहां आकर लूटपाट करें और खून खराबा करें इसके लिए असहाय रूप में छोड़ दिया गया।

मैं यह भी जानना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से कि

(श्री गुमानमल लोढा)

कल परसों जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यहां भाषण दिया कि राजस्थान से हमने सारे दस्यु दलों का सफाया कर दिया है क्या डाकू स्वर्णसिंह जिसके बारे में बताया गया कि वह फरवरी में 6 व्यक्तियों का अपहरण करके ले गया और मार्च में फिर 6 व्यक्तियों का अपहरण किया उस दल में नहीं आते और अगर आते हैं तो कौन से कारगर कदम उठाये गये जिसके कारण से इनको समाप्त करने के लिए अब तक प्रयास किये गये। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि व्यक्तियों के अपहरण होने के पश्चात् क्या इस दल के एक भी डाकू को गिरफ्तार किया गया? जो व्यक्ति अपहरण के द्वारा ले जाये गये थे क्या एक भी व्यक्ति को पुलिस विभाग रिहा करा पायी है? अगर नहीं तो क्या पुलिस विभाग और राजस्थान सरकार की यह अकर्मण्यता नहीं है कि इस तरह से अपहरण हो और पुलिस होने के पश्चात् भी और इतनी बड़ी आर. ए. सी. और पुलिस का फोर्स होने के पश्चात् भी हम राजस्थान की जनता के लोगों को जो डाकुओं के शिकन्जे में आखिरी सांस गिन रहे हैं और जिनको चारों तरफ से परेशान किया जा रहा है उनको नहीं बचाया गया? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि मध्यप्रदेश की सरकार के द्वारा क्या सम्पर्क स्थापित किया गया? और मध्यप्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ने दोनों ने मिलकर क्या क्या कदम उठाये?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में जो उल्लेख किया था वह यह था कि भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र में काम करने वाले जो डाकू गिरोह थे उनके मुखियाओं को समाप्त कर दिया गया है और अधिकतर उनके गिरोह को भी तितर बितर कर दिया है और कोटा में अभी भी इस प्रकार के कुछ गिरोह हैं जिनको खतम करने के लिए हमारा पुलिस दल सक्रिय है जहां तक माननीय सदस्य की यह आपत्ति है कि अगर आर. ए. सी. की टुकड़ी गयी तो दूसरी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा क्यों नहीं की गयी उसके बारे में बताना चाहती हूं कि जब आर. ए. सी. की 3 टुकड़ियां थीं उनमें से 2 टुकड़ियां गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की डिमाण्ड पर वार ऑपरेशन्स के लिए भेज दी गयीं तो उनमें से एक टुकड़ी के कुछ लोग पहले से मौजूद थे उनको मदद करने के लिए। हमारी पुलिस की आर्म्ड फोर्स खातोली, इटावा, शाहबाद, गरडा में लगाई हुई थी जिसमें 8 हैड कॉन्सटेबल और करीब 30 कॉन्सटेबल्स लगाये गये थे जिससे हम बीच के दिनों में उनके सम्बन्ध में इन्तजाम इस प्रकार का रख सकें कि डाकुओं को अपने काम करने के लिए आजादी नहीं मिले और जैसा कि हाउस के सामने रखा कि 70 से लेकर 72 के आंकड़ों को आप देखेंगे तो उससे आपको मालुम होगा कि पिछले दिनों के जो पुलिस के और आर. ए. सी. के एन्टी-डेकोयटी ऑपरेशन्स हैं उनमें प्रगति हुई है और बहुत सक्रियता के साथ काम किया गया है और जितनी वारदातें 69 में हुई हैं, 70 और 71 में बहुत कम हुई हैं और वापिस हमने टुकड़ियों को लगा दिया है। आर. ए. सी. की टुकड़ी वापिस कोटा में आ चुकी है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बोर्डर के ऊपर लगा दिया है 8 पोस्टों पर। और 8 पोस्ट और कायम की गयी हैं और इस तरह से 16 पोस्टें कायम

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

हैं और कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक स्वयं अपनी पार्टी के साथ बराबर लगे हुए हैं कि दस्यु दलों को किसी न किसी प्रकार जल्दी से जल्दी पकड़ा जाये, उनको मारा जाये और उनको किसी प्रकार से तितर-बितर किया जाये। जिस प्रकार की प्रगति पिछले दिनों में हुई है उससे मैं सदन को यह विश्वास दिला सकती हूं कि जल्दी ही और टुकड़ियां आ जायेंगी उसके बाद में दस्युदल जो बाकी रह गये हैं उनको भी पकड़ सकेंगे और जनता को राहत दिला सकेंगे।

श्री गमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि 19-3-72 को भारत-पाक की लड़ाई कहां चल रही थी और आर. ए. सी. की टुकड़ियां कहां तैनात थी? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस बात का उत्तर नहीं दिया गया कि मध्यप्रदेश के अन्दर वहां की पुलिस और राजस्थान की पुलिस दोनों मिलकर या अलग से इस दस्युदल का सफाया करने के लिए और हमारे राजस्थान के अपहरण किये हुए व्यक्तियों को बचाने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है?

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जोहरी बाजार जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, फौज के जो एक्शन्स होते हैं उनके बारे में सदन में सवाल नहीं होने चाहिएं क्योंकि यह सदन में डिस्कशन के लायक नहीं हैं। इसके ऊपर डिस्कशन होने से दुश्मन फायदा उठा सकते हैं और डाकू लोग भी फायदा उठा सकते हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : श्रीमान् माननीय सदस्य का यह सवाल है कि हमारी पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की पुलिस ऑथोरिटीज समय समय पर इस मामले में बैठी हैं। उन्होंने इसके निराकरण के लिए शीघ्र कदम उठाये हैं और आगे भी दोनों प्रान्त की पुलिस सक्रिय है और उनको पकड़ने के लिए बराबर प्रयत्नशील हैं। जहां तक 19-3-72 को हमारी आर. ए. सी. की टुकड़ी कहां थी और क्यों नहीं आई इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि हमारी टुकड़ी ऑक्युपाइड एरियाज में कहीं तैनात की हुई होगी या उसको दूसरी एक्टीवीटीज दी हुई होगी उनके बारे में मैं कहना चाहती नहीं हूं लेकिन एक आर. ए. सी. की टुकड़ी वापिस पहुंच गयी है इसलिए हम उसकी सक्रियता से अधिक से अधिक दस्यु दलों का सफाया कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : दूसरा वक्तव्य।

शासकीय वक्तव्य

सवाई माधोपुर में जैन मन्दिर में हुई चोरी से उत्पन्न स्थिति

राज्य मंत्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : माननीय अध्यक्ष, सवाई माधोपुर में पुलिस कोतवाली पर जनता द्वारा किए गए पथराव के सम्बन्ध में प्राप्त स्थगन प्रस्ताव के बाबत।

दिनांक 21-3-72 की रात को $10\frac{1}{2}$ बजे पुलिस कोतवाली सवाई माधोपुर के पास वाले जैन मन्दिर में चोरी की वारदात हुई। दौराने वारदात जाग हो जाने से लोगों ने शोरगुल किया जिसके फलस्वरूप चोर मूर्तियों को घटनास्थल पर छोड़ कर

Page No. 31

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

भाग गए। पुलिस में इत्तला होने पर पुलिस के दो सिपाही घटना स्थल पर गए और चोरों द्वारा छोड़ी हुई मूर्तियां थाने पर ले आए। घटना के तुरन्त बाद ही जनता की भीड़ चोरों को नहीं पकड़ने की नाराजगी जाहिर करने के लिए थाने के बाहर जमा हो गई। एक ट्रक में बैठ कर करीब सौ व्यक्ति 12½ बजे रात जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक के निवास स्थान पर पहुंचे और थानेदार पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। इस पर जिलधीश और पुलिस अधीक्षक रात को ही थाने पहुंचे तथा जनता के नुमाइन्दों से बातचीत कर थानेदार, सहायक थानेदार और कुछ सिपाहियों के फौरन तबादले करने का आश्वासन दिया। थाने का चार्ज गृह निरीक्षक सवाई माधोपुर को दिलवाया गया और जनता को तथा जनता के नुमाइन्दों को आश्वासन दिया गया कि इस चोरी और पुरानी अन्य चोरियों के मुलजिमानों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जावेगा। दिनांक 25-3-72 को सुबह करीब 4॥ बजे भीड़ छंट गई और मामला ठंडा पड़ गया तब जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक थाने से अपने निवास स्थान को लौटे।

दिनांक 25-3-72 को करीब 7 बजे सुबह लोग फिर थाने के बाहर इकट्ठे हो कर नारे लगाने लगे। करीब 7½ बजे जब जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना मिली तब वे फौरन 8 बजे सात-आठ मौजूदा सिपाहियों के साथ थाने पर पहुंच गए। भीड़ में जमा लोग थानेदार को हथकड़ी लगा कर और काला मुंह कर गधे पर बिठाने की मांग कर रहे थे। भीड़ में से कुछ प्रमुख आदमियों को जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक द्वारा समझायश की गई कि उनकी यह मांग स्वीकार नहीं की जा सकती और आश्वासन दिया गया कि इन सबके विरुद्ध जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी, लेकिन भीड़ संतुष्ट नहीं हुई और भीड़ में से कुछ असामाजिक तत्वों ने जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक और सिपाहियों पर पत्थर फेंकने चालू रक्खे। पथराव इतना भारी था कि पुलिस की लाठी पार्टी को थाने से बाहर निकल कर भीड़ को तितर-बितर करना असम्भव हो गया।

उपरोक्त भीड़ थाने के अन्दर घुस आई और पुलिस थाने की इमारत, पुलिस की जीप, थानेदार की मोटर साईकिल और जवानों के सामान को आग लगा दी। सरकारी समान को इस तरह से बरबाद करने और पथराव जारी रखने के बावजूद भी पुलिस ने धैर्य रक्खा लेकिन बाद में भीड़ को तितर-बितर करने हेतु 18 अश्रु गैस के गोले छोड़े गये जिनका असर न होने पर पुलिस ने 303 बोर की नौ गोलियां भीड़ को तितर बितर करने हेतु हवा में चलाई। कुछ समझदार लोगों से फिर समझायश शुरू की गई जिस पर भीड़ ने मांग की कि थानेदार हाथ जोड़ कर उनके सामने आय और हाथ जोड़ कर माफी मांगे। भीड़ की यह मांग स्वीकार की गई और थानेदार ने हाथ जोड़ कर माफी मांगी और तब कहीं जाकर भीड़ तितर बितर होना शुरू हुई, लेकिन भीड़ की उत्तेजना बनी रही और जब पुलिस अधीक्षक व जिलाधीश थाने से बाहर निकले तब भीड़ उनके पीछे हो गई और तहसील भवन पहुंचने पर पत्थर फेंके और दोनों अफसरान वाला की जीपों को क्षति पहुंचाई।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

इस दुर्घटना में जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक सहित 23 सरकारी आदमी घायल हुए और दूसरी तरफ जनता के तीन आदमियों के चोटें आईं।

इस दौरान करीब 4 बजे शाम पुलिस उप महा निरीक्षक, अजमेर खण्ड, जयपुर भी घटनास्थल पर पहुंच गए और शहर के विभिन्न भागों में पुलिस की टुकड़ियां तैनात कर स्थिति पर काबू किया। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में दो मुकदमें दर्ज किये गए हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। मुकदमों की तफतीश हेतु जिला के बाहर से पुलिस अफसर तैनात किए गए हैं। नियमनुसार तफतीश की जाकर उचित कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा....

श्री मीठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री लोढ़ा।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आप नियमानुसार बोलें।

श्री मीठालाल : मैं तो नियमानुसार ही बोल रहा हूं। अनियमितता तो आप बर्त रहे हैं। मैंने अपना स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रखा है तो पहले मुझे मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपको भी मौका मिलेगा। पहले इन्हें बोल लेने दें।

श्री मीठालाल : पहले और पीछे क्या होता है। आखिर कुछ नियम होते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और थानेदार के खिलाफ जो जनता ने यह शिकायत की है कि वहां पर थाने की छत से होकर चोरियां करवाई जाती हैं और जैन मूर्तियां पहले भी चोरी करवाई गई तो क्या पुलिस के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय यह बतायें कि वहां पर जो जीपों को और अन्य सरकारी सामग्री को आग लगी तो क्या उसके पहले वहां पर पुलिस अधिकारियों ने धारा 144 लगा दी थी और जनता को तितर बितर होने के लिए वार्निंग दी गई थी ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सही है कि वहां के थानेदार दर्शनसिंह द्वारा 12 बोर की बन्दूक से गोली चलाई गई और जिसके कारण वहां पर एक व्यक्ति घायल हुआ ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सवाई-माधोपुर में आज कई दिनों से हड़ताल चल रही है और पहले भी इन थानेदार के विरुद्ध कई बार शिकायत की गई कि इनका आम रवैया इस प्रकार का है और वे चोरों से मिलकर चोरियां करवाते हैं, वहां पर कई चोरी की वारदातें हुई हैं तो क्या आज तक सरकार की ओर से उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया है और

(श्री गुमानमल लोढा)

उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है ? मैं यह बताना चाहता हूं कि जनता के सामने केवल यह कह कर कि थानेदार का तबादला कर दिया जाएगा, इतनी बड़ी घटना को दबाने की कोशिश की गई और इसी का नतीजा है कि वहां पर इस प्रकार का वातावरण बना और सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान से निवेदन करना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर की घटना साधारण घटना नहीं है। आज वहां पर आतंक फैला हुआ है। हर सभ्य नागरिक को वहां पर गिरफ्तारी के नाम पर डराया और धमकाया जा रहा हैं। वहां पर वातावरण इस प्रकार का बन गया है कि कोई भी सभ्य आदमी आज शहर के अन्दर घूम नहीं सकता। वहां पर हड़ताल जारी है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या कलेक्टर महोदय और अधीक्षक महोदय जो वहां पर घटना स्थल पर मौजूद थे और जिनके सामने इस प्रकार की घटना हुई, जनता के सामने सारी कार्यवाही हुई, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही की गई। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को इन सरकारी ऑफिसरों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, यह मैं जानना चाहूंगा, सरकार इसे स्पष्ट करें।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस मामले में कुछ मुद्दे उठाए थे लेकिन उनका जवाब नहीं आया है। मैंने यह मुद्दा उठाया था कि क्या उस मन्दिर में जाने का और कोई भी रास्ता है ? क्या थाने में होकर जाने का कोई रास्ता है जबकि वहां का दरवाजा बन्द था। दूसरा मुद्दा यह है कि इसमें सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस और कलेक्टर साहबान की जो जीप और दूसरी गाड़ियां जलाई गई तो क्या इसमें उनकी कोई कण्ट्रीब्यूटरी नेग्लीजेंस है और उनके बारे में कोई जांच की गई है। अगर उसमें उनकी कोई कण्ट्रीब्यूटरी नेग्लीजेंस है तो फिर गवर्नमेंट क्यों सफर करे। इन सवालात का जवाब आना चाहिए। मेरा यह सुझाव है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच या तो सी. बी. आई. से या किसी और ऐसी एजेंसी के लोगों के द्वारा होनी चाहिए।

और क्या यह सही नहीं है कि वहां जो एण्टी सोशियल एलीमेंट है और जो साम्प्रदायिक तत्व हैं वे इस बात का शोषण कर रहे हैं कि चूंकि लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया इसकी तुम्हें यह सजा मिल रही है ? इस तरह का तवारुक्ख किया जा रहा है....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह बिल्कुल गलत आरोप है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मेरी समझ में नहीं आता कि अगर वे साम्प्रदायिक नहीं है तो बीच में क्यों बोल रहे हैं। अगर वे साम्प्रदायिक तत्व नहीं हैं और इस तरह से लोगों को नहीं भड़का रहे हैं तो फिर उन्हें डर क्या है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक तत्व इस सवाल का शोषण कर रहे हैं, इस सवाल का तद्रुक किया गया है। जो सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस और

Page No. 34

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

कलेक्टर साहब हैं अगर उनकी कोई कन्ट्री-ब्यूटरी नेग्लीजेंस हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है। इन सब सवालों का हल नहीं निकाला गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सब सवालों का जवाब दिया जाय और यह बताया जावे कि जो एण्टी सोशल कम्यूनल फोर्सेज हैं जो वहां पर काम कर रही हैं उनके खिलाफ क्या कदम उठाया जा रहा है।

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था की इज्जत करता हूं और जो भी आदेश देंगे उसका पालन किया जावेगा, लेकिन जिसका नम्बर पहले है उसको पहले बोलने दिया जाना चाहिये था....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सबसे पहले तो मैंने प्रस्ताव मूव किया था।

श्री मीठालाल : इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि जैसी आपकी व्यवस्था है और जैसा कि कल आपके चेम्बर में बात तय हुई थी उसके अनुसार ही व्यवस्था रखी जावे।

दूसरा यह है कि सवाई माधोपुर जिले में प्रायः साल छः महीने में या तो थानेदार के द्वारा बलात्कार के काण्ड होते हैं या आम चोरियां होती हैं जिनको पकड़ा नहीं जाता। यह आम तौर पर देखने में आता है कि या तो फलां थानेदार के मार्फत चोरियां हुई या फलां कांस्टेबल से मिल कर चोरियां हुई। सवाई माधोपुर में पिछले तीन महीनों से चोरियों का तांता लगा हुआ है और एक भी चोरी पकड़ में नहीं आ रही है। जनता बराबर चोरियों के बारे में पुलिस अधिकारीयों को शिकायत करती आ रही है लेकिन अभी तक कोई भी जांच नहीं की गई और न कोई चोरी पकड़ में आई। गत 24 तारीख को जैन मन्दिर में चोरी हुई और उस समय वहां के चौकीदार ने जब आवाज लगाई कि चोर मूर्तियां ले जा रहे हैं तो चोर सामान पटक कर भाग गए। उस समय जुम्मे नामक कांस्टेबल आया और उसने चोरी का सामान इकट्ठा करना शुरू किया। चौकीदारनी ने जब यह कहा कि आप सामान तो इकट्ठा मत करो, चोर को पकड़ो। लेकिन वह चोर को पकड़ने के बजाय सामान को इकट्ठा करने लग गया। जब लोगों को मालूम पड़ा और जनता को मालूम पड़ा, असलियत का पता चला कि जिस समय का यह वाक्या है, रात को दस बारह बजे का, उस समय वहां के थानेदार शराब के नशे में मदहोश पड़े हुए थे। उन्होंने जनता की बात नहीं सुनी। यहां नहीं सुना गया तो जनता कलेक्टर के पास गयी, एस. पी. के पास गयी और रात्रि के समय जब कलेक्टर और एस. पी. साहब पधारे तो यह आश्वासन दिया गया था कि सुबह से पहले पहले थानेदारजी को लाइन में हाजिर कर देंगे। सुबह देखा गया तो थानेदारजी मूंछों पर ताव दे रहे थे और जनता को धोंस दे रहे थे जिससे जनता एकदम बौखलाई और उसमें उत्तेजना फैल गई। थानेदारजी का कुछ नहीं किया गया और कलेक्टर साहब वगैराह पधारे तो उन्होंने यह आश्वासन दिया, जनता ने कहा कि इनको सस्पेन्ड करो। उन्होंने कहा मैं इस बारे में सोचूंगा। उसी वक्त सोच लेते

(श्री मीठालाल)

और उचित कदम उठा लेते तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। बाद में जनता ने जो कुछ किया-यह सही है कि जनता के कुछ आदमी पुलिस से मिले हुए थे और उन्होंने मांग की कि थानेदारजी का काला मुंह करके गधे पर बिठा कर जनता में निकाला जाये। परन्तु वे जनता में नहीं निकले। जनता को कोई चेतावनी नहीं दी गई और कोई किसी तरह का आश्वासन नहीं मिलने पर उत्तेजना फैली, उस समय भी चेतावनी नहीं दी गई और अश्रुगैश छोड़ा गया, गोलियां चला दी गई। गोली से एक बच्चे के चोट आई एक बुढ़िया के चोट आई और वह छत से गिर गई। जो यहां पर यह कहा गया है कि 303 बन्दूक से फायरिंग किया गया है, तो मेरा यह निश्चित रूप से मानना है और मेरी जानकारी है कि 12 बोर की बन्दूक से गोली चलाई गई थी। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मुझे मन्त्री महोदय से यह जानकारी हासिल करना है कि अन्य शहरों के छोटे मोटे मामलों में ज्यूडिशियल इन्क्वायरी या सी. बी. आई. से इन्क्वायरी सरकार द्वारा करायी जाती है। तो सवाई माधोपुर में भी हड़ताल है. लोगों में उत्तेजना है इसलिए वहां पर सी. बी. आई. द्वारा इन्क्वायरी कराने में सरकार को क्या ऐतराज है। दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक सी. बी. आई. द्वारा जांच शुरू न की जाय जनता के किसी भी आदमी को गिरफ्तार न किया जाये। यह पुलिस वालों और जनता के बीच का मामला है। पुलिस जनता के निर्दोष आदमियों को पकड़ेगी। यहां पर एक माननीय सदस्य गफ्फार भाई ने साम्प्रदायिकता की बात कही है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जनता के सभी वर्गों का मामला है। जहां वे यह कहते हैं कि कॉन्स्टेबिल जुम्मा है तो दूसरा थानेदार दर्शनसिंह भी है। इसमें साम्प्रदायिकता की कोई बात नहीं है। इन अधिकारियों के खिलाफ सी. बी. आई. द्वारा जांच जल्दी से जल्दी की जानी चाहिये और इस ढंग से जनता को आश्वासन दिया जाये कि जो हड़ताल सवाई माधोपुर में चल रही है वह बन्द हो सके और जनता में यह विश्वास हो सके कि उनके साथ न्याय होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली मुख्य बात है और इसमें से ऐसा नजर आता है कि आज वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जनता के ऊपर कैसे चलता है। मैं तजुर्बे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार के जो जनता के आन्दोलन होते हैं उसमें जनता के साथ पुलिस का कैसा व्यवहार होता है। यह मूर्तियों की चोरी आज से नहीं कई महिनों से हो रही हैं और इसके खिलाफ अखबारों में एडीटोरियल भी लिखे जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आप स्पष्टीकरण मांगें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं यह मांग कर रहा हूं और यह सीधी सी बात है, एक तो बारह बजे सस्पेण्ड करने की बात कही गई है। वह सोधे रूप से सही न होकर झूठी नजर आ रही है। रात के 12 बजे थानेदार को सस्पेण्ड कर दिया गया होता तो शहर में कोई उत्तेजना न पैदा होती, यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मेरे पास में इत्तला है कि जब डी. आई. जी. वहां पर गये तो डी. आई. जी. ने मामले को सुलझाने के बजाय और उलझाया और लोगों

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

को धमकाया। जन आन्दोलन को कुचलने से जन आन्दोलन बन्द होने वाले नहीं हैं। पुलिस की कार्यवाहियों से जनता में असन्तोष है, थानेदार औरतों के साथ बलात्कार करता है और अमेरिकन लाबी के साथ मिलकर मूर्तियों की चोरी कराने की साजिश करता है। यह सब चोरियां पुलिस की साजिश से हो रही हैं। यह आम बात हो गई है कि सामन्त और पुलिस मिल कर यह धन्धा अमेरिका को सांठ गांठ से कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव रखा है। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि मन्दिर में जाने का रास्ता उस रात्रि के समय केवल कोतवाली के छप्पर से होकर ही जाने का था और कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है। जुम्मा नाम का जो कॉन्स्टेबुल ड्यूटी पर था वह वहां पर गया और जाते ही वह मूर्ति चोर को पकड़े उसके पहले उसने मूर्ति और उसके यन्त्रों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया उसने चोरों को पकड़ने की कार्यवाही नहीं की। उसने मूर्तियों और यन्त्रों को कपडे में बांधा और चोरों को भगा दिया। उसकी पहली ड्यूटी थी कि वह जाकर एस. एच ओ. को सूचना देता। परन्तु उसने यह नहीं किया और आ करके सो गया। वहां के जो एम. एल. ए. फारुक साहब हैं वह वहां पर गये और उसके बाद जनता गई। जनता ने जाने के बाद एस. पी. साहब से कहा, कलेक्टर साहब से कहा। दोनों वहां पर मौजूद थे और वे थाने पर आ गये थे। थानेदार से कहा रिपोर्ट लिखो किन्तु उसने नहीं लिखी। दूसरे थानेदार ने इसकी रिपोर्ट लिखी। जनता ने कहा इसको गिरफ्तार करो। रात्रि को कोई घटना नहीं हुई। प्रातःकाल जनता ने कहा, थानेदार को पकड़ो। एस. पी. ने कहा कि इसको गिरफ्तार करके ले चलो। सरकार ने यहां पर यह वक्तव्य दिया है कि काला मुँह करके इसको शहर में निकालो, तो इस प्रकार की कोई बात नहीं की गई है। सरकार का यह वक्तव्य झूठा है, निराधार है और प्रजातन्त्र में एक मन्दिर की चोरी के मामले में यह सरकार की सतर्कता का परिचायक नहीं है। जनता की राय जानने की कलक्टर ने कोशिश नहीं की है। कलेक्टर ने जनता को वार्निंग दिये बिना ही जनता पर लाठी प्रहार करा दिया, अश्रु गैस छोड़ा और गोली चलवा दी। एक मैया के लगी। यह गोली 12 बोर की बन्दूक से छोडी गई है। इससे एक मैया घायल हुई है और इस सबके पश्चात् जो घटना हुई है वह सब पुलिस वालों ने कंजरों को सहायता से कराया है। कंजरों की सहायता से जीप जलवाई गई, रिकार्ड जलवाया गया और यह बताने के लिये कि यह कार्यवाही जनता ने की है, जनता उग्र थी और जनता थाने में आना चाहती थी। मैं कहता हूं कि सवाई माधोपुर की जनता शांत थी। उसने वहां पर किसी प्रकार की कोई गड़बडी नहीं की। पुलिस ने और कलेक्टर महोदय ने जनता को डराया। जीप कंजरों की मदद से जलाई गई है और यह सब कलेक्टर ने और पुलिस वालों ने गोलीकांड को जस्टीफाई कराने के लिये किया है। सवाई माधोपुर की जनता निर्दोष है। वहां पर चोरियां होती रही और सरकार ध्यान नहीं दे, केस को

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
रजिस्टर नहीं करे तो इससे जनता दुखी है। मेरा निवेदन है कि उन पर केस नहीं चलना चाहिये, वे निर्दोष हैं। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वहां पर सरकार ऑन दी स्पॉट इनक्वायरी करावे और गरीब जनता को मुकदमे में नहीं फंसावे। जो दोषी हैं उनको सस्पेन्ड करना चाहिये, कार्यवाही करनी चाहिये, यही स्वस्थ प्रजातन्त्रीय परम्परा है। इसमें स्वतन्त्र पार्टी की बात नहीं है, जनसंघ दल की बात नहीं है और न कांग्रेस पार्टी की बात है। इस प्रकार का अन्याय हो, जनता को दबाया जाये और निरपराध जनता पर केसेज चलाये जायें और सदन में इस प्रकार की बात आवे तो हमारा कर्त्तव्य है कि उस पर सरकार का ध्यान दिलावें। मैंने इसी नाते स्थगन प्रस्ताव रखा है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि सवाई माधोपुर की जनता को जो कि निरपराध जनता है उसको बचावे और उन पर केसेज पुलिस द्वारा न चलाये जायें और साथ ही मैं गृह मन्त्रीजी से अनुरोध करूंगा कि जिन अधिकारियों ने इस प्रकार का अपराध किया है उनको दंड दिया जाये.....

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री महोदय।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय.......

श्री झाबरमल (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं.......

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर विवाद की आज्ञा नहीं दूंगा।

नियमों के अनुसार वक्तव्य दे दिया गया है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं क्लेरिफिकेशन के लिए। यह आम बहस की बात नहीं है। इसके बाद में महत्वपूर्ण काम करना है। बोलने का और मौका मिलेगा तो बोलें। इस मामले को यहीं पर समाप्त करें।

गृह मंत्रीजी वक्तव्य दें।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर के जैन मन्दिर की.......

श्री झाबरमल : एक अहम बात है.....

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस बात के महत्व को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब अपना जवाब दिया उस वक्त स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि यह घटना अच्छी नहीं है और इसकी जांच के अन्दर जो भी दोषी लोग हैं उनको सजा देने के लिए चाहे कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे जनता के असामाजिक तत्व हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने में सरकार नहीं हिचकिचाएगी। आम जनता के साथ में कोई भी इन्डिस्क्रिमिनेट्री कार्यवाही नहीं की जायगी। यह माननीय मुख्य मन्त्रीजी द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिए धर्म के नाम पर या उसका राजनैतिक लाभ लेने के लिए कोई भावना बनाकर इस मामले को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर सी. बी. आई. की एन्क्वायरी के लिए, जुडिशियल एन्क्वायरी के लिए पेश करना चाहते हैं तो मैं समझती हूं कि यह तथ्य नहीं है और माननीय सदस्यों की

Page No. 38

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
मांग वाजिब नहीं है.......

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरा सुझाव है.......

श्री अध्यक्ष : बोलने दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इस सदन की एक कमेटी बना दें उसकी जांच करने के लिए और उसके आधार पर मामला तय हो।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मेरी बात सुन लें और उसके बाद कहें।

जो दोषी अधिकारी पाये गये हैं, जैसे एस. एच. ओ., ए. एस. आई. और दो कॉन्स्टेबल्स जिनके बारे में जनता में रोष था, जनता जिनके बारे में आक्षेप करती थी और जिनके बारे में सरकार यह समझती है कि इनके कारण इस प्रकार की घटना हुई है, उनको सस्पेण्ड कर दिया गया है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी जैसा कि जांच के दौरान पाया जायगा।

दूसरी बात एक माननीय सदस्य ने यह कही कि हमें यह आशंका है कि कहीं सरकार अपनी गलती को छिपाने के लिए जनता के लोगों पर कोई मुकद्दमे बनवाये, गिरफ्तारियां करे, उसके बारे में यही कहना चाहता हूं कि वहां स्थानीय अधिकारियों के द्वारा नहीं बल्कि जयपुर की एन्क्वायरी टीम के द्वारा उस सारे मामले की जांच करवाई जा रही है और उसमें कोई गैर-वाजिब गिरफ्तारियां या गैरवाजिब कार्यवाही नहीं हो इस पर सरकार सचेत रहेगी।

दूसरी बात, आपने जो यह माननीय सदस्य ने ऐतराज उठाया है कि 12 बोर की बन्दूक वहां पर चली जिसके कारण से व्यक्ति घायल हुए। 12 बोर की बन्दूक सरकार के किसी आदमी की तरफ से, पुलिस ऑफिसर की तरफ से या कॉन्स्टेबल की तरफ से नहीं चलाई गई है और न 12 बोर की बन्दूक उस वक्त में उनके पास थी....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सब कहते हैं कि गोली चली....

श्रीमती कमला बेनीवाल : भीड़ को तितर-बितर करने के लिए जो अश्रु गैस के सैल्स छोड़े गये तो हो सकता है कि सैल्स के अन्दर के स्प्लन्टर्स लगे हों जिससे कि चोट आई हो। वर्ना 12 बोर की बन्दूक चलाने की जो आपने बात कही है वह गलत है, निराधार है....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं समझता हूं कि मैंने कहानी नहीं बनाई है....

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब आने दें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्य ने इस प्रकार से जो एक कहानी और बनाने की चेष्टा की है कि जीप जलाने का काम, कार्यालय जलाने का काम, दफ्तर के कागजात जलाने का काम जो है वह भीड़ ने नहीं की है और पुलिस वालों ने कंजरों को बुलाकर जान बूझकर यह कार्यवाही की है, यह तो कहानी बड़ी सुन्दर है उसको

Page No. 39

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
जो गढ़ने की चेष्टा की है वह बिल्कुल झूठी और निराधार कहानी है। यह एन्क्वायरी के दौरान स्पष्ट हो जायगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन करूंगा कि इस सारे मामले की जांच करायें....

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष पॉइंट ऑफ ऑर्डर। माननीय मन्त्री जी बोल रहे हैं और उनको इस तरह से डिस्टर्ब करें....

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया है कि बीच बीच में न बोलें। बाद में मौका मिलेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : जब जांच चल रही है तो मन्त्री महोदया का यह कहना कि यह कहानी झूठी है और मनगढन्त है वह कहां तक उचित है। वह जांच को इन्फ्लुएन्स करने की बात है। मन्त्री महोदया जांच अधिकारियों को प्रभावित कर रही हैं, अध्यक्ष महोदय....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : (मुख्य मन्त्री के बोलने के लिए उठने पर) जब सदन के नेता....

श्री गुमानमल लोढ़ा : सारे भारतवर्ष में....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : ....बोलने के लिए खड़े हों तो भी बोलते रहते हैं तो सदन की मर्यादा भंग करने की बात कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ....जैन मन्दिर की मूर्तियों की चोरी के प्रश्न को इस प्रकार ले रहे हैं....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : वहां पर साम्प्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.... (दोनों माननीय सदस्यों के एक साथ बोलते रहने के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सारी बात सुन लें....

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मन्त्रीजी।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : जिस तरह से....

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्री जी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्य ने जो इस प्रकार की बातें कहीं वे कहां तक वाजिब हैं। तो मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि आप धर्म के नाम पर, राजनैतिक लाभ लेने की बात, जनता की पैरवी करने का लाभ उठाने के नाम जो कहानी गढ रहे हैं वह एन्क्वायरी हो रही है तो उसको गढ़ कर उपस्थित नहीं करना चाहिये। आप इस मर्यादा को सोचें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जो तथ्य हैं वह पेश किये जायेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वहां पर यह साफ हो जायगा कि मैंने कहानी नहीं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
गई है। वहां के लोग कह रहे हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्य को····

श्री अध्यक्ष : विवाद को समाप्त किया जाय। विधायी कार्य।

विधायी कार्य

राजस्थान यात्री व माल कर (संशोधन) विधेयक, 1972

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल वैद) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री व माल कर (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री व माल कर (संशोधन) विधेयक 1972 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)
आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री व माल कर (संशोधन) विधेयक 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 62 के अन्तर्गत राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) अध्यादेश, 1971 को जारी करने के कारणों का विवरण सदन को मेज पर रखता हूं।

स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत खत्म हो गई। हमें बोलने के लिए समय नहीं मिला है········

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक निवेदन यह करना है कि जो मैंने आज स्थगन प्रस्ताव दिये थे····

श्री अध्यक्ष : आप चैम्बर में आकर पूछ लें। स्थग प्रस्तावों के बारे में कोई जानकारी करना हो तो आप चैम्बर में आकर बात कर लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव :····उन प्रस्तावों को जिस प्रकार से रोज आप यहां सदन में पढ़ते हैं और पढ़कर अस्वीकार कर देते हैं····

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बून्दी) : विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य जो हैं····

श्री अध्यक्ष : चैम्बर में आकर जानकारी कर लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं मांग करता हूं कि जो मैंने आज स्थगन प्रस्ताव रखे थे वे महत्व के थे जिनमें जयपुर शहर नगर परिषद को जो 9 लाख रुपया बाकी कर्जा दिया गया है वह लैप्स होने वाला है उसके संबंध में था····

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दे दी बैठने के लिए उसके बाद भी सदस्य बोलते जा रहे हैं तो किस नियम के तहत बोल रहे हैं। आपने इजाजत नहीं दी है तब भी

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)
माननीय सदस्य बराबर बोलते जा रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं जानकारी चाह रहा था, अध्यक्ष महोदय से।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिन स्थगन प्रस्तावों का जिक्र यहां पर नहीं किया गया है वे या तो देरी से आये होंगे या उनके लिए और कुछ कारण होगा। उनके बारे में आप जो कुछ भी जानना चाहें वह मेरे चेम्बर में आकर मुझसे पूछ लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं समझता हूं कि मैं प्रारम्भ से ही यहां पर बैठा हुआ हूं। आपने केवल एक ही स्थगन प्रस्ताव पर कहा है....

श्री अध्यक्ष : एक नहीं कई स्थगन प्रस्ताव हैं जिनके बारे में मैंने नहीं कहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं केवल सरकार से जानकारी प्राप्त करना चाहता था। मैंने जो आज आपको सवेरे स्थगन प्रस्ताव रखे हैं उनमें एक बनास योजना के बारे में जो अनुदान दिया गया है जो कि 31 मार्च को लैप्स हो जायगा है, और 9 लाख के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव मैंने रखा है उसमें जून का समय दे दिया गया है तो मैं चाहता हूं कि उनका भी बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि जो स्थगन प्रस्ताव देर से आये हैं उनको स्वीकार आज के लिए नहीं किया गया है और किसी दिन के लिए किया जायगा। और कोई जानकारी करना चाहें तो मेरे चेम्बर में आकर कर सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव एक समय तक ही लिये जाते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह समय बता दें।

श्री अध्यक्ष : साढ़े नौ बजे तक।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने नौ बजे स्थगन प्रस्ताव दे दिया था।

श्री अध्यक्ष : यह विषय यहां पर विवाद का नहीं है। चेम्बर में आकर बात कर लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 9 बजे स्थगन प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा कि चेम्बर में आकर जानकारी कर लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसको आज लेना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : 9 बजे तो दफ्तर ही नहीं खुला देंगे कहां से ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सबसे पहले मैं ही आया था और आते ही मैंने स्थगन प्रस्ताव दे दिया।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में जो कुछ मुझे कहना था कह दिया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उसको इस प्रकार से छोड़ दें........

श्री अध्यक्ष : (पत्रावली देखकर) 10.25 पर रिसीव हुआ है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दफ्तर ही उस समय खुला था ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, अच्छा हो यहां पर आप एक चौकीदार बैठा दें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बनास योजना के बारे में····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं आप से कई बार कह चुका हूं ।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

आपसे कितनी दफा निवेदन करूं । विशेष रूप से आप माननीय सदस्य अक्सर नियमों की अवहेलना करते हैं । अगर स्थगन प्रस्ताव बाद में आता है····

(व्यवधान)

आपका स्थगन प्रस्ताव 10.25 पर आया है । जबकि 9-30 पर आजाना चाहिए । आप जो भी जानकारी चाहें तो चेम्बर में आकर मिल लें । आप को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए । मेरा नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन है । आप चेम्बर में आकर मिल सकते हैं । आप का प्रस्ताव 10.25 पर आया है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि 9.30 पर यहां स्थगन प्रस्ताव ले लिये जाया करें ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, ये जन संघियों का सिलसिला तो कभी खत्म नहीं होगा । मेरा अर्ज करना यह है कि कुछ लोगों की भूख हड़ताल चल रही है । आज के बाद हाउस कुछ दिन होगा नहीं । तो उनके बारे में····

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या अध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कोई अधिकारी यहां पर रहे जो स्थगन प्रस्तावों को ले सके ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : लोढ़ा साहब अधिकारी की बात करते हैं । मेरा अर्ज करना है कि जिन लोगों ने हड़ताल कर रखी है, अगर स्ट्राइक ज्यादा चल गई तो दिक्कत होगी ।

श्री अध्यक्ष : सेक्रेटरी महोदय यहां पर आ गये थे । 9-30 बजे आ गये थे ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं तो कुछ और अर्ज कर रहा था ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, यह तो 50 करोड़ मांग रहे हैं । शहरों में लान सींचने के लिए, बाबुओं को नहलाने के लिए । मैं तो गांवों की जनता के लिए जहां पीने का पानी नहीं मिलता है उनके लिए कह रहा हूं । ये तो बड़े लोग हैं । आप तो रिक्शे वालों की सुनिये, तांगे वालों की सुनिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह भी एक काम है । अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, इन सारी बातों पर सदन में विचार करना चाहिए ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : भार्गव साहब तो चाहते हैं कि टैम्पू वालों के बारे में कुछ

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)
नहीं उठाया जाये। इसलिए शक होता है कि जनसंघ वालों के टैम्पू शहर में चल रहे हैं।

(भारी शोरगुल-अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अश्रव्य)

(लगातार साथ साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! ऐसे कब तक चलेगा। आखिर कार्यवाही आगे चलाना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अश्रव्य)

(लगातार साथ साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तशरीफ रखें। स्थान ग्रहण करें।

(लगातार शोरगुल, अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (श्री भार्गव से) आप बैठो तो हम बैठेंगे। आप खड़े होंगे तो मैं खड़ा होऊंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे किसी प्रकार की आपति नहीं है। मैं तो वाजिब मांग को हाउस में रखूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप की भी वाजिब मांग है?

(शोरगुल-अश्रव्य)

उनका पता है, जहां 20, 20 मील से पानी आया करता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (अश्रव्य)

(लगातार साथ साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री शोभाराम जी!

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : देख लो दुकानदारों को।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गाय की पूंछ पकड़ कर आप आये हैं....

(लगातार शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ....हजारों बच्चों का जीवन नष्ट किया है।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : XXX

कई माननीय सदस्य एक साथ : XXX

(लगातार शोरगुल-अश्रव्य)

X X X अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (श्री भार्गव से) आप खड़े हो, तो मैं भी खड़ा हूं।

श्री अध्यक्ष : और कुछ बाकी रह गया हो तो वह भी हो जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करिए।

मा. श्री शोभाराम जी।

(शोरगुल)

श्री गफ्फार अली : जनसंघ वालों के कितने टेम्पो हैं वे बतायें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज उन पर हमदर्दी जाहिर करने के लिए उनकी वकालत करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शोभाराम जी।

(अनवरत शोरगुल)

एक माननीय सदस्य : आप धोखा दे रहे हैं आपको बैठना चाहिए।

श्री अध्यक्ष । माननीय सदस्य।

श्री शोभाराम जी।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण श्री शोभाराम द्वारा

श्री शोभाराम (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि परसो के दिन जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर वाद विवाद चल रहा था तो मुझे कल मालूम पड़ा कि एक माननीय सदस्य श्री मूलचन्द जी सापरिया ने दो प्रकार के आरोप मेरे ऊपर लगाए। एक तो यह कि इलेक्शन के पूर्व गारन्टियों के शराब के ठेकेदारों से दस लाख रुपया लिया। दूसरा आरोप यह लगाया कि मेरे कहने से आबकारी कमिश्नर ने टेलीफोन किया कि दौसा में रामेश्वरदास, बंसीदास को चार सौ बोतलें शराब की निकाल दें। बदकिस्मती से उस रोज मैं उपस्थित नहीं था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये दोनों आरोप बिलकुल गलत और निराधार हैं और फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि इन माननीय सदस्य के पास दोनों आरोपों के सम्बन्ध में प्रमाण हों तो मुख्य मन्त्रीजी के पास भेजें और मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि जैसाकि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इनके सम्बन्ध में जांच होनी चाहिए, मुख्य मन्त्री जी इनकी जांच करें मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी।

आय व्ययक

लेखानुदान (Vote on Account) से सम्बन्धित प्रस्ताव

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल वैद) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची के स्तम्भ चार में दिखाई गयी राशियों के अनधिक जो कुल मिलाकर 1,45,58,41,000 (एक सो पैंतालीस करोड अठावन लाख और इकतालीस हजार) रुपये मात्र होगी, अलग अलग रकमें लेखे में मांग संख्या 1 से 46 के प्रति 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान मांग शीर्षकों के सम्बन्ध में उनके दूसरे स्तम्भ में प्रविष्ट व्यय के प्रति या व्यय करने के लिए राज्यपाल को अनुदत्त करदी जाय।

(विराम)

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : मैं पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करता हूँ।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे थोड़ा निवेदन कर लेने दीजिए।

चूंकि यह लेखानुदान है लोक सभा और सब विधान सभाओं में यह परम्परा है कि लेखानुदानों के ऊपर बहस नहीं हो इसलिए निवेदन करूंगा कि बिना बहस के ही स्वीकृत कराया जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं इस पर पाइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, इस पर यह निवेदन करूंगा कि संविधान की धारा 206 के निरीक्षण से पता चलता है जिसको श्रीमान के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए निवेदन करूंगा कि संविधान की धारा 206 के अनुसार जिसमें यह लिखा हुआ है—

"The provisions of articles 203 and 204 shall have effect in relation to the making of any grant under clause (1) and to any law to be made under that clause as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure mentioned in the annual financial statement and the law to be made for the authorisation of appropriation moneys out of the Consolidated Fund of the State to meet such expenditure."

अब श्रीमान् यह वोट ओन अकाउन्ट धारा 206 के तहत है परन्तु संविधान की धारा 203 और 204 में यह आवश्यक है। संविधान की धारा 203 का पार्ट आपके सामने पढ़ूंगा। संविधान की धारा 203 का जो भाग 3 है वह इस प्रकार है :

Procedure in Legislature with respect to estimates—

203 (3) No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the Governor.

अतः धारा 206 के प्रावधान के अनुसार धारा 203 का पालन आवश्यक है। और धारा 203 के पालन के अनुसार मैं निवेदन करूंगा कि इसके पहले कि कोई प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा जाय वोट ओन अकाउन्ट के लिये आवश्यक यह है कि उसमें श्रीमान् राज्यपाल के द्वारा सिफारिश की जाय। इसके साथ मैं, हमारे रूल्स ऑफ प्रोसिजर हैं उसके रूल 150 को श्रीमान् के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा और उसके अनुसार यह आवश्यक है—

"150. Vote on Account.—(1) A motion for vote on account shall state the total sum required and the various amounts needed for each department or item of expenditure which compose that sum shall be stated in a schedule appended to the motion.

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

(2) Amendments may be moved for the reduction of the whole grant or for the reduction or omission of the items whereof the grant is composed.

(3) Discussion of a general character may be allowed on the motion or any amendments moved thereto, but the details of the grants shall not be discussed further than is necessary to develop the general points.

(4) In other respects, a motion for vote on account shall be dealt with in the same way as if it were a demand for grant."

अब श्रीमान् इसके साथ में रूल 140 का निरीक्षण करेंगे तो स्पष्ट हो जायगा कि—

140. Demand for grants.—(1) No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the Governor.

अब जो मेरी आपत्ति है संवैधानिक वह इस प्रकार है—

प्रथम आज सदन के सम्मुख जो बजट प्रस्तुत किया गया है और बजट के साथ में जो स्पीच श्रीमान् वित्त मन्त्री महोदय ने दी है उसको पढ़ने से और बजट के साथ पढ़ने से वोट ग्रोन अकाउन्ट श्रीमान् के सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें वैधानिक आपत्ति यह है कि संविधान की धारा 206 और 203 को साथ में पढ़ने से स्पष्ट है कि यह सारा का सारा फाइनेन्शियल मैटर है और राज्यपाल की सिफारिश के साथ ही इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। जो प्रतिलिपि दी गयी है मोशन की उसमें कहीं भी राज्यपाल के द्वारा इस प्रस्ताव को सदन के अन्दर स्वीकृति के लिए सिफारिश नहीं है। धारा 206 के अनुसार आवश्यक है।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन सर। राज्यपाल महोदय की सिफारिश इसके साथ संलग्न है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : रूल्स ऑफ प्रोसीजर की धारा 150 और 140 के अनुसार भी आवश्यक है। इस विधान सभा के द्वारा 145 करोड़ 58 लाख 41 हजार की राशि की स्वीकृति दे दी जाय उसके लिये पहले राज्यपाल की स्वीकृति हो। निश्चित रूप से बताया जाय कि किस अवधि के लिये है और वह अवधि स्पेसिफाइड होनी चाहिये। विशेष रूप से रूल 150 है उस पर डिस्कशन, डिबेट, विवाद और माननीय सदस्यों को विचार प्रकट करने की आज्ञा देनी चाहिये। माननीय वित्त मन्त्री चाहते हैं कि चुपचाप बिना वाद विवाद के राज्यपाल की सिफारिश के बिना इसको पास कर दिया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि संविधान की धारा 203, 206 और बिजनिस रूल्स के रूल्स 140 और 150 का उलंघन है इस पर अध्यक्ष महोदय अपनी रूलिंग प्रदान करें।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय सदस्य ने जो आपत्ति प्रस्तुत की है उन्होंने सम्भवतः अनुदान की जो प्रतियां दी गयीं हैं उसके अन्तिम पृष्ठ को नहीं देखा है जिसमें राज्यपाल की सिफारिश संलग्न है। दूसरी बात आपने यह कही कि किस अवधि के लिये तो वह अवधि भी नोट के साथ में दी हुई है। इसलिये यह आपत्ति निराधार है और निरर्थक है इसको अस्वीकार किया जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : निरर्थक है इसलिये इसको अस्वीकार किया जाय और सदन का फालतू समय लिया है उसके लिये कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : आपत्ति दो तीन प्रकार की उठायी गयी एक तो यह है कि किसी भी वोट ऑन अकाउन्ट को डिस्कशन में लेना चाहिये और दूसरा राज्यपाल की स्वीकृति भी ली जानी चाहिये। उनका यह कानूनी मसला तो ठीक है। लेकिन उस पर अमल हो गया जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया, गवर्नर महोदय की स्वीकृति आ गई, आपको सरक्यूलेट हो गई। तो यह आपकी आपत्ति दूर हो गई। दूसरी बात यह कही उसमें यह जिक्र आना चाहिये, टोटल सम कितना होना चाहिए वह टोटल सम इसमें मेन्शन है। तीसरी बात कही कि कितने पीरियड के लिए हैं। वह भी आ गई है। चौथी बात इस पर वादविवाद के लिए कही गई, रूल 150 का हवाला दिया गया। उसमें यह बात तो है कि जनरल डिस्कशन टाइप का हो सकता है। तो बात तो ठीक है, लेकिन इसमें परम्परा हमारे यहां यह रही है, इस रूल के बावजूद भी कि 1962 के अन्दर और उसके पहले दो तीन मौके आये हैं वोट ऑन अकाउन्ट के, तो वोट ऑन अकाउन्ट तीन दफा पहले वादविवाद में पड़े बिना पास किये हैं। पार्लियामेन्ट में भी जब वोट ऑन अकाउन्ट आया है, वह बगैर वादविवाद के पास किया है। मैं आपका हक बोलने का इस सम्बन्ध में छीनना नहीं चाहता। दो रास्ते हैं इस सम्बन्ध में, एक तो यह है, वोट ऑन अकाउन्ट का प्रस्ताव रखा है उस पर अपन बिना कुछ कहे इजाजत दे दें, दूसरी बात कहना चाहे वह....

श्री खेतसिंह : एप्रोप्रियेशन बिल पर।

श्री अध्यक्ष : दूसरा तरीका यह है कि अभी एप्रोप्रियेशन बिल आयेगा उस पर कह दें। बात एक ही है, आपको समय भी मिल जायेगा और मेरा सुझाव है, पहले की जो परम्परा रही हैं और पार्लियामेन्ट का जो प्रॉसीजर है वह भी रह जायगा। अथोरिटी में आपको बताऊं....

श्री केदारनाथ : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : पढ़ कर सुना दूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : एप्रोप्रियेजन बिल पर बोल लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : Vote on account is a formal business and as such there is normally no discussion in the House thereon, the idea being simply that Government functions should not come to a standstill because of the absence of the vote of the House

authorising the expenditure. On the day on which the vote on account is taken up in the House other Legislative business may also be put down on the agenda.

पूरा बजट आपके सामने आयेगा, और पूरी डिमाण्ड पर आपको बहस करने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। अभी इन्टरीम जो प्रस्ताव है, जैसे उचन्त मांग लें, वोट ऑन अकाउन्ट, उचन्त की रकम सा है, वह मांगते हैं और उस पर आप मन्जूरी देते हैं। मैं इस पर यह निर्णय देता हूं कि एप्रोप्रियेशन बिल पर डिस्कस कर लें और वोट ऑन अकाउन्ट बगैर डिस्कशन के पास कर दें। तो यह दोनो चीजें हो जायगी आपको अवसर मिल जायगा, और जैसा आप चाहते हैं वह हो जायगा।

मैंने जो प्रस्ताव रखा है, उसे हाउस के सामने रखता हूं।

प्रश्न यह है कि इस (प्रस्ताव) को स्वीकार किया जाव।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अब मैं इसकी डिमाण्ड आपके सामने रख रहा हूं।

सन् 1972 73 के लिए लेखानुदान (Vote on Account) से सम्बन्धित मांगे।

मांग संख्या 1

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू—राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,14,91,-000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 2

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 41,78,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 3

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,46,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 4

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के

(श्री अध्यक्ष)
सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,26,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 5

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,83,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 6

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14—स्टाम्प्स के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,03,000 रुपये तक की राशि प्रदान को जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15—पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,24,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 8

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 18—संसद राज्य / संघ राज्य क्षेत्र विधान सभा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22,27,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 9

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,25,61,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

Page No. 50

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 10

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 29,32,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के सम्बन्ध में 21 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,67,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,29,65,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 13

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 13 मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 40,15,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावें।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 14

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22,10,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या 15

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,81,18,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावें।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 16

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के सम्बन्ध में 31, मार्च, 1973 को समाप्त होन वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,27,78,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावें।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 17 मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,21,28,000 रुपये तक कि राशि प्रदान जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30—का परिवार नियोजन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 69,22,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या 19

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,03,26,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 90,84,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 21

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 37,25,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

Page No. 52

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 22

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 34—उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21 31,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,66,83,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावें।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 24

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38—श्रम और नियोजन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 28,35,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 88,40,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 26

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,28,54,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 27

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43—सिंचन, नौचालन, तटबंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यक) 44—सिंचन, नौचालन, तटबंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) 44—सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री अध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को 2,80,97,000) रु. तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 28

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य-भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय—

52—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत—के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,19,94,000) रुपए तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,14,09,000) रुपए तक की राशि प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 30 मुख्य शीर्षक 65—निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ 72—निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये व्यय जाने वाले के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,06,99,000) रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृति)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 31

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 66—प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के संबंध में 31 मार्च, 1973, को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,25,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 67—भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री अध्यक्ष)

2,20,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 68—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,54,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 34

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70—वन के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 67,31,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या 35

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71—विविध के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,01,88,000) रुपए तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 36

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 76—अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभिहस्तांकन के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,36,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 37

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 92—भूमिधारकों आदि की जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13 75,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 38

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 29,05,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95— कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,000) रु. तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 40

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 35,14,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 93—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत,

99. सिंचन, नौचालन, तटबंधन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक),

100. सिंचन, नौचालन, तटबंधन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,12,86,000) रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 103—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,49,78,000) रुपए तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 43

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 109—अन्य निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000) रुपए तक की राशि प्रदान की जावें।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 44

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 120-निवृत्ति वेतनों के संराशिकृत मूल्य के भुगतान के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,50,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावें।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 45

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,99,10,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 46

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक था—राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,32,76,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

विधेयक

राजस्थान विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1972

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री, श्री चन्दनमल वैद।

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1972 को सदन में पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : जो बोलना चाहे इस विधेयक पर वह बोलें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा ।

(1.42 म. प)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, और माननीय वित्त मन्त्री यह चाहते हैं कि इस विधेयक को पारित कर दिया जाय । मुझे इस बात का खेद है कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ हूं । सबसे पहले मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि आज हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि इतिहास बदल रहा है । भूगोल बदल रहा है । मैं वित्त मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतिहास नहीं बदल रहा है भारत वर्ष का और न भूगोल बदल रहा है भारतवर्ष का इतिहास तो कांग्रेस का बदला है । आज कांग्रेस को जो भारत और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ था और उसमें पाकिस्तान का एक टुकड़ा जो कि कभी हमारे भारतवर्ष का हिस्सा था और आज बंगला देश बन गया है । आज विजय श्री भारतवर्ष को मिलने के बाद भी, लाखों भारत माता के सपूतों की जान देने के बाद भी, लाखों भारत माता के लाडलों के मरने के बाद भी, लाखों भारत माता के वीर बच्चों की जान जाने के बाद हमने सफलता प्राप्त की पर वह, भारत का एक अंग, जो था वह अभी भी भारत का अंग नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, हमने भारत माता की आजादी के लिये, भारत माता की स्वतन्त्रता के लिये जो लाखों भारत माता के बच्चों की जाने गवां कर जो आजादी प्राप्त की, पर दुर्भाग्यवश इसी कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिशों से मिलकर, मुस्लिम लीग से मिलकर हमारी भारत माता के, हमारे देश के दो टुकड़े सन् 47 में करा दिये । उपाध्यक्ष महोदय, सन् 47-48 में जब पाकिस्तान ने हमारे भारत के क्षेत्र पर, काश्मीर पर आक्रमण किया और जब हमारी वीर सेनायें काश्मीर में उन्हें खदेड़ रही थी, उन्हें भगा रही थी तो इन्हीं कांग्रेस के प्रधान मन्त्री महोदय ने हमारी फौज को लड़ाई बन्द करने का आदेश दे दिया । इसी कांग्रेस सरकार ने हमारे सेना के वीर सिपाहियों के पैरों में जंजीर डाल दी । इस प्रकार आज हमारे भारतवर्ष के काश्मीर के अन्दर पाकिस्तानी भेड़ियों ने हमारी 30 हजार वर्ग मील जमीन हथिया ली । इसी प्रकार इन पाकिस्तानी भेड़ियों ने, उपाध्यक्ष महोदय, बेरूवाली में और कच्छ में हमारे राजनैतिक नेताओं की गफलत से जमीन हड़प ली । उपाध्यक्ष महोदय, ये पाकिस्तानी भेड़िये, ये पाकिस्तानी लुटेरे आज तक हिन्दुस्तान को इस कांग्रेस की मूर्खता से लूटते आ रहे हैं । हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा कर रहे हैं । आज लाखों वर्गमील हमारे भारतवर्ष की जमीन पर यह कब्जा किये हुए हैं । इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, चीन भी हमारे भारतवर्ष की लाखों मील जमीन पर नाजायज कब्जा इस कांग्रेस की सरकार की लापरवाही से कब्जा किये बैठा है । आज तक

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पाकिस्तानी भेड़िये हमारी जमीन पर बैठे हैं, ये चीनी डाकू हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा करके हमें ललकार रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसे इतिहास बदलना नहीं कहता और न ही मानता हूं कि भूगोल बदल रहा है या भूगोल बदला है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक जो सन् 47 में हमारी भारत माता के दो अंग हो गये थे वो आज तक उसी प्रकार अलग अलग हैं। मैं भूगोल बदलना उस वक्त मानूंगा जब भारत एक हो जाय। और हमारे हिस्से की कोई भी जमीन पाकिस्तानी भेड़ियों के पास नहीं रहे। उस वक्त मैं कहूंगा कि भूगोल बदल गया है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात आपको और निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जब भारतवर्ष पर पाकिस्तानी भेड़ियों ने हमला किया, और हमारे सैनिक जो कि राजस्थान की सीमा पार छाछरों तक पहुंच गये थे हमारे वीरों ने छाछरों विजय कर लिया था और इधर पाकिस्तानी फौज ने हमारे सामने घुटने टेक दिये थे और हमारी फौजें लगातार आगे बढ़ रही थीं। हमारे वीर लगातार आगे बढ़ कर कब्जा कर रहे थे उस वक्त हमारी भारत सरकार ने उन्हें रोक दिया। आगे बढ़ने की अगर कांग्रेस सरकार आदेश देती या उन्हें नहीं रोकती तो आज हमारी फौज दूसरी जगह होती। पर हमारी सरकार ने उन्हें रोक लिया आगे बढ़ने से। उपाध्यक्ष महोदय, आज आपके मार्फत मैं भारत सरकार से राजस्थान के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से अगर वो यह विश्वास मुझे दिला दें कि जो जमीन हमने हमारे भारत माता के लाड़लों की जान देकर जीती है वह पाकिस्तानी भेड़ियों को, पाकिस्तानी लुटेरों को वापिस नहीं देंगे। वो जमीन जो कि हमारे भारतवर्ष का अंग थी वह हम वापिस नहीं देंगे तो मैं मानूंगा की आज भूगोल बदला है पर भूगोल बदला नहीं है। अगर मन्त्री महोदय की ओर से ऐसा आश्वासन मुझे मिल जाय कि वह जमीन हमारे पास ही रहेगी तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करूंगा। मैं उनके नाम की लोरिया गाऊंगा। मैं उनके गीत गाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी समाचार पत्रों में छपा है कि अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसा प्रस्ताव भारत सरकार के सामने रखा है कि जो पाकिस्तान के साथ सन् 48 में विराम रेखा मानी थी उसी पर सभी वापिस चले जायं और जो हमारी 30 लाख वर्गमील जमीन पाकिस्तानी भेड़ियों ने ले ली थी। वह उन्हीं के पास रहने दी जाय। ये उसके पास रहने दी जाय, जिस पाकिस्तान ने बंगला देश में अत्याचार किये, इतने नर संहार किये लाखों को मार दिया, लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार किया जिससे मानवता के नाम पर कलंक लगे वो कार्य किये। जिन्होंने मानवता को आज तक पीसा और आज जो गरीब लोग छाछरों में रहते हैं वो वहां पर पाकिस्तान के नीचे नहीं रहना चाहते उन्हें वापिस पाकिस्तानी भेड़ियों को आज आप सौंपने को तैयार होने जा रहे हैं। आप आज जो कम्यूनिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव रखा है, जिसके पीछे मास्को से भारतवर्ष की सरकार के पास आदेश आया है कि जो सन् 48 में विराम रेखा बनायी गयी थी, विदेशी लुटेरों ने जो फैसला किया था उसे ही माना जाय और जो जमीन हमारे भारतवर्ष के नौ

Page No. 59

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

निहालों ने जीत कर, अपने खून की होली खेलकर अपने कब्जे में किया उससे अगर आप वापिस नहीं दो तो मैं समझूंगा कि आज भारतवर्ष का भूगोल बदल रहा है। पर उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कांग्रेस पार्टी पर, भारत सरकार पर ऐसा दबाव डाला जा रहा है कि जो जमीन हमने जीती थी वह वापिस पाकिस्तानी भेड़ियों को दे दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको सही स्थिति और बतादूं कि अगर हमारी सरकार हमारे सैनिकों के लिए छाछरों पर समय पर पानी की व्यवस्था कर देती, अगर हमारे फौजियों को समय पर खाने की व्यवस्था कर देती तो, उपाध्यक्ष महोदय, अपनी फौज छाछरों से आगे जाकर हैदराबाद, मीरपुर खास तक कब्जा कर लेती और हमारे देश का तिरंगा झण्डा वहां पर लहराता। परन्तु दुर्भाग्यवश हमारी सरकार ने हमारे सैनिकों को पानी समय पर नहीं पहुँचाया, जिससे हमारी फौज आगे नहीं बढ़ सकी। उपाध्यक्ष महोदय, पानी की व्यवस्था हमारी फौज के लिए जो हवाई जहाज द्वारा की गयी वह दो तीन दिन बाद की गयी। वरना हमारी फौज इन पाकिस्तानी भेड़ियों को मीरपुर और हैदराबाद के आगे तक खदेड़ देती। पर हमारी कांग्रेस सरकार तो यह चाहती ही नहीं इसलिये उसने अपनी विजेता फौज को आगे बढ़ने से इन्कार किया, और आज हमारा अधिकार सिर्फ छाछरों तक ही रहा। पर ऐसा होने का एक कारण और था वह यह कि इस देश में आज भी जैसलमेर, बाड़मेर और राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में जहां पर पाकिस्तान की सीमा लगती है वहां आज भी देश द्रोही ऐसे बैठे हैं जो कि पाकिस्तान समर्थक हैं। आज भी देश के उस इलाके में ऐसे गद्दार बैठे हैं जो पाकिस्तान के गीत गाते हैं। आज भी, उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर और जैसलमेर के इलाके में ऐसे इन पाकिस्तानी भेड़ियों के खरीदे हुए गुलाम, देश के गद्दार बैठे हैं जो कि पाकिस्तान की लोरियां गाते हैं। पर हमारी सरकार उन देश द्रोहियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती। हमारी सेनाओं ने सूचित किया, हमारे सी. आई. डी. स्टाफ ने सूचित किया कि इन सीमावर्ती इलाकों में आज भी ऐसे लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान के ऐजेन्ट हैं पर राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी सरकार क्या इतिहास बदलेगी। आज उन लोगों को जिन्होंने पैसों के खातिर हमारे देश का सौदा किया हमारे देश की खबरें पाकिस्तान को दीं। हमारे देश के टुकड़े करने में जो आज मदद कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं आपको एक उदाहरण दूं, उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर और जैसलमेर इलाके के कुछ प्रभावशाली कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ राज्य सरकार को तथा भारत सरकार को पुलिस ने इत्तिला दी, कलेक्टर की तरफ से इत्तिला आयी और तो और उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, डी. आई. आर. में उन्हें रखा पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और उन्हें छोड़ दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, कितने खेद का विषय है

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कि उन्हें जेल भेजना तो दूर पर उन्हें इस कांग्रेस सरकार ने ऐसे ही लोगों को कांग्रेस का टिकट देकर उन्हें यहां पर इस सदन में लाकर बिठाया। ऐसे गद्दारों को, देशद्रोही लोगों को, आपने यहां लाकर बिठाया और जो राजस्थान के होम कमिश्नर ने, राजस्थान के जो होम सेक्रेट्री ने तथा राजस्थान के पुलिस विभाग ने बार बार राजस्थान सरकार को इत्तला दी कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाय। और इन पर मुकदमे चलाने चाहिये पर इस कांग्रेस सरकार ने मुकदमे चलाने की स्वीकृति नहीं दी। और जो देश के खिलाफ षड़यन्त्रकारी थे उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय आपके मार्फत राजस्थान सरकार के मुख्य मन्त्री को राजस्थान सरकार के वित्त मन्त्री को कि आपने उन लोगों के खिलाफ में एक्शन क्यों नहीं लिया। आज जो देशद्रोहता करते हैं उन्हें आप कुछ नहीं कहते और हमें आप साम्प्रदायिकता की जड़ कहते हैं। आज अगर सदन में सवाल पैदा होता है मुख्य मन्त्री जी के सामने सवाई-माधोपुर के मन्दिर की मूर्तियों की चोरी का तो हमें साम्प्रदायिक कहा जाता है। आज लोग चोरी करें, मन्दिरों में चोरी हो वहां की जनता सभी मिल कर चोरों के खिलाफ आवाज उठायें तो हम साम्प्रदायिक। और अगर काश्मीर में हजरत पैगम्बर मोहम्मद सहाब का बाल गुम जाता है तो सारे हिन्दुस्तान की पुलिस उसके पीछे लग जाती है। और उस चोरी के मामले को लेकर देश में देशव्यापी हड़ताल की जाती है, बड़े आन्दोलन किये जाते हैं। और बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर इसके लिये नियुक्त किये जाते है कि इस चोरी को तुरन्त खोली जाय। जब तक वह नहीं मिले देश में भारत में आग लग गयी मैं जानना चाहूंगा कि उनकी बोली क्यों मौन है, क्यों चुप हैं, क्यों नहीं बोलते। क्या मैं इसका इस प्रकार से निष्कर्ष निकालूं कि पाकिस्तानी तत्वों के ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाने के लिए उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी जबान शांत है। यहां पर केवल जनसंघ और उनके लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जब बाड़मेर के ऊपर हमला हुआ, यह मेरा ही कहना नहीं है बल्कि राजस्थान सरकार के जिलाधीश की रिपोर्ट है कि जब पाकिस्तान ने बाड़मेर पर हमला किया और सेबरजेट बम्ब गिरा रहे थे बाड़मेर का स्टेशन धूं धूं कर जल रहा था, वहां पर पेट्रोल की टंकियां पड़ी हुई थीं, वहां पर आग से विस्फोट हुआ और सारा सामान आग से जलने वाला था तो यही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग थे जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर और अपने हाथ जलाकर पेट्रोल को बचाया था। जिलाधीश ने कहा कि मत जाओ, सेबरजेट बम्ब गिरा रहे हैं, तुम समाप्त हो जाओगे, जिले के और सरकारी अधिकारी जाने को तैयार नहीं, सिविल डिफेंस के लोग जाने को तैयार नहीं, आर. ए. सी. के जवान जाने को तैयार नहीं लेकिन वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग थे जिन्होंने अपने आपको जोखिम में डाल कर, पेट्रोल की टंकियों पर बम्ब गिराये जा रहे थे परन्तु मौत का परवाह न करते हुए पेट्रोल को बचाने के लिए कूद पड़े और पेट्रोल की टंकियों को निकाल लाए और इस प्रकार से राजस्थान को, भारत सरकार को हमारे जवानों को

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

और हमारे देश की उन लोगों ने सेवा की। आज उन्हें साम्प्रदायिक कहा जाता है। आज उन पर कटाक्ष किए जाते हैं और जिन्होंने पाकिस्तान की सेनाओं को लोंगेवाला में आने का निमंत्रण दिया, देश के साथ गद्दारी की उनके बारे में कुछ भी कहने के लिए उनकी जबान बन्द है।

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि लोंगेवाला में पाकिस्तान के सेवरजेट कैसे आये, क्या कारण था? जोधपुर नगर के अन्दर तीन तारीख को जिस समय सेवरजेटों ने पहली बार बम्बारी की, मेरे मकान से एक माइल की दूरी पर ही ठीक हवाई अड्डा था और मिलट्री का डिपो था, पेट्रोल की जहां पर टंकियां थीं और पेट्रोल का भण्डार था वहां पर गोलाबारी की गई। क्यों की? मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार पाकिस्तानी तत्व थे जिन्होंने उनको सही सूचनाएं दीं और उनको नक्शे भेज दिये जिसके कारण वे सही ठिकाने पर बम्बारी कर सकें और जोधपुर में मिलट्री डिपो के अन्दर लाखों की तादाद में पेट्रोल धूं धूं करके समाप्त हो गया। इन देश के गद्दारों को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है। मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि डिफेंस ऑफ इण्डिया एक्ट के अन्दर लोगों को गिरफ्तार किया गया या तो इसी लिए गिरफ्तार किया गया था कि उनके विरुद्ध पाकिस्तान के साथ सांठ गांठ करने का आरोप था, तभी तो उनको गिरफ्तार किया गया था लेकिन गिरफ्तार करने के बाद उन पर मुकदमें क्यों नहीं चलाए गए, हेंडन कठघरे में खड़ा क्यों नहीं किया गया जिन्होंने इस देश के साथ, इस देश की आजादी के साथ, इस देश की अखण्डता के साथ और देश की सेनाओं के साथ गद्दारी की उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध मुकदमें क्यों नहीं चलाए गए, जिससे उनको सजा मिल सकती, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया उनको, यह मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा। मैं मुख्य मंत्री महोदय, से यह भी जानना चाहूंगा कि देश के गद्दारों को तो छोड़ दिया जाय और जो देश के गद्दारों का साथ न दें, जो देश भक्ति के काम करें उनके विरुद्ध इस प्रकार का वातावरण बनाया जाय, यह कहां तक उचित है। उनसे कहा जाता है तुम साम्प्रदायिक हो। और अगर हम साम्प्रदायिक होंगे तो भी देश में ही रहेंगे। इसी देश में रहेंगे। हम पाकिस्तान के गीत नहीं गाते। हम चीन के गीत नहीं गाते। हमने रूस के गीत नहीं गाए, हमने अमेरिका के गीत नहीं गाए, हम गंगा और जमना, राम और कृष्ण, भगवान महावीर और बुद्ध के गीत गायेंगे। इस देश के महान वीरों के गीत गायेंगे। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इन देश के गद्दारों को क्यों छोड़ दिया गया, इन पर क्यों मुकदमें नहीं चलाये? लेकिन इसके विपरीत आज हुआ क्या है। जिन व्यक्तियों पर चाहे सन् 65 या उसके पहले हो एक बार भी जिनको डिफेंस ऑफ इण्डिया एक्ट के तहत पाकिस्तान के साथ सांठ गांठ करने के षड़यन्त्र में गिरफ्तार कर लिया, आज उन्हीं को कांग्रेस की सफेद टोपी पहना कर यहां लाकर बिठा दिया। क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं है, क्या यह राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं है। मैं जानना चाहूंगा, सरकार की ओर से इस बात का उत्तर दिया जाय।

(श्री गुमानमल लोढा)

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर कहा जाता है और हमारे मुख्य मन्त्री जी ने यहां परसों बहुत लम्बी चौड़ी घोषणायें कर दीं और जिस प्रकार की घोषणायें की उनके लिए मुझे एक कहानी याद आती है एक ढपोलशख की। उस ढपोलशख व्यक्ति ने भगवान की बहुत प्रार्थना की और भगवान से मांग की कि मुझे एक लाख रुपया दिया जाय। भगवान ने उसके ऊपर बहुत मेहरवानी की और उससे कहा कि एक लाख तो क्या मैं तुझे यह एक शंख देता हूं उससे जितना चाहेगा तुझे रुपया मिल जाएगा। तू एक लाख कहेगा, यह तुझे दो लाख, चार लाख, दस लाख, दस करोड़ रुपया देगा। उसने कहा कि मुझे एक मकान चाहिए तो उसने कहा कि दस मकान, बीस धर्मशाला और चालीस अस्पताल देता हूं। यह ढपोलशंख की हालत थी। हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि खाद का कारखाना लगा दूंगा। टायर और ट्यूब की फैक्ट्री मैं राजस्थान में स्थापित करवा दूंगा। मैं मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, वे इसका उत्तर दें कि क्या यह सही नहीं है कि उन्होंने तेल शोधक कारखाना राजस्थान में लगाने की घोषणा पांच साल पहले नहीं की। ये तेल शोधक कारखाने की घोषणा कर रहे हैं, इनसे पहले सुखाड़िया जी भी घोषणा करते रहे, लेकिन वह तेल शोधक कारखाना राजस्थान में क्यों नहीं लग सका आज तक वे कहते हैं कि मैं सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप से प्रयास करूंगा। और क्या प्रयास करोगे, तुम तो दिल्ली की अशोक होटल की ऊपर की मंजिल के एक कमरे में जाकर बैठ गए, जनता से मिले तक नहीं। यह आपका समाजवाद है। यह आपके समाजवाद का तरीका है। महात्मा गांधी भंगी बस्ती में जाकर रहा करते थे लेकिन मुख्य मंत्रीजी समझते हैं कि दिल्ली के अशोक होटल के ऊपर के कमरे में जाकर रह जाता हूं तो जनता से किसी प्रकार से मिल नहीं सकूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जोधपुर में स्कूटर की फैक्ट्री लगाने की घोषणा कर दी, आपने जोधपुर में ट्रैक्टर का कारखाना लगाने की घोषणा कर दी। वहां पर एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने काम प्रारम्भ कर दिया। दो साल तक लोरियां गाते रहे, बेरोजगारी मिटेगी, हजारों को रोजगार मिलेगा, लेकिन एक दिन सारा का सारा स्टाफ चला गया। वह ट्रैक्टर फैक्ट्री समाप्त हो गई। वह स्कूटर फैक्ट्री समाप्त हो गई। तेल शोधक कारखाना समाप्त हो गया और अब खाद का कारखाना लगाया जा रहा है। अब घोषणा की जा रही है कि मैं राजस्थान में खाद का कारखाना लगवा दूंगा।

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनता के अन्दर जाकर लोगों को गुमराह कर सकते हैं लेकिन इस सदन के माननीय सदस्यों को गुमराह करने का धृष्ट प्रयास कभी भी सहन नहीं किया जाएगा। इस सदन में हम लाखों लोगों से वोट लेकर आए हैं, वे चाहे किसी आकांक्षा पर आए हों, चाहे समाजवाद के नाम पर आए हों, चाहे स्वतन्त्र पार्टी के नाम पर वोट लेकर आए हों, चाहे जनसंघ के कार्यकर्ता के नाते आए हों चाहे कांग्रेस जन के नाते आए हों, वे चाहते हैं कि हमारे अभाव अभियोग दूर होने चाहिएं।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

वे चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अन्दर विकास हो, क्षेत्र की प्रगति हो और वहां पर सब प्रकार की लोगों की खुशहाली हो। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि खुशहाली के लिए प्रयास नहीं किया जाता, बेरोजगारी मिटाने के लिए प्रयास नहीं किया जाता और आपने देखा कि प्रश्नोत्तर काल में किस प्रकार से माननीय मंत्री हवा में उड़ रहे थे। प्रश्न यह पूछा गया था कि रोजगार क्यों नहीं मिलता, उत्तर क्या दिया जाता है कि पत्र व्यवहार कर रहे हैं। प्रश्न यह पूछा गया कि क्या अकाल के समय आप काम देंगे, उत्तर मिलता है कि प्रश्न विचाराधीन है। जब मानव सिसकते सिसकते समाप्त हो जावेगा और आप विचार करते रहेंगे। बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में पिछले अकाल में दो लाख व्यक्ति समाप्त हो गए पानी की कमी के कारण, खाने को घास की कमी के कारण दस लाख मवेशी समाप्त हो गई। राजस्थान का रेगिस्तान कब्रिस्तान बन गया और उसके बाद आज यहां पर जवाब दिया जाता है कि पत्र व्यवहार हो रहा है। अकाल के कारण मानव समाप्त हो रहा है, मेरा गरीब मजदूर, मेरा किसान, मेरा व्यापारी, मेरा गरीब कर्मचारी व्यथित है, सिसक सिसक कर क्रंदन कर रहा है, चीतकार कर रहा है गरीबी के कारण और यहां पर गरीबी हटाने के नारे लगाए जा रहे हैं।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे वित्त मंत्रीजी ने कहा कि सेठ साहूकार आपके साथ में हैं। मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। आज कम से कम मेरा जैसा कोई साधारण सदस्य यह बात कह देता तो दूसरी बात थी लेकिन ऐसी बात वित्त मंत्री ने कह दी। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सेठ तो आपके साथ ही हैं। आज साहू जैन की फैक्ट्री कौन चलाता है। बांगड़ की मिल कौन चलाता है और राजस्थान में जितने लाइसेंस, कोटा, परमिट दिए जाते हैं, इन्हें कौन देता है। क्या यहां पर जनसंघ की सरकार है जो इन्हें देती है। कौन देता है? मैं जानना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से, दिल्ली की अशोक होटल में हार्ट अटेक का बहाना करके सो गए, जनता आई टिकिट लेने के लिए लेकिन मिल नहीं सके। और जब टिकिटों को घोषणा हो गई, सब काम निबट गया तो बम्बई पहुंच गए। बम्बई जाकर घोषणा की कि मैं उद्योगपतियों से मिलने आया हूं। हमने सोचा कि चलो अच्छा हुआ कम से कम उद्योगपतियों से मिलने के बहाने से तो तबियत ठीक हुई। जिस समय कि चुनावों के समय सारे राजस्थान की जनता इन्तजार कर रही थी कि मुख्यमंत्रीजी हमारे बीच में आवें और हमें बतावें कि कांग्रेस क्या करने वाली है, लेकिन वे दिल्ली से जयपुर नहीं आए, दिल्ली से जोधपुर नहीं आए, दिल्ली से अपने नए पवित्र स्थान तिजारा भी नहीं पहुंचे लेकिन दिल्ली से सीधे बम्बई पहुंचे और बम्बई जाकर उद्योगपतियों से मिले और कहा, उद्योगपतियों मैं आया हूं, पिटारा खोल रहा हूं, राजस्थान में उद्योग लगाओ, कन्सेशन दे रहा हूं, राजस्थान में उद्योग लगाकर पैसा कमाओ और साथ में चन्दा दो चुनावों के लिए। चान्दी की खनखनाती थैलियां भर कर ले आए वहां से और उन थैलियों से राजस्थान के गरीब मतदाता को भ्रष्ट किया, उसके ईमान को

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

खराब किया। जनता की पवित्र भावना को भ्रष्ट किया और आज कहते हैं कि जनसंघ हार गया हम हारे हैं, हमने हमारी हार स्वीकार की है लेकिन हम चांदी के सिक्कों की लड़ाई के आगे हारे है, हम हारे हैं भ्रष्ट अधिकारियों की करतूतों के आगे, हम हारे हैं आपकी थोथी घोषणाओं के आगे। भ्रष्ट अधिकारियों को भ्रष्ट करके जिस प्रकार उनके साथ दबाव डालने का प्रयास किया गया है हम उसके आगे निश्चित रूप से हारे हैं लेकिन श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर का उदाहरण दूंगा। पांच दिन तक मुख्य मंत्री जी वहां पर रहे। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का टोला उनके साथ चलता रहा और साम्प्रदायिकता फैलाते रहे और कहते रहे कि यह प्रतिष्ठा की सीट है लेकिन जोधपुर की जनता मुक्ति वाहिनी के रूप में खड़ी हो गई और वास्तविक जनतन्त्र की विजय हो गई।

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय यहां इनकी मन गढन्त बातों को कौन सुनने वाला है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया यहां बुद्धि जीवी लोग हैं जो आपके चांदी के सिक्कों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा आज भ्रष्टाचार का बोल बाला है।। जोधपुर के पी. डबल्यू. डी. विभाग में आज नीलाम किया जा रहा है जिसमें सैंकड़ों की तादाद में डकैतियां हैं। जीपों के और अन्य वाहनों के उनके पेट्रोल के इंजिन के इंजिन बदल दिये गये है और उन सारे वाहनों को इलेक्शन के अन्दर काम लेकर आज उनको नीलाम किया जा रहा है और नीलाम करके आज भ्रष्टाचार से बचने का प्रयत्न किया जा रहा है। यहां पर केवल ढ़पोलसिंह की घोषणा करने से काम नहीं चलता है। आज जिसके पेट में अन्न नहीं पहुंचता है, वह पेट भरने के लिये रोटी चाहता है। जो बेरोजगार है वह रोजी चाहता है।

आज जोधपुर विश्वविद्यालय के अन्दर अध्यक्ष महेन्द्र सुराणा और भूतपूर्व अध्यक्ष श्री कावरा पर मुकदमा चलाया जा रहा है और यहां थोथा नारा देते हैं बुद्धि जीवी लोग आ रहे है, कवि आ रहे हैं, लेखक आ रहे हैं। मैं पूछता हूं ये लोग कहां आ रहे हैं, बुद्धि जीवियों को तो आप कठघरे में खड़ा कर रहे हैं क्यों नहीं उन बुद्धि जीवियों पर से आप मुकदमा वापस लेते हैं। उनका सही प्रतिनिधित्व क्यों नहीं आप सिन्डीकेट में देते हैं। इसलिये नहीं देते हैं है कि कहीं वे विकास न कर सके। केवल घोषणा करने से काम नहीं चल सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में मैं चाहूंगा जो योजना बनाई जाय उसमें डेफिसिट फाइनेन्सिग नहीं होना चाहिये। डेफिसिट फाइनेन्सिग होगा तो मंहगाई निश्चित रूप से बढ़ेगी। मैं यह भी मानता हूं कि विकासशील देश में डेफिसिट फाइनेनसिंग आवश्यक है लेकिन मैं जानता हूं डेफिसिट फाइनेनसिंग करने के पश्चात् भी राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी और राजस्थान सरकार के

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

मंत्री गण भ्रष्टाचार के द्वारा उन गरीबों के पैसों को उन रिक्शा चालकों के पैसों को, उन तांगा चलाने वालों के पैसों को, मजदूरों के पैसों को, जो मेहनत करके सुबह से शाम तक कमाता है उसको खा जायेंगे और भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना-लेंगे। हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो योजना है उसमें डेफिसिट फाइनेनसिंग नहीं होना चाहिये। इसके साथ ही मैं यह कहूंगा अभी एक शब्द भूतपूर्व वित्त मंत्री जी श्री शोभाराम जी ने कहा मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जा रहे हैं तो मुख्य मंत्री जी इसको जांच कर लें और मुख्य मंत्री जी कहते हैं हमारे ऊपर जो आरोप हैं उसके लिये प्रधान मंत्री जी जांच कर लें। मैं कहता हूं ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यह तो उसी प्रकार की एक कहावत है ननिहाल में जीमन और मां परोसने वाली। मुख्य मंत्री क्या जांच करेंगे जिनके स्वयं के दाग लगा हुआ है। राजस्थान में एक जगह नहीं पच्चीसों जगह सैंकड़ों लोग इनकी गोली काण्ड के शिकार हुये हैं वे सब बेदाग कैसे रह सकते है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कौनसा व्यवस्था का प्रश्न आ गया जरा सुनने की हिम्मत रखिये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : आपके नेता बोल रहे हैं....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नेता बोल रहे है वो ठीक है, सुनिये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का आरोप मुख्य मंत्री पर लगाना आपत्तिजनक है। आप तरीके से बोलिये....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

सुनने का कष्ट कीजिये आप किस प्रकार की भाषा में बोल रहे हैं, किस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं जबकि सत्ता पक्ष की ओर से यह तय कर दिया गया है कि किस प्रकार के किसी के खिलाफ ऐलीगेशन हों तो वह लिख कर दिया जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सदन में यदि मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध आरोप नहीं लगाये जायं तो क्या चेम्बर में जाकर आरोप लगाये जायं। क्या यह सदन की प्रतिष्ठा रहेगी क्या ?

(शोरगुल, व्यवधान)

उसको स्वीकार किया जाय या स्वीकार नहीं किया जाय यह एक प्रश्न है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : जनरल भ्रष्टाचार के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाये जा सकते हैं। आरोप लगायें लेकिन आरोप सत्य होने चाहिये आपने कहा 25 बार गोली चलाई....

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह की जो निराधार बातें हैं वह न कही जायं। यदि कोई स्पेसिफिक चार्जेज हो तो बतायें जांय।

(शोरगुल, अश्रव्य)

मैंने निवेदन कर दिया है।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष जी मुख्य मंत्री जी पर जो आरोप लगाये जा रहे है····

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया है। प्लीज ऑकुपाई।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आरोप के निराधार का प्रश्न तो तब होगा जब लोक पाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाय। मुख्य मन्त्री जी की जांच करें, भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी की जांच करें यह तो स्पष्ट हो है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा पिछले समय से अब समाजवादी मन्त्रिमण्डल बनाया गया है और अब पिछले में से चार मंत्रियों को ही इसमें रखा गया है और कहा गया है कि वे बेदाग हैं तो में पूछना चाहूंगा क्या उन चार मन्त्रियों को जिनको नहीं लिया गया है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो गये हैं। उनको अब क्यों नहीं लिया गया यह तो स्वयं सिद्ध बात है लेकिन लोक पाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति करके जांच नहीं करवायेंगे। यह किस प्रकार की क्वालिफिकेशन रखी गई है। पंजाब में जांच करवाई गई है, और स्थानों पर जांच करवाइ गई है। पहले के मन्त्री अगर दाग वाले थे तो क्यों नहीं उनके खिलाफ जांच करवाते हैं। आरोप-पत्र एक बार नहीं अनेक बार दिये जा चुके हैं। मैं चाहता हूं मुख्य मन्त्री जो स्पष्ट करें यदि किसी मन्त्री महोदय के खिलाफ आरोप होंगे तो उसकी जांच करवायेंगे और मैं पूछता हूं वह जांच कब कराई जायगी। हमारे माननीय सदस्य रामानन्द जो जो कम्युनिस्ट पार्टी के जिम्मेदार सदस्य हैं उन्होंने मन्त्रियों पर आरोप लगाया है, मन्त्रियों के खिलाप आरोप लगाये हैं। क्या मैं आशा करूं कि मुख्य मन्त्री जी और प्रधान मन्त्री जी उन आरोपों की जांच लोक पाल और लोक आयुक्त नियुक्त करके जांच करवायेंगे। चाहे वह किसी भी पार्टी का सदस्य हो, कांग्रेस का सदस्य हो, स्वतन्त्र पार्टी का सदस्य हो, जनसंघ का सदस्य हो या कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य हो, सबकी जांच होनी चाहिये। लेकिन यहां तो केवल घोषणा की जाती है, बात की जाती है, जांच नहीं करवाई जाती है। आज तक मुख्य मन्त्री जी ने एक भी आरोप की जांच नहीं करवाई। क्या यह सही नहीं है कि सदन के अन्दर उन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप नहीं लगाया है?

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य ने कोई आरोप मुख्य मन्त्रीजी को नहीं सौंपे हैं और आपने कोई जवाब नहीं मांगा है न आपने खुद ने कोई चीज माननीय मुख्य मन्त्रीजी को बताई है और उस पर कोई जांच नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वैसे भी अब आपके सुझाव समाप्त हो चुके है····

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह तो जनता बतायेगी।

(व्यवधान, शोरगुल)

एक माननीय सदस्य : वह तो पता पड़ गया। जनता ने उनको नहीं चुना।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं जानता हूं रूस द्वारा, पाकिस्तान द्वारा और चीन द्वारा पैसों के खरीदे गये सदस्य जो सदन की गरिमा में बाधा डालते हैं लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि अब रूसी तत्वों को भी खतम कर दिया जायगा और भारत में अब शीघ्र आंधी आयेगी और वह दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके सबके पर्दाफास हो जायेंगे या तो वे लोग अपनी आस्था भारत में रखें नहीं तो अब अधिक दिन यह चलने वाला नहीं है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के आरोप लगाना सदन की परम्परा के कतई विरुद्ध है। जिस तरह से जनसंघ के नेता सदन में बोल रहे है एक विरोधी दल के नेता हैं जिम्मेदारी से यहा बोलने की आवश्यकता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुझे इस बातका दुःख है कि कांग्रेस के माननीय सदस्य मुख्य मंत्रीजी कि खुशामद करने के लिए बारबार विरोधी दल के नेता के भाषण के बीच में बाधा डालना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि मंत्री पद मिल जावेगा। लेकिन उनको आखिर में इधर आकर बैठना पड़ेगा क्योंकि मंत्रिमण्डल बहुत छोटा है और हर व्यक्ति मंत्रिमण्डल में नहीं आ सकता। मैं कहता हूं कि सच्ची बातों को सुनने का माद्दा रखो। मुख्य मंत्री जी भी जवाब देंगे और आप भी जवाब देंगे....

श्री मोहम्मदगफ्फार अली : आपसे ज्यादा गद्दार कोई नहीं हो सकता। आपने गांधी जी को कतल किया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : गांधी जी का कतल आपने किया है। यहां कुछ पाकिस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में आकर खड़े हुये हैं।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह पाक तत्व हैं और यहां अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : यह कोई तरीका नहीं है बोलने का सदन में।

श्री शंकरलाल (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर आरोप लगाने की एक प्रक्रिया है जो कि कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में है और मैं आपका ध्यान और सम्माननीय सदस्य का ध्यान नियम 273 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार को प्रक्रिया है कि आप आरोप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं लेकिन जो आरोप लगाना चाहते हैं उसकी पूर्व सूचना अध्यक्ष को दी है या नहीं, मंत्री को दी है या नहीं। यह इसलिए प्रक्रिया रखी है ताकि इसको स्पष्ट किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय सदस्य जो जोधपुर से आये हैं उन्होंने आरोप लगाया कि मैं ऑफिसर्स को साथ लेकर घूमा हूं। तो ऑफिसर्स को साथ लेकर कतई नहीं घूमा, कलेक्टर को साथ लेकर नहीं घूमा हूं, एस. पी. को साथ लेकर नहीं घूमा हूं। हां, मेरा जो एस्कोर्ट का स्टाफ है उसमें पुलिस के लोग हैं और यह परमिटेड हैं राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में भी। आप जो भी कहें वह तो आपकी भाषा है और जनता ने, सबने, आपको डिस्कार्ड किया है और मैं कहता हूं कि आप आरोप लगाने की हिम्मत कीजिए। आप कहते हैं कि इन्क्वायरी के लिए कोई सिस्टम नहीं है। हम सिस्टम देते हैं तो आपको पसन्द नहीं आता तो क्या इन्क्वायरी कमिश्नर आपको बना दें ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपको ही बना दें। आप जांच स्वयं करालें।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री बरकतुल्ला खां : यह जो जनता का दिया हुआ अधिकार है वह आप जब चाहें छीनना तो नहीं छीन सकते। मैं कहना चाहता हूं कि एक सिस्टम जो हमने बनाया है—मैंने तो यहां तक कहा कि भारत सरकार जो भी इस पर फैसला करेगी लोकपाल और लोक आयुक्त का उसको हम मानेंगे और उसके बाहर नहीं जायेंगे उसके बाद भी अगर माननीय सदस्य जनसंघ के नेता यह कहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह कहना उचित नहीं है।

श्री खेतसिंह : अब किसी के नेता नहीं हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगा····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो चुका है। पहले भी निवेदन किया था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है उसका उत्तर देना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : आपने कहा उसका उत्तर मुख्य मंत्री जी ने दे दिया है और अब आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (श्री लोढ़ा के बोलते रहने पर) I am in the possession of the house.

श्री गुमानमल लोढ़ा : अभी माननीय मुख्य मंत्री ने जांच की प्रक्रिया बताई। मैं नहीं समझता कि क्या प्रक्रिया है।····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो चुका है। आप (श्री लोढ़ा) बैठिये। आपकी पार्टी के दूसरे सदस्यों को समय मिलेगा। मैं समझता हूं कि आसन से व्यवस्था के पश्चात् आप नहीं बोलें। मैं निवेदन करूंगा कि आप आसन ग्रहण करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं इस लिए यह प्रस्ताव करूंगा·······

श्री खेतसिंह : जब आपको आसन ग्रहण करने को कहा है तो आप बैठ जायें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपको वकालत करने के लिए नहीं कहा है।

श्री खेतसिंह : मेरा फर्ज है कि मैं आपको कहूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हाण्डा !

श्री गुमानमल लोढ़ा : सदन के सामने जो यह विनियोग विधेयक रखा गया है इसको अस्वीकार कर दिया जाये....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : चेयर को रूलिंग के बाद भी माननीय सदस्य जो एक जिम्मेदार सदस्य हैं और विरोधी दल के नेता हैं....

कई माननीय सदस्य : विरोधी दल के नेता नहीं हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह आप अपने घर में ही तय कर लें....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से पुनः निवेदन करूंगा कि आसन ग्रहण करें और सदन की कार्यवाही को शान्तिपूर्वक चलने दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय अन्त में मैं यहीं कहूँगा कि वित्त मन्त्री जी द्वारा जो विनियोग विधेयक रखा गया है इसको ठुकरा दिया जाये और अस्वीकार कर दिया जाये और इसको पारित नहीं किया जाये। धन्यवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री हाण्डा !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल 1972 न. 1 सदन के समक्ष प्रस्तुत है जिसमें 158 करोड़ 50 लाख 41 हजार रुपये की राशि के एप्रोप्रियेशन की बात है और विभिन्न विभागों की राशियों की स्वीकृति मांगी गयी है। इसमें से मेरे नीति सम्बन्धी कई विभागों के सम्बन्ध में अपने विचार हैं वह मैं सदन के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो स्टाम्प ड्यूटी का ही प्रश्न आता है। मैं समझता हूं कि आज देश के अन्दर जो स्थिति पैदा हो रही है उस स्थिति को देखते हुए हमारा जो मुख्य कर्त्तव्य हो जाता है वह सामन्तों के अवशेषों को समाप्त करने का है। पहले भी इस सदन में स्टाम्प ड्यूटी की चोरी के बड़े भयंकर मामले प्रस्तुत हुए हैं। जयपुर के राज दरबार ने गलत रजिस्ट्री करवाकर एक सिनेमा बेचा जिसमें भारी स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की। आज जबकि जयपुर के नगर में हमारी यह विधान सभा चल रही है एक राजा, एक रानी एक करोड़पति देश के इजारेदार को अपना महल बेचकर, अपनी संस्था बेचकर लाखों रुपये के स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की है। रामबाग पैलेस जिसमें कि पिछले कई दिनों से लगातार वहां के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है राजदरबार के पांच व्यक्तियों की निधि है जिसमें भवानीसिंह, जयसिंह, पृथ्वीसिंह, महारानी गायत्री देवी वगैरह आते हैं। इस संस्था में 80-80 लाख का एक पार्टनर है और इस प्रकार से 5 व्यक्ति हैं और अभी इन्होंने इसी संस्था को टाटा को बेच दिया है। पांच दस करोड़ की संस्था चन्द लाख रुपयों में बेची गयी है और लाखों रुपयों की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी करके सरकार को नुकसान पहुंचाया है। आज जब हम सामन्तों को समाप्त करने की बातें करते हैं और लगातार

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

बारबार यह प्रश्न आ चुका है और बारबार आसन से यही कहा जा रहा है कि हमारा क्या दखल है इस प्रश्न में क्योंकि इस प्रश्न को गम्भीरता से न तो लेबर मिनिस्टर ने लिया और न फाईनेन्स मिनिस्टर ने लिया। इतना ही नहीं, राज्य सरकार को पुलिस भी राजाओं को मदद में खड़ी हुई है क्योंकि यहां के एडीशनल आई. जी. पी. श्री जसवन्तसिंह जी के वहां कोई इन्टरेस्ट हैं, सम्बन्ध हैं। इतना ही नहीं टाटा ने तीन दिन पहले 40 बम्बई के मवालियों को लाकर रामबाग में पहुंचाया और जिनके पास छुरे थे और जो हत्याकाण्ड करना चाहते थे। लेकिन पुलिस बजाय इसके कि कोई मजबूती से कदम उठाती वहां के भूख हड़ताल पर बैठे हुए कर्मचारियों को दबाते रहे और कहते रहे कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, लेबर कमिश्नर ने आखिर टाटा को और रामबाग के मैनेजमैन्ट को कहा कि आप अपना डीड बताइये कि किस किस्म का डीड आपका साइन हुआ है पर वह नहीं बताया गया। बार बार मांगने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि ऐ राज करने वाले लोगों! आज जनता ने पूरो ताकत से राज करने का अधिकार आपको दिया है। 62 और 67 में तुमने गरीबों से वादा किया था, किसानों से और मजदूरों से वादा किया था, पर उन वादों को पूरा नहीं किया तुमने उस समय तो जनता ने अपने वोट कुए में डाले। जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी को दे दिये। तुम्हें नहीं दिये इतने। इस बार तुमने बंगला देश को दिये वादे पूरे किये तो जनता ने समझा इस बार शायद तुम वादे ठीक तरह से पूरे कर सको तो यह अन्तिम मौका जनता ने इस बार आपको और दिया है और पूरा पूरा मौका दिया है। अब जो वादे करते हो किसान और मजदूर से और जनता से उनको पूरा नहीं करोगे तो आगे आने वाले वक्त पर जनता अपने सारे ही वोटों को कुए में डाल देगी, आपको कतई नहीं देगी. किसो प्रगतिशील दल को या व्यक्ति को नहीं देगी। इसलिये बड़ी भारी जिम्मेदारी आज आप पर आपद होती है। अपनी इस गुरुत्तर जिम्मेदारी को समझो और उसे तत्परता से निभाने का प्रयत्न ईमानदारी और पूरी ईमानदारी के साथ और दृढता के साथ करो।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक डिमाण्ड्स का सम्बन्ध है सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों ने भारत सरकार के कर्मचारियों के स्तर पर तनखा, मंहगाई और इन्टेरिम रिलीफ की मांग की थी। उसके समानान्तर इनका स्थिरीकरण करने के लिये विभिन्न विभागों के लिये राशियां मांगी गई। मैं इसका समर्थन करता हूं।

पर साथ ही सदन का ध्यान नगरपालिका कर्मचारियों की स्थिति की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। जिनकी स्थिति दयनीय है, बड़ी दुर्लक्ष्यपूर्ण है।

सन् 56 में जो इनकी ग्रेडें थीं वही आज तक चली आ रही हैं। सी. क्लास की नगरपालिकाओं में या यों कहिये चालीस प्रतिशत के करीब राजस्थान की नगरपालिकाओं में वही 56 की ग्रेडें गरीब कर्मचारियों को आज तक मिल रही हैं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

जिसमें सबसे बड़ी संख्या उन हरिजनों की है जो आज तक समाज का मेला ढोते आ रहे हैं और आज भी उठा रहे हैं।

अन्य कर्मचारियों के वेतन का ग्रेडों का नया फिक्सेशन 61 में हुआ, 66 में हुआ, 67 में हुआ, राणावत वेतन कमीशन जब आया तब फिर हुआ 71 में हुआ।

उदयपुर में, जहां राज्य का मुख्य व्यक्ति निवास करता था, 67 में नगरपालिका पर नया वेतन मान तै कर दिया और वहां उनको 61 और 63 से वेतन ग्रेड दिया गया। पर दूसरी नगरपालिकाओं को दिलाना मुनासिब नहीं समझा गया।

राणावत वेतन आयोग की बात आई तो उदयपुर नगरपालिका में तो पे करा दिया गया, पर जोधपुर, जयपुर और गंगानगर नगरपालिकाओं में इन्कार कर दिया। अब वहां काम करने वाले मेरे बाल्मीकि भाई अभी उसी पुरानी तनखा पर गुजारा कर रहे हैं।

मैं आज के इन राज करने वाले लोगों से अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज जब कि कांग्रेस के बाहर और भीतर प्रगतिशील शक्तियां अंगड़ाई लेकर उठ रही हैं अगर आपने राणावत वेतन आयोग की सिफारिशें इन नगरपालिकाओं में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं कीं अब और उसका पेमेन्ट उनको तुरन्त नहीं किया गया तो इस सदन के प्रांगण में मैं ऐलानिया कहता हूं कि तिरंगा झंडा और लाल झंडा एक साथ मैदान में उतर आवेंगे और इस ग्रेड को राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाकर छोड़ेंगे। सरकार इसे नोट कर ले।

अब दूसरे विभाग को ले लीजियेगा। वाटर वर्क्स को। इसके आपने 61 में और बाद में 71 में केडर फिक्स किये। पर जब इनमें सीनियोरिटी देने का प्रश्न आया तो आपने 61 वालों को सीनियोरिटी प्रदान की।

इसी प्रकार से पी. डब्ल्यू. डी. को लीजिये। आपने फैसला कर लिया कि 10 साल वालों को सीनियोरिटी देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, देश में एक राज्य है वहां कांग्रेस और सी. पी. आई. मिलकर राज चलाते हैं। उस केरल के राज्य ने फैसला किया कि सीनियोरिटी का आधार परमानेन्ट करने का आधार यह नहीं होकर यह होगा कि जिस रोज से जो काम कर रहा है उसे उसी दिन से परमानेन्ट किया जावेगा और उसी दिन से उसकी सीनियोरिटी मानी जावेगी। यह केरल स्टेट का निर्णय है और वहां बराबर चल रहा है। सारे भारतवर्ष में यही चलना चाहिये। मैं राज सरकार से कहूंगा कि वह भी इसी निर्णय के अनुसार चलने का फैसला करे। इससे आज जो सरकारी कर्मचारियों की भिन्न भिन्न जगहों में बड़ी दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति है वह सुधरेगी।

आगे फेमीन के प्रोजेक्ट आपने कायम किये। बाड़मेर और जोधपुर में कायम हुए। उनको रिट्रेन्च कर दिया बाद में आपने। जितने कर्मचारी इनमें काम करते थे उन सबको बेरोजगारी की धधकती भट्टो में झौंक दिया गया। पर इसी फेमीन प्रोजेक्ट में काम करने

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
वाले अधिकाररियों को अन्य जगहों पर लगा दिया गया। उनको रख लिया गया, पर छोटे कर्मचारियों को रिट्रेन्च कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति सामान्य कर्मचारियों की है। यह स्थिति सुधरनी चाहिये। नहीं तो आपके वादे अधूरे रहेंगे।

अब मैं थोड़ा पी. डब्ल्यू. डी. के बारे में कहना चाहूंगा। प्लण्डर विदाउट डेन्जर विभाग है यह। और मेरे गंगानगर के अन्दर इस विभाग का काम जो है वह वहां के भूतपूर्व मन्त्री महोदय मनफूलसिहजी के साथ जुड़ा हुआ है। उनके साथ मिल कर यह विभाग खुले हाथों जनता के पैसे की लूट में हिस्सा बंटा रहा है।

दिल्ली में अभी एक सिनेमा का उद्घाटन हुआ। वहां बाकायदा भक्तों की मन्दिरों की परम्परा की तरह से अखण्ड पाठ रखा गया और उसमें फोटो लगी किसकी? आपके भूतपूर्व मन्त्री मनफूलसिह जी की और उनके साथी ठेकेदार एक कुलदीपसिहजी की। पगड़ियां आपस में बदली गईं। और सिनेमा का वहां पर उद्घाटन हुआ। वे पगड़ी बदल भाई बने, धर्म भाई बने सारे गंगानगर जिले को लूट कर।

और वह कुलदीपसिह ठेकेदार कौन है? जिनके पास 40 लाख रुपया पी. डब्ल्यू. डी. का एडवान्स पड़ा हुआ है। अनेकों पत्र मैंने मुख्यमन्त्रीजी को और विभागीय मन्त्रीजी को लिखे, लेकिन उस कुलदीपसिह ठेकेदार की जांच कोई नहीं करवाना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, एक पेमेन्ट हुआ। 20-2-72 और इसी 10-3-72 के बीच में कुलदीपसिह ठेकेदार को 19 लाख का सूरतगढ़ से लेकर बीरबल रोड़ तक की सड़क के लिये। इस सड़क की सेंक्शन आई सिर्फ पांच लाख रुपयों की पर पेमेन्ट हुआ 19 लाख का। अब इस चौदह लाख रुपये के पेमेन्ट को रेगुलराइज करने के लिये फाइनेन्स विभाग के पास मन्त्री महोदय के पास कुलदीपसिह ठेकेदार की फाइल पी. डब्ल्यू. डी. ने भेजी है। मनफूलसिहजी इस लूट को रेगुलेराइज करने के लिये वित्त मन्त्रीजी के चक्कर लगा रहे हैं। फाइल वित्त मन्त्रीजी के पास मौजूद है।

श्री चन्दनमल बैद : मेरे पास ऐसी कोई फाइल नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : चिन्ता मत करिये। फाइल अभी तक नहीं आई है तो अब जल्दी ही आ जायेगी। आपको झक मार कर सेंक्शन देनी होगी इस लूट को रेगुलेराइज करना होगा। यह हालत है आज इस सरकार के विभागों की। अभी इसमें परिवर्तन नहीं आया है। समाजवादी बातों की चर्चा का बवण्डर जरूर आ गया है पर इस राज में अभी तक नौकरशाही के तौर तरीकों में परिवर्तन नहीं आया है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. को लीजिये, चाहे धरती को लीजिये, जमीनों के मामले लीजिये यह कुलदीपसिह राजस्थान के अन्दर एम. एल. एज. को भ्रष्ट करने में और सरकारी अधिकारियों को और इस मशीनरी को करप्ट और भ्रष्ट करने में अत्यन्त माहिर है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जगह जगह इलेक्शन में जीतें और दूसरे दूसरे साधन भेजकर एम. एल. एज. को भ्रष्ट करने की कोशिशें की हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह गेंग केवल पी. डब्ल्यू. डी. में ही डाके मारती हो ऐसी बात नहीं है। धरती का बहुत बड़ा भू-खण्ड, जो भूमिहीन किसानों के पास था, इस गेंग ने दबा रखा है इस गेंग के चार सरगने हैं एक गोपी, दूसरा बीरबल, तीसरा माधो और चौथा मनफूलसिंह। ये पूरे गंगानगर और बीकानेर जिले में छाये हुए हैं जगह जगह डाके डालते रहते हैं।

मैं स्थिति बताऊं आपको। राजस्थान कैनाल के कमाण्ड एरिया में जमीनों का अलॉटमेन्ट हुआ। राजस्थान की 15 तहसीलों में 12 लाख 64 हजार 525 बीघा धरती है ऊसर और 49 लाख 47 हजार 058 बीघा बारानो धरती है. कुल 62,11,615 बीघा धरती है। यह रिपोर्ट हाई पावर कमेटी को 7-5-70 को दी गई थी। इसमें से उपाध्यक्ष महोदय आपको आश्चर्य होगा कि केवल दो लाख 68 हजार 651 बीघा धरती नहरी एरिया में अलॉट हुई। अगर इसमें से रिजर्वेशन की धरती, जागीरदारों को, सैनिकों को, एग्रीकल्चरिस्टों को और पौंग डेम आदि के लिये निकाली गई धरती को निकाल दें तो इसके बाद भी सात लाख बीघा धरती अलॉटमेन्ट के लिये अवेलेबल थी। पर इसमें से केवल दो लाख कुछ हजार बीघा धरती ही अलॉट की गई।

5 लाख एकड़ धरती ऐसी थी जिसको एलॉट नहीं किया गया और जिस में मनफूलसिंह और बीरबल की गेंग काश्त करती रही और वे नाजायज तौर पर काश्त करते रहे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जो इस सदन में मौजूद नहीं हैं उनके प्रति आपको एलीगेशन नहीं लगाना चाहिये और इसके बारे में आपको स्पीकर साहब से अनुमति लेनी चाहिये विशेषकर आप मनफूलसिंह के बारे में उल्लेख कर रहे हैं जो कि इस सदन के सदस्य नहीं हैं और वे इसका जवाब देने में असमर्थ हैं। इसलिये यह उचित नहीं है।

श्री केदारनाथ : ये तो एक रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह एक रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट एक हाई पावर कमेटी की है....

श्री उपाध्यक्ष : क्या वह सदन की मेज पर रखी गई है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह इस सदन को भेज दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : जब तक वह रिपोर्ट सदन को टेबुल पर नहीं आवे आप उसके बारे में नहीं कह सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसको सारा विश्व जानता है। मैं जो बात कह रहा हूँ वह जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जो बात कह रहा हूँ उसको साबित करने की जिम्मेदारी और शक्ति रखता हूं। जो तथ्य आपके समक्ष रख रहा हूं उनको

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

साबित करूंगा। पांच लाख एकड़ धरती थी जो बिना पानी के पड़ी रही उसमें से ढाई लाख एकड़ जमीन बड़े बड़े लोगों ने काश्त कर ली और आज भी उन लोगों का नाजायज कब्जा है और उनकी नाजायज काश्त इन जमीनों पर मौजूद है। यह जमीन हरिजनों, बावरियों, नायकों और मेघवालों के नाम लिख कर दी गई है परन्तु इसमें से 200 मुरब्बा जमीन भी उनके पास में नहीं है। हाई पावर कमेटी ने इनकी फाइल को मंगवाना चाहा था। निरंजनसिंह को एक हजार एकड़ जमीन एलॉट करदी गई हैं. खेतसिंह को एक हजार एकड़ एलॉट करदी गई और इस वक्त की सूचना के अनुसार 200 के आस पास राजाराम को दी गई है। यहीं तक नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं चकर क्षेत्र में हरिजनों के नाम से जो जमीन एलॉट की गई है उनमें दो लाख रुपये बकाया हैं किश्तों के और तहसीलदार हरिजनों को तलाश करता है परन्तु वे हरिजन तो पैदा ही नहीं हुए हैं। मनफूलसिंह के एजेन्ट हंसराज का इन जमीनों पर कब्जा है। एक सूरज निकल कर दूसरा सूरज डूब जाये, उपाध्यक्ष महोदय, परन्तु इन भ्रष्ट, बेईमानों की कोशिश कभी खतम नहीं होगी। मैं यह अर्ज कर दूं कि मेरी हाई पावर कमेटी के एक माननीय सदस्य गुरुदयाल सिंह सिन्धु हैं उनको बरकत साहब ने कहा है कि जो चार्जेज लगाओ खुला लगाओ, मैं चैलेन्ज बर्दास्त करता हूं। तो मैं कहता हूं कि आप मुख्य मन्त्री हैं तो इस हाई पावर कमेटी को पांच फाइलें भेजिये। मनफूलसिंह ने जो जमीनें ट्रान्सफर करवाई है, उसकी फाइलें इस कमेटी को भेजिये, हरिराम ने मक्कासर के अन्दर जो जमीनें ट्रान्सफर करायी हैं उसकी फाइल भेजिये, बृज प्रकाश गोयल ने जो जमीन ट्रान्सफर करायी है वह फाइल भेजिये, रामचन्द्र आर्य जो कि बी. के. डी. के एक नेता है उन्होंने 114 बीघा जमीन अपने स्त्री के नाम पर ट्रान्सफर करायी है वह फाइल भेजिये। मेरा निवेदन है कि आप इन फाइलों को भेजिये और भेजिये फाइल चौधरी कुम्भाराम आर्य की जिन्होंने गंगानगर की बेहतरीन जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा जितने भी मन्त्री हैं, राजनैतिक पार्टियों के नेता हैं उनकी फाइलें दीजिये और तब हम आपको बतायेंगे कि ये मन्त्री कितने भ्रष्ट थे।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और अर्ज करना चाहूंगा। सुखाड़िया साहब के राज्य में मन्त्रियों ने एम. एल. एज. को एक जागीरदार की हैसियत दे दी गई थी। कम से कम मेरे जिले में तो यह हुआ है। सारे के सारे महकमों के अन्दर चाहे वह मैडिकल का हो चाहे पी. डब्ल्यू. डी. का हो, चाहे पुलिस का हो, मेरे जिले से आने वाले चारों मन्त्रियों द्वारा अपनी सहूलियत के मुताबिक इन विभागों के अधिकारियों को अपने साथ ले जाया जाता था और ये अधिकारी इन मंत्रियों के आदेशों के मुताबिक, संकेत पर जन विरोधी कार्य करते थे। मैं आपसे पूछता हूं गंगानगर के अस्पताल का उदाहरण— आज वहां पर पन्द्रह पन्द्रह साल से डॉक्टर बैठे हैं। उन्होंने गंगानगर को अपनी एक जागीर बना ली है····

श्री उपाध्यक्ष : आप बहस में दूसरे मुद्दों को उठा रहे हैं। जिस पर आप बता

(श्री उपाध्यक्ष)
रहे हैं वह आज का सब्जेक्ट मैटर नहीं है....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह मैडिकल की मांग संख्या है....

श्री उपाध्यक्ष : आपने यह नहीं बताया है कि मेडिकल की कौन सी मांग संख्या है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : नम्बर बताया है।

श्री उपाध्यक्ष : समय कम है। हम उन्हीं मुद्दों पर बोलें जिन पर कि विचार करना है। अपना डिसकशन उन्हीं मुद्दों तक सीमित रखें माननीय सदस्य।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इतनी देर में तो मैं अपनी बात कह देता। आज हमारे यहां पर पन्द्रह पन्द्रह साल से डॉक्टर बैठे हुए हैं। यह स्थिति है। एक गरीब आया मरीज के साथ। उसका ऑपरेशन कर रहा था मेडिकल ज्युरिस्ट उसने उससे कहा तुम पर 500 रुपया बकाया है वह दो। गरीब ने कहा पहले इसका ऑपरेशन कर दो। परन्तु डॉक्टर ने नहीं माना। मरीज तड़प कर मर गया और वह शख्स 500 रुपयों का बन्दोबस्त करता फिरा। यह स्थिति है डॉक्टरों की। यह स्थिति है ए. डी. एम. को एस.डी.एम. की। 9 साल होने आ गये हैं और वे वहां पर जमे बैठे हैं। 9 साल से गंगानगर को एक जागीर बना कर बैठे हैं। प्रोमोशन हो तो गंगानगर में और चक्कर खाकर गिरें तो भी गंगानगर की गली में गिरें और किसी गली में नहीं। आर. सी. पी. का मसला लीजिये वहां पर भी यही हाल है। मैं अब उप-निवेशन मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं। आपने अगर राजस्थान राज्य में यह फैसला ले लिया है कि सारे राजस्थान के अन्दर हरिजनों को बेदखल नहीं किया जायेगा और एक जनवरी 1972 को जो अवैध कब्जे थे उन सारों को राजस्थान में रेगुलराइज कर दिया जायेगा तो गंगानगर के हरिजनों ने क्या दोष किया है। बावरियों ने, नायकों ने जो नाजायज जमीनें दबा ली हैं उनको बेदखल किया जा रहा है। जिन भू-पतियों ने जिनके कि बच्चे पैदा नहीं हुए है उनके नाम से जमीनें ले रखी है उन बड़े जमींदारों को क्यों नहीं बेदखल किया जा रहा है जिन्होंने कि लाखों एकड़ जमीनें दबा रखी हैं और जिन्होंने दो दो मुरब्बे जमीनें दबा रखी हैं उनको आप दबाते हैं, छुड़ाते हैं।

अन्त में मैं एक और विनति करना चाहता हूं। एक जो ब्यूरोक्रेसी है, उसका माइन्ड किसानों, हरिजनों के हित में नहीं है। कल भी मैंने कहा था—गंगानगर 25 साल से हरिजन कॉन्स्टीट्यूएन्सी है और राजस्थान में ही नहीं पार्लियामेंट की सीट भी है। इस हिसाब से सबसे अधिक हरिजन अकेले गंगानगर जिले में हैं और अगर आप हरिजनों का उद्धार करना चाहते हैं तो गंगानगर में कलेक्टर एक हरिजन को भेजिये। अधिक से अधिक महकमों में हरिजन अधिकारियों को भेजिये ताकि कम से कम थोड़ा सा दृष्टिकोण इन गरीब हरिजनों के प्रति बदले।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अगर कोई कटु शब्द कहा हो तो क्षमा चाहता हूं। केवल एक छोटी सी अर्ज करना

Page No. 76

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

चाहता हूं। फेमिन रिलीफ के लिए मांग संख्या 64 में 6 करोड़ 28 लाख 94 हजार की राशि का प्रावधान किया गया है। जब भी उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस फेमिन रिलीफ की राशि को देखता हूँ मुझे राजस्थान नहर के बारे में विचार आता है। अगर हम ईमानदारी के साथ इस योजना को बनाते तो आज यह नहर रणजीतसिंहपुर और बसटलपुर क्षेत्र को पूरा करते हुये जैसलमेर के अन्दर प्रवेश करते हुये बाड़मेर के अन्दर प्रवेश कर जाती। अब तक दो सौ तीन सौ करोड़ रुपया फेमीन के नाम पर खर्च किया गया है उसको खर्च करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसके अतिरिक्त एक बात और वित्त मन्त्री महोदय से और पेय जल विभाग के मन्त्री जी से कहूंगा—यह मांग की जा रही है कि जयपुर शहर के लिये स्पेशल योजना पेयजल 50 करोड़ की बनायी जाये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सैकड़ों ऐसे गांव है जहां पर कि इन्सान पैदा होने के समय स्नान करता है या फिर मरता है तब स्नान करता है। अगर राज्य का कोई समाजवादी दृष्टिकोण है तो इन गांवों के अन्दर पानी की व्यवस्था की जाये जहां पर आदमी पानी के लिये पशु की तरह मर जाता है। 25 साल की आजादी के बाद भी अगर राज्य सरकार इन गांवों के अन्दर पेय जल की व्यवस्था नहीं करवा सकती है तो हम कुछ नहीं कर पायेंगे और यह कोई समाजवाद नहीं है। धन्यवाद।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्षजी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारीलाल ?

श्री बनवारीलाल (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं टौंक जिले के जो अभाव-अभियोग है, उसकी समास्याएं हैं उनसे आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में एक सिंचाई योजना थी। हमारे जिले के गरीब किसान, हरिजन और मजदूर यह बहुत बड़ी आशा लगाये हुये बैठे थे कि उस योजना से हमको लाभ होगा, हमारे खेतों में सिंचाई होगी, और खास तौर से जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान उससे होगा। उसके साथ ही जयपुर शहर की तरफ से जो नुमायन्दे हैं उन्होंने कल बड़े जोर से इस योजना के सम्बन्ध में बात की थी। बनास नदी से जो पानी लाने की योजना थी उसके बारे में कहा था तो मेरा अर्ज करना यह था, इस सम्बन्ध में, कि हमारे जिले में कोई इतनी बड़ी योजना, कोई इतना बड़ा बांध नहीं है कि जिसके हिसाब से सिंचाई के अच्छे साधन हो सकें। बिजली के अभाव में कूओं से लाभ नहीं हो पा रहा है। उससे जयपुर शहर में पानी उपलब्ध होगा, हमारे सिंचाई के साधन बढ़ सकेंगे जिससे हमारी उपज में अभिवृद्धि होगी और जिले की वृद्धि होगी और थोड़ी खुशहाली आयेगी। लेकिन मुझे अफशोस है कि वह तमाम योजनाएं एक एक करके खटाई में डाली जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उस योजना को जल्दी से जल्दी चालू करें और उसका काम शीघ्र सम्पन्न कराने की कृपा करें।

दूसरी बात, श्रीमान्, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे टौंक जिले को इण्डस्ट्रियलाइज्ड करने की सरकार की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन उसके साथ

(श्री बनवारीलाल)

में कोई उसका उपाय सोचकर नहीं रखा गया और एक कई अर्से से चमड़े के कारखाने की योजना चली आ रही है, लेकिन अबतो हम लोग शर्मिन्दा होने लगे यह कहते कहते कि चमड़े का कारखाना खुल रहा है, क्योंकि लोगों को उससे बड़ा तवक्कु लगा हुआ था कि शुरूआत होने लगी, लेकिन वह शुरूआत खटाई में पड़ गई। गत वर्ष के सदन के अन्दर हमारे टोंक के एम. एल. ए. ने यहां पर उस सम्बन्ध में बात उठाई थी और तत्कालीन मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि अक्टूबर में निश्चित रूप से वहां पर काम चालू हो जायगा, लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बात कहना चाहता हूं कि वहां पर अभी तक कोई काम चालू नहीं हुआ है, और एक इस प्रकार की र्‍यूमर फैली हुई है कि यहां से कारखाने को शिफ्ट किया जा रहा है। यह हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा और हमारी बहुत बड़ी हकतलफी होगी। हम लोग पहले से ही पिछड़े हुए थे राजा महाराजाओं के जमाने से, हमारे यहां भी नवाब था तो वह सब पैसा अपने ऐशो-इशरत में खर्च करते थे और जनता के लिए कुछ नहीं बचता था। इस वक्त हमारी सरकार जो समाजवादी नीति रखती है उसने यह योजना बनाकर लगाई वह उसको हटाने की बात सोचती है तो यह बहुत अच्छी बात नहीं होगी, और हमारे साथ में यह अन्याय होगा।

इसी संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बीड़ी के कारखाने के लिए वहां चर्चा है चालू करने की। बीड़ी का कारखाना छोटे से रूप में वहां पर चालू भी किया गया है, लेकिन वह कारखान वहां पर किसी भी तरीके से सफल नहीं हो सकेगा और उस घाटे को जो कि चमड़े के कारखाने के हटाये जाने से हो रही है उसकी पूर्ति करना चाहें तो उससे नहीं हो सकती है। इसकी वजह यह है कि हमारे यहां पर बीडी उद्योग काफी मात्रा में है और छोटे छोटे व्यापारी हैं। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि उस तरह से भुलावा नहीं दिया जाय, और हमें जो आशा दी गई थी उसी तरह से उसको पूरा करने की कृपा करें।

श्रीमान, एक थोड़ा सा समाज-कल्याण मंत्रीजी को आपके माध्यम से यह बात अर्ज करना चाहूंगा कि यहां पर ऐसी स्थिति है कि यहां पर 1-1 हजार की सबसिडी हरिजनों को मकान के लिए दिलाये जाने की बात है। कुछ दिया भी है, लेकिन वह ऐसा लगता है कि उनके अन्दर बीच बीच में छुटपुट एक दो मकान बनकर खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा कि पुराने किवाड़ में नये पाटिये लगा दिये हों। इस तरह से आप देते हैं तो बहुत ज्यादा गलती होती है। आप एक प्लानिंग कीजिये मॉडल बस्ती के तरीके से बनाकर लोगों को दे दें ताकि रहने की गुन्जायश हो और हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है यह भावना नहीं आयेगी। एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से रख दिया जाय कि इस डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल बस्ती बनाई जायगी। एक हजार वाली बात कहते हैं तो उससे बड़ा असन्तोष होता है। पिछले दो सालों से समाज कल्याण विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि दो-दो हजार का लोन भी देना चाहते हैं तो दो-दो हजार का लोन देने वाली बात माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी थी, लेकिन विभाग से मालूम करते हैं तो वह कहते

(श्री बनवारीलाल)
है कि इस प्रकार की राशि उपलब्ध नहीं है। यहां पर सदन में राज्य की तरफ से यह बात सुनते हैं और वहां जाते हैं तो दूसरी बात पाते हैं तो लोग चक्कर में पड़ते हैं। यह सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मैं अर्ज करना यह चाहता हूं, श्रीमान, आपके माध्यम से कि इस प्रकार की बात कह दी गई है तो प्रावधान भी उसके लिए निश्चित रूप से रखें।

श्रीमान्, शिक्षा के सम्बन्ध में मेरा जिला पहले ही पिछड़ा हुआ था और इस आजादी के बाद कुछ स्कूलों का निर्माण हुआ है। इससे तालीम में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन वहां पर एज्यूकेशन की इतनी इन्स्टीट्यूशन्स कायम नहीं हो सकीं जो कि जिले के लिए काफी हों। मैं खास तौर से मेरे क्षेत्र के लिए निवेदन करना चाहता हूं जहां से मैं निर्वाचित होकर आया हूं। निवाई क्षेत्र के अन्दर एक सेकेण्डरी स्कूल है जो कि निवाई में है जबकि वहां पर कम से कम 4-5 हाई स्कूलों की पुरजोर तरीके से मांग चली आ रही है। गत सालों के अन्दर जब स्कूल खोलने लगे तो हमने बड़े जोर से यह मांग की थी कि कम से कम वहां पर दो हाई स्कूल दिये जायं ताकि लोगों की परेशानियां कम हों। निवाई के अन्दर जो स्कूल हैं उसके ऊपर काफी भार पड़ जाता है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार को अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर स्कूलों के बारे में विचार करें और अधिक स्कूल खुलवाने की कृपा करें।

वैसे तो मारवाड़ को एरिड जोन कहा जाता है लेकिन निवाई क्षेत्र में भी कोई रेगिस्तान की कमी नहीं है और पेय जल की हमारी साइड में भी बहुत तकलीफ है। मैं सरकार को आपके माध्यम से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो 10 करोड़ रुपये की रकम इसके अन्दर रखी गई है उसके अन्दर से इस क्षेत्र के लिए भी कुछ व्यवस्था की जाना बहुत आवश्यक है।

इधर सिंचाई के साधनों के बारे में भी, श्रीमान्, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि माही डेन है निवाई क्षेत्र में। गत वर्ष बरसात के अन्दर पानी बहुत जोर का बरसा और कुछ थोड़ी लहतलाली सरकारी कर्मचारियों की जानिब से भी थी कि उसके अन्दर इस कारण बहुत नुकसान हुआ तकरीबन 50 लाख रुपये का नुकसान का एस्टीमेट माना जाता है। इस समय जो मरम्मत का काम शुरू किया है, उसकी गति इतनी धीमी है, इतनी मन्थर है कि वह चार-पांच सालों में भी पूरा नहीं हो सकेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारे इलाके में उन बांधों को ठीक कराने की कृपा करें। इस तरह से सड़कों की खराबी हुई है। कई जगह ऐसी स्थिति आ गई है कि जैसे मालपुरा को जो सड़क जाती है, उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सड़कों के लिए विशेष रूप से हमारे जिले पर ध्यान दिया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

दो मिनिट का समय और दे दीजिये।

निवाई एक बहुत बड़ा कस्बा है श्रीमान्। लेकिन उसके अन्दर किसी पशु चिकित्सालय का प्रबन्ध नहीं है। वहां

(श्री बनवारीलाल)
लोग बिल्डिंग बनाकर भी देने के लिए तैयार हैं । लेकिन अभी तक हमारी सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया है । इसलिए मैं आप के माध्यम से मांग करूंगा कि वहां के लोगों की इस मांग को पूरा किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल के सम्बन्ध में, बहस में भाग लेने के लिए कुछ मोटे मोटे मुद्दों पर निवेदन करना है । मैं कोई लम्बी चौड़ी भूमिका में न जाकर सीधे ही विषयों पर अपना निवेदन करना चाहती हूं । उसमें विभिन्न विभागों के बारे में सम्मिलित हैं । उदाहरण के तौर पर पंचायत राज के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है । राजस्थान ने डेमोक्रेटिक डिसेण्ट्रलाइजेशन का कदम उठाकर हमारे देश को एक नयी दिशा दी है । 1962 में राजस्थान में पंचायत राज की स्थापना की गई है । उसके बाद पंचायत राज जिस गति से चलना चाहिए था, उसमें कमी आयी है । कमी ही नहीं आयी है, आर्थिक और प्रशासनिक कारणों से वह सारा काम शून्य हो गया है । इस सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है कि अगर वास्तव में हमें प्रजातन्त्र में विश्वास है और हम पंचायत राज को कायम रखना चाहते हैं और उसके प्रति श्रद्धा को कायम रखना है तो उसको आवश्यकता के अनुसार विशेष अधिकार देने होंगे । और उसके अनुसार बजट में प्रावधान करना होगा । जिससे कि ये फंक्शन कर सके । मैं आपका ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ क्योंकि 7 साल तक मैं पंचायत समिति के प्रधान पद पर रही हूं और वहां की स्थिति को भली प्रकार देखा है । वहां की स्थिति यह है कि आर्थिक अभावों के कारणों से जनता जो आकांक्षाएं रखती हैं, उनको हम किसी तरह से पूरा नहीं कर सकते हैं । अभी पिछले दिनों कुछ और बन्धन लगा दिये गये हैं । उदाहरण के तौर पर पहले जो सरकारी कर्मचारियों का चिकित्सा भत्ता होता था, वह सरकार अपनी तरफ से दिया करती थी । अब उस में यह रुकावट डाली गई है कि यह चिकित्सा भत्ता पंचायत समितियां और जिला परिषदें अपने निजी व्यय में से देंगी । मेरी समझ में नहीं आता है, पंचायत समितियों के पास ऐसी कोई निजी आय नहीं है । उसके टैक्सेज की वसूली रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट आज तक नहीं कर सका है । पंचायत समितियों के पास निजी आय कहाँ से आयेगी जहां से वह चिकित्सा भत्ता दे सकेगी ।

नम्बर दो, आज हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है । हम समाजवाद की बात करते हैं । लेकिन आर्थिक असमानता को दूर नहीं कर पाये हैं । जब तक यह नहीं होगा हमारे देश की प्रगति तब तक नहीं हो सकती है । जब तक हम आमतौर से डे टू डे काम में आने वाली चीजें जनता के लिए मुहय्या नहीं करवायें । आज हमारे देश की अधिकांश जनता 80% जनता गांवों में निवास करती है । ज्यादातर लोग काश्तकार हैं । काश्तकारों को जब तक पूरी सुविधा नहीं देंगे तब तक हमारे देश की प्रगति नहीं हो सकती है ।

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा बीज और अच्छी खाद और समय समय पर तकावी दी गई है, अभी जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण द्वारा जो सुविधा दी गई है, उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। जिस उद्देश्य को लेकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कि उससे गरीबों का हित हो। लेकिन बैंक आज भी जन साधारण के लिए वैसे हो हो गये हैं। अगर कोई काश्तकार अपने कुवों के लिए, ट्रैक्टर के लिए या बिजली लगाने के लिए ऋण लेना चाहता है तो पहले तो उसको जो फार्म्स वहां पर दिये जायेंगे, उनको भर कर देना हो किसान के लिए असम्भव है। अगर वह किसी प्रकार से भरकर ले जाता है तो जो वहां पर बैंकों के दलाल बैठे रहते हैं, उनकी भेंट पूजा जब तक नहीं की जायेगी, तब तक उनको ऋण नहीं मिल सकता है। इसके लिए सरकार को उचित प्रयास करना चाहिए।

हमारे देश से अनेक आर्थिक सवाल जुड़े हुये हैं। हमारे देश ने अनाज के उत्पादन के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। आज से 25 साल पहले जो अनाज उत्पादन होता था, आज हमारे देश में उससे दुगुना उत्पादन बढ़ा है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहां के किसानों की कठिनाइयां भी बढ़ी हैं। उत्पादन को मण्डियों में ले जाने के लिए हमें जितनी सड़कें किसानों को देनी चाहिए, वह हम उनको नहीं दे पाये हैं। केवल मात्र इसी कारण से जो शहरों के नजदीक होते हैं वे अपनी क्रोप को मण्डियों तक पहुंचा सकते हैं। बाकी नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार सड़कों की ओर ज्यादा ध्यान दे। विशेष कर मैं जयपुर जिले के लिए कहना चाहूँगी, जयपुर जिले के आंकड़े उठाकर देख लिये जायें, सड़कों पर अन्य जिलों के मुकाबले में, जयपुर जिले में सड़कों पर कितना पैसा खर्च हुआ है। उससे स्पष्ट हो जायगा कि जयपुर जिले की उपेक्षा की गयी है इसलिये पिछले दिनों डेढ़ दो साल पहले जयपुर जिले में किसानों की रेली हुई थी विभिन्न मांगे थीं उनकी। वे चाहते थे कि उनके जिले में सड़कें, बिजली लगाने सम्बन्धी जो भी कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये बातें देखने में छोटी लगती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

पांच मिनिट में समाप्त करती हूं।

कहने में छोटी होती हैं लेकिन अगर इनका स्वरूप देखा जाय तो काफी बड़ी होती हैं। पिछले दिनों दो फसल जयपुर जिले में नष्ट हुई हैं। अन्य जिलों के लिये तो मैं नहीं कह सकती किन्तु जयपुर जिले के लिये कह सकती हूं। पहली फसल थी वह अति-वृष्टि से नष्ट हुई और दूसरी फसल शीत से नष्ट हुई। मौजूदा फसल को शीत खा गई। ये फसलें नष्ट हुई उसके लिये किसानों को राहत देने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है। जिनका नुकसान हुआ है उनको खाद वगैरा की राहत देना चाहिये और जो कुछ भी राहत दे सकते हैं उसका प्रावधान जरूर रखना चाहिये।

जो किसान कुओं पर बिजली लगाते हैं तो हम देखते हैं कि कुओं पर बिजली की ठेकेदारी चल रही है उससे किसान परेशान हैं। ठेकेदार किसानों को लूट रहे

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

है और वे कनेक्शन नहीं देते हैं। इसलिये ठेकेदारी प्रथा को सरकार खत्म करे जिससे गरीबों का शोषण बन्द हो।

सर्विसेज में असमानता है। खास तौर से पंचायत और सरकारी सेवायें हैं उनके लिये निवेदन करना चाहती हूं कि पंचायत और जिला परिषदों में काम करने वाले कर्मचारी हैं और दूसरे विभागों के कर्मचारी हैं उन दोनों में एक सौतेला व्यवहार रखा जा रहा है उससे पंचायतों आदि के कर्मचारी दुःखी हैं। एक बाप के दो लड़के एक बड़ा और दूसरा छोटा। उनमें किस प्रकार का भेद भाव हो सकता है। दोनों को बराबर खाना होना चाहिये। इस प्रकार जो कर्मचारियों के वेतन आदि में असमानता है उसको दूर करना चाहिये।

एक अन्तिम बात मैं और कहना चाहती हूं। हमारे गांवों में सबसे बड़ी कठिनाइयां आज पीने के पानी की हैं। जगह जगह जल योजना स्वीकृत करने की हमारी सरकार की मंशा है लेकिन इसमें यह बात जोड़ी है कि दो हजार को जन संख्या हो वहां ही यह की जाय। गांव तो गांव हैं। आखिरकार कम जनसंख्या वाले गांव में भी तो इन्सान बसते हैं। चाहे एक परिवार हो या ज्यादा परिवार हो उनको भी पीने का पानी चाहिये। रूल्स में अमेण्डमेन्ट करना चाहिये। जल योजना के बारे में सतर्कता नहीं बरत पा रहे हैं। 68 से मेरे क्षेत्र के गांव में पानी कम है महिलायें जब पानी लेने जाती हैं तो काफी लम्बी नेजें अपने सिर पर रख कर चलती हैं और एक मील तक रस्सी खींचनी पड़ती है। दूसरे गांव के लोग इस गांव में अपनी लड़कियां शादी के लिये नहीं देते हैं। विद्युतिकरण न होने के कारण पिछले पांच साल से यह योजना ठप्प पड़ी है। मैं सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहती हूं कि समय समय पर इस प्रकार की और भी कठिनाइयां निवेदन करूंगी उनको दूर किया जाय। ये जो बातें मैंने कही हैं उनको ध्यान में रखा जाय। जयपुर जिले की सड़कें, बिजली और पेय जल की समस्या को दूर करने के लिये सरकार जो भी संभव प्रयत्न कर सके वह उसको करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल !

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा का यह पहला सत्र है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो अपना भाषण बजट के बारे में दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन जो उस भाषण में घोषणायें की गयी हैं वे अस्पष्ट हैं क्योंकि उसमें यह नहीं बताया गया है कि हमारी सरकार समाजवादी नीतियों को किस प्रकार लागू करने की कोशिश करना चाहती है और हमारा यह बजट उसमें किस प्रकार से सहयोग देगा। इस प्रकार से अच्छा होता कि इसका स्पष्टीकरण यहां पर हो जाता। उपाध्यक्ष महोदय, आगे कहा गया है :

"......भारत सरकार ने......राशियों की पूर्ति हेतु 2.30 करोड़ तक की राशि स्वीकृत की है जिसका मैं स्वागत करता हूं। किन्तु यह राशि कम है क्योंकि हमारे राजस्थान में कहीं पर तो अतिवृष्टि से नुकसान होता है और कहीं पर बारिश नहीं

(श्री रामगोपाल)

होती है इससे अकाल पड़ते हैं। खैर, अक्सर अकाल पड़ते रहते हैं। परन्तु इस वर्ष राजस्थान में अतिवृष्टि हुई है उससे जितने क्षेत्रों में नुक्सान हुआ है वह बहुत है और यह राशि निर्धारित की गयी है वह मैं कम समझता हूं। क्योंकि हमारे राजस्थान में ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बाढ़ की वजह से फसलों का नष्ट होना तो दूर रहा जो फसलें उगी हुई थी वे भी खराब होगयी, गड्ढे पड़ गये और वे उखड़ गयीं। किशनगंज मेरा क्षेत्र है उसमें शाहबाद तहसील है उसमें दो जगह हैं। तलेहेटी और ऊपर तलहेटी में दस तहसीलें हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विस्तार में जायेंगे तो बहुत समय लगेगा।

श्री रामगोपाल : दो मिनिट। वहां पर अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो गयी और रबी भी शीत लहर से नष्ट हो गयी। फसल उगी हुई थी उसकी मिट्टी भी खुद गयी।

आय व्ययक बजट में घाटा बताया गया है वह 23.56 करोड़ का है। उपाध्यक्ष महोदय, यह घाटा कैसे पूरा करेंगे यह स्पष्ट नहीं बताया गया है। अच्छा होता कि इसको स्पष्ट कर दिया जाता। मेरा सुझाव है कि जो फालतू खर्चा होता है उसको कम किया जाय और जो टैक्स वगैरा की वसूलियां हैं उनको वसूला जाय और जो प्रगति के कार्य हैं उस राशि को उनमें लगाया जाय। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी !

(अनुपस्थित)

श्री पुखराज कालानी !

(अनुपस्थित)

श्री विजय सिंह !

(अनुपस्थित)

प्रोफेसर केदार !

(अनुपस्थित)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मुझे दो तीन मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : बोल लीजिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : दो तीन मिनिट बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजय सिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यशवन्तसिंह नाहर माफ करना।

श्री उपाध्यक्ष : यशवन्त सिंह नाहर।

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं हमने बजट पास कर दिया 1 अरब, पैंतालीस करोड़ और तीन महीने का खर्चा सरकार के हाथ सौंप दिया है, जो खर्चा राजस्थान के विकास में लगेगा। अब जो एप्रोप्रियेशन बिल पास करने जा रहे हैं, इसके सम्बन्ध में कुछ बातें मैं निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि बहुत लिमिटेड समय है इसलिए संक्षेप में एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हमारा जीवन रात दिन संघर्ष में पड़ा हुआ है, वहां हमने अपनी कितनी ही इन्स्टीट्यूशन्स पैदा कर दी हैं, बोर्ड्स पैदा कर दिये हैं, कार्पोरेशन बना दिये हैं और

[redacted]

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

सबार्डिनेट लोकल सेल्फ बाडोज का निर्माण कर दिया है । कल इनका इतिहास लिखा जायगा तो उसमें यह मिलेगा कि प्रारम्भ में यह सब के सब काम गवर्नमेन्ट के थे । लेकिन यह जो वेतन मान जब से बढ़ने लगे हैं, जिनमें लेटेस्ट राणावत कमीशन के आये, उसमें अभी अभी हम देख चुके हैं एक बहुत बड़ी हड़ताल, रोडवेज की हड़ताल । उसमें यह जानने का प्रयत्न कर रहे थे कि राणावत कमीशन उस पर लागू होता है या नहीं । इसी प्रकार और बोर्ड्स हैं, इन्स्टीट्यूशन्स हैं, यूनीवर्सिटी हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड्स हैं—उन सब में भी यह अवस्था पैदा करदी है क्योंकि गवर्नमेंट के कर्मचारी अलग हो गये हैं और इनके अलग कर दिये गये हैं । आज कई जगह भंगियों को तीस रुपये भी नहीं मिल पा रहे हैं, जब कि जयपुर के भंगियों को इससे ज्यादा मिलते हैं । मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ कि बोर्ड्स की सर्विसेज हैं, उन बोर्ड्स को आपने क्रियेट किया है, उनको आपने ओटोनोमी दी है, स्वायत्त शासन के अधिकार दिये हैं । इसी प्रकार यूनीवर्सिटी हैं, नगर परिषद् हैं । इन्हें सरकार ने कुछ लोगों को पकड़ा दिया है कि तुम सम्भालो, तुम्हारे नीचे जितने काम करने वाले हैं, इनके जीवन को रोंदते रहो । मैं उनकी दयनीय हालत निवेदन करना चाहता हूं । जो इनमें अध्यक्ष बने हुए हैं अधिकारी हैं वह चालीस पचास हजार, जो मन चाहे, उठा सकते हैं लेकिन उनके अधीन कर्मचारी हैं उनको साइकिल लोन लेने के लिए पांच साल की सर्विस होनी चाहिए, पांच साल, सात साल की सर्विस के बगैर नहीं होता है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के अधिकारियों को बोर्ड्स की ओटोनोमी से लाभ हुआ है । यह बहुत बड़ा विषय है जिस पर मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहता हूं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय आपके नीचे रहने वाले हर आदमी को मिले । आप देखिये, सरकारी विभागों में कितना स्टाफ था आठ दस साल के पहले । वह सारा स्टाफ सरकार के अधीन था, वह इन बाडीज को ट्रान्सफर हो गया । इसी प्रकार से हायर सैकेण्डरी बोर्ड है, इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी है इनकी सर्विसेज को सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली सुविधा से क्यों वंचित करना चाहते हैं । आज गवर्नमेंट के, सरकारी कर्मचारी हैं वह आन्दोलन कर सकते हैं, वह सरकारी मशीनरी को पैरेलेसिस में डाल सकते हैं, लेकिन आज छोटे छोटे म्यूनिसिपल बोर्ड के अधिकारी हैं, लोकल बाडी के अधिकारी हैं, ओटोनोमस बोर्ड के अधिकारी हैं वह उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं । उनको सामन्तों और पूंजीपतियों के हाथ में दे रखा है । उनकी तनख्वाह देखिये, उनका कोई स्वरूप नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर वास्तव में समाजवादी व्यवस्था करनी है और आप चाहते हैं तो इससे अच्छा और बड़ा रास्ता आपको क्या मिल सकता है ।

मैं एक बात मान कर चलता हूं, राजकीय इन्स्टीट्यूशन्स में हड़ताल क्यों ? इनमें हड़ताल की बात समझ में नहीं आती है । इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि इसके पीछे राज्य है । उसकी सरकार सबसे बड़ी ओनर है, सरकार सबसे बड़ा इन्डस्ट्रियलिस्ट है, प्रोपराइटर है, मालिक है । आप ऐसी स्थिति पैदा कर दें जिससे कि

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

सबको सामाजिक न्याय मिल सके, रोटी मिल सके, मिनिमम वेजेज मिल सके। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि बाबा आदम के जमाने के कानून बने हुए हैं मिनिमम वेजेज एक्ट के। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर इन्स्टीट्यूशन के लिए मिनिमम वेजेज एक्ट बने हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य को भोजन मिले, कपड़ा मिले और रहने के लिए घर मिले। वह काम कर रहे हैं गवर्नमेंट आफिसेज में या प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स में तो उनको यह सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन वह नहीं हो पा रहा है। मिनिमम वेजेज एक्ट के लिए एक कमेटी बना दी जाती है। मुझे मालूम है, भीलवाड़ा में माइका की इन्डस्ट्री है, यह करोड़ों रुपये की फारिन करेन्सी कमाती है। लेकिन 1955 से 1965 तक चार बार मिनिमम वेजेज एक्ट वहां बने और हाई कोर्ट ने उनको सेट असाइड कर दिया। आज दो रुपये और इक्कीस पैसे मजदूर को मिल रहे हैं। इतने में शायद वह खाने की सुविधा भी नहीं प्राप्त कर सकता। इसी प्रकार एग्रीकल्चर लेबर है, इसी प्रकार पी. डब्ल्यू. डी. का लेबर है, इसी प्रकार बिल्डिंग कान्ट्रेक्टर्स का लेबर है। इनको इस प्रकार की स्थिति में डाल रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में असेम्बली के बजट सेशन में तीन महीने का अवसर मिला है, इसमें बजट पास करने के साथ ही ऐसा कानून बनाया जाय, ताकि आम जनता को, और कम से कम सरकारी और निजी इन्स्टीट्यूशन्स से सम्बन्धित कर्मचारी हैं उनको सामाजिक न्याय मिल सके, आर्थिक दासता से वह ऊपर उठ सकें और राज्य सरकार जो सबसे बड़ी प्रोपराइटर है वह उनको संरक्षण दे सके। यह इन्स्टीट्यूशन ऐसी नहीं है, जैसे कोई व्यापारी की हों या किसी व्यवसायी की हों जो यह देखे कि इसमें कितना लाभ होता है। यह उम्मीद रखना दकियानूसी है, इस स्थिति को खत्म करना चाहिए। मैं समयाभाव के कारण यही बात कह कर अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेश चन्द्र शर्मा !

श्री गुरदयालसिंह संधु : मुझे भी समय चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेश चन्द्र नहीं हैं। श्री गुरदयाल सिंह संधु !

श्री गुरदयालसिंह संधु (करनपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले की दो मुख्य समस्यायें हैं—एक पानी की और एक भूमि की। इन दोनों बातों को लेकर पिछले दो वर्ष में वहां एक आन्दोलन भी हुआ था और उस वक्त सरकार ने हमारे साथ कुछ वायदे किये थे भूमि के सम्बन्ध में हमारा यह कहना था कि जमीन पर बहुत बड़े बड़े लोगों का कब्जा है। मैं उस बात को ज्यादा नहीं दोहराऊंगा क्यों कि अभी कुछ बातें उस सम्बन्ध में कही जा चुकी हैं। लेकिन सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी, जिसको कोई अधिकार नहीं दिया गया, जिसको यह अधिकार नहीं था कि किसी फाइल को मंगवाया जा सके या फाइल देख सके। मेरे सामने आज हाण्डा जी ने कुछ नाम लिये, वह भूल गये, चौधरी रामचन्द्र जी, जिन्होंने 202 बीघा 3 बिस्वा भूमि को नाजायज तबादला करा रखा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन करूंगा। इसके लिए आपको क्वेश्चन आवर मिलता है, जिनके खिलाफ आप व्यक्तिगत आरोप लगाना चाहते हैं, आप सुन लीजिये, चाहे मंत्रिमण्डल में हो या बाहर हों, या सदन के माननीय सदस्य हों, जिनके बारे में स्पेसिफिक आरोप लगाना चाहते हैं, उसके बारे में पहले लिखित में दें और उसके बाद ही इस तरह की बहस करें. अन्यथा, मैं निवेदन करूंगा इन पर बहस में कोई मत व्यक्त न करें।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं मांग नम्बर एक पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसका कोई अन्त नहीं है, अगर इस तरीके से आप चलेंगे। जो प्रॉसीजर प्रेस्क्राइब्ड है हाउस का, उसके अन्तर्गत काम नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी।

श्री गुरदयालसिंह संधु : जो हुकम देंगे उसकी पालना की जायगी। मेरा निवेदन है, हाई पावर कमेटी को कोई पावर नहीं थी, कोई अधिकार नहीं है। कोई मीटिंग नहीं होती है। आठ नौ महीने के बाद मीटिंग होती है तो उसका एजेन्डा नहीं होता है। भूमि का बंटवारा इस ढंग से किया जा रहा है, मैं इसमें लम्बी चर्चा में न जाकर यह बताऊंगा कि रूल्स नहीं बने हैं लेकिन उधर बैठने वाले लोग हैं उन्होंने अपने एजेंटों को दो दो मुरब्बे दे दिये हैं। मैं नाम नहीं लेता हूं, जब रूल्स नहीं बने हैं और भूमिहीनों को पन्द्रह पन्द्रह बीघा देने की बात कहीं जा रही है, तब भी उधर बैठने वाले लोगों ने अपने पक्ष के दो दो मुरब्बे दिला दिये हैं। मैं इसको इन्साफ नहीं समझता हूं। मैं देखता हूं, गंग. कैनाल, भाखरा कैनाल, राजस्थान में जितना एलॉटमेंट हुआ है, वह सारा गलत एलॉटमेंट हुआ है। 75 एकड़ जमीन जागीरदार को दे दी है। ऐसे ऐसे जागीरदार मिलेंगे, एक परिवार के पास जमीन थी, उसको बीस बीस एकड़ जमीन और एलॉट कर दी, अपने नाम ही नहीं, अपनी धर्म पत्नी के नाम पर, बाप के नाम पर और बेटों के नाम पर। इस तरह की मिसाल मिलेंगी। आज एलॉटमेंट हो रहा है, वह दुरुस्त ढंग से नहीं हो रहा है। मैं एक बात और कह दूं अगर सरकार जांच कराना चाहती है तो वहां जितने बैठे हुए कर्मचारी हैं, उनकी सबकी जांच करा लें तो पता लग जायगा, ऐसे व्यक्तियों के पास इस एलॉटमेंट के काम में बैठने के पहले कितना धन था, और आज कितना धन है।

मैं एक और अर्ज करूंगा। अभी अभी हमारे सामने एक सवाल आने वाला है गेहूं की कीमत का। मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन भी रखा था, पता नहीं क्यों नहीं मौका दिया गया सदन में विचार करने के लिए। गंगानगर के लोग गेहूं पैदा करते हैं, वह इस बात पर चिन्ता व्यक्त करते हैं कि सरकार सत्तर रुपये गेहूं को कीमत मुकर्रर करने वाली है। मैं देखता हूं, आप हमारा मुकाबला करें पंजाब से, पंजाब में ईल्ड ज्यादा होती है, पंजाब में जितना खर्च करना पड़ता है पर एकड़ उतना यहां खर्च किया जाय तो वहां की ज्यादा कीमत होती है और यहां की कम होती है। लेकिन यहां पानी का अभाव है, जमीन पर पानी कम लगता

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
है, इस कारण से हमारा गेहूं महंगा पड़ता है। 76 रुपये पिछले वर्ष में किये थे, उसमें हम समझते थे कि हमारा लेबर पूरा नहीं मिल रहा है। इस साल सत्तर रुपये किये गये तो उससे हमें बहुत नुकसान होने वाला है। पंजाब के जो आड़ते हैं वे चुंगी लगाते है यहां के जो आड़ते हैं वे नहीं लगाते है। इस प्रकार 2) चुंगी प्रति क्वेंटल फर्क पड़ता है। इसके अलावा जितने एजेन्ट लगाए हैं, फूड कारपोरेशन वाले आते हैं, एक रुपया प्रदि क्वेंटल वह ले जाते हैं। तो इस तरह से उसमें कोई बचत नहीं है। गंगानगर के लोगों ने आन्दोलन किया था, वह आन्दोलन बन्द हो गया। उसके कारण थे लेकिन वह बात थी, 76 रुपये पिछले साल मुकर्रर था। तो अगर 70) में सरकार लेना चाहती है किसान से तो सरकार उस पर मार्जिन रखकर सस्ते भावों में देने का हमें प्रबन्ध करें। जब देने का समय आता है तो सस्ते भावों को दुकानें नहीं खोली जाती।

हमने वहां कपास बोई। हम मानकर चलते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन है उसको प्रति क्वेंटल 200) में लें तो कोई बचत नहीं होने वाली है। आज 120) से लेकर 140) प्रति क्वेंटल बेच रहे हैं और उसके मुकाबले में जो कपड़ा है वह ऊंचे से ऊंचे भाव में जा रहा है। सरकार ने कपड़े पर कोई कन्ट्रोल नहीं किया और कोई प्रबन्ध नहीं किया जिससे किसान को पूरा पैसा मिले। यहां कहा गया था कि गंगानगर में कॉटन कारपोरेशन ने बहुत सी कपास खरीदी है लेकिन यह तथ्य बहुत हद तक गलत है क्योंकि गंगानगर में फूड कारपोरेशन ने 4-5 दिन थोड़ी सी लम्बे रेशे वाली कपास खरीदी। उसके बाद में कोई नहीं खरीदी। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है।

नहर की बिना पर हम यहां रह रहे हैं हमारे सामने सवाल आया, सरकार ने जमीन दिलाई, मोतीराम कमेटी रिपोर्ट लागू करे। अगर वह हो जाता तो हमारा पानी जो 60 प्रतिशत मिल रहा है वह 80 प्रतिशत मिल जाता। हमारा इलाका ऐसा है जहां 5-6 महीने पानी मिलता है। रिपोर्ट के लागू हो जाने से हमारे यहां 12 मासी पानी हो जाता है। हमारे साथ वायदा किया कि तीन महीने के अन्दर मोतीराम कमेटी रिपोर्ट पर फैसला करेंगे जून, 1970 में रिपोर्ट कमेटी ने दे दी लेकिन सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि अगर ये दोनों बातें पूरी नहीं की गई तो वहां का किसान चुप नहीं बैठेगा, किसान बरदाश्त नहीं करेगा। हम शांति से बैठे रहें और सरकार मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट को लागू न करें और वहां जमीन भूमिहीनों को न बांटे, यह ठीक नहीं है।

मैं सरकार से और निवेदन करना चाहता हूं। जो तबादले हो रहे हैं उनके बारे में। मैं देखता हूं चुनाव के दिनों में तबादले हुए जबकि सरकार के वायदा कर रखा था कि तबादले नहीं करेंगे। उस पर मैं बहस में नहीं जाना चाहता। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं मेरी तहसील पदमपुर है। वहां एक डॉक्टर रहता है। उसके खिलाफ बड़ी चार्जेज है। अगर मरीज उसके पास जाए, वह मर जाए तो वह डॉक्टर कहता है कि अस्पताल में ले जाओ, मैं इसका

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
पोस्ट-मॉर्टम कराउंगा, तुमने इसको जहर दिया है। इसलिए 500) रुपये देने पड़ते हैं। मुझ से पहले वाले एम. एल. ए. के पास शिकायतें आई। उनके सामने सिद्ध हो गया कि वह ऐसी कार्यवाहियां करता हैं। लोगों के सामने उसने कह दिया कि मैं क्या करूं वह मनफूलसिंह का आदमी है। लोगों में चर्चायें हैं तरह तरह की। डॉक्टर सांखला का तबादला किया था, लेकिन वह रुक गया। वह 11 साल से गंगानगर में हैं। अगस्त 1969 को उसका धौलपुर ट्रांसफर कर दिया। अगस्त 1969 से जुलाई 1970 तक धौलपुर से तनख्वाह ड्रा करता रहा और बैठा रहा गंगानगर में। 11 साल से बैठा हुआ है, तबादले होते हैं तो कैंसिल किए जाते हैं, यह अफसोस की बात है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं फिर निवेदन करूंगा कि वहां सड़कों की हालत अच्छी नहीं है, सरकार शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं देती। हम देहाती लोग चाहते हैं कि वहां कृषि शिक्षा चालू हो, एग्रीकल्चरल कॉलिजिज खुलें, विज्ञान की क्लासेज खुलें लेकिन सरकार कहती है कि पहले वहां के लिए बिल्डिंग बनाइए। क्योंकि शहरों में बिल्डिंग देते हैं लेकिन देहाती लोग बिल्डिंग नहीं दे सकते। इसलिए साइन्स क्लासेज नहीं खुल सकते।

नहर विभाग में भ्रष्टाचार को खतम किया जाए। वहां पक्षपात चल रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 9 दिसम्बर को मेरी नहर आर. बी. है उसमें 222 क्यूसेक्स ज्यादा पानी आ जाता था। उसको पूरा चलाने के लिए 185 क्यूसेक्स की जरूरत है। 9 तारीख को पूरा चल रहा था, 10 का रेकार्ड देखें, 222-क्यूसेक्स पानी है लेकिन नहर बन्द पड़ी है। 11 को चल रही है। किस लिए? क्योंकि वहां से कांग्रेस का विरोधी जीता है। इस तरह रोज के काम हो रहे हैं। मैं मानकर चलता हूं कि लड़ाई जीतने में हमारा भी हिस्सा है। लेकिन उससे ज्यादा एक हिस्सा और है। 13 करोड़ पाकिस्तानियों में से 9 करोड़ तो हथियारों से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे और 4 करोड़ पर लड़कर विजय प्राप्त की। अंत में यही कहता हूं कि आपको गांवों के लोगों की ओर सारा ध्यान देना पड़ेगा।

श्री सहदेव शर्मा (जमुवा रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें संदेह नहीं कि सरकार समाजवाद लाने के लिए वचनबद्ध है। इसमें भी संदेह नहीं कि सरकार गरीबी दूर करने के लिए व्यापक प्रोग्राम बनाना चाहती है। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार यदि कृषि उत्पादन को नहीं बढ़ाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगीकरण की तरफ ध्यान नहीं देगी, सिंचाई के साधनों की ओर ध्यान नहीं देगी, सड़क निर्माण के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान नहीं देगी तो मैं मनता हूं कि समाजवाद के लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत मुश्किल पड़ेगी। आज ग्रामों में रहने वाले ग्रामीण काफी दुखी हैं वहां समाज का प्रत्येक आदमी महसूस करता है कि उसका भविष्य निश्चित नहीं है। गांव शहरों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यदि ये शब्द कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गांव में आज केवल रह रहा है तो किसान ही रह रहा है जिसके पास

(श्री सहदेव शर्मा)
जीविका उपार्जन का दूसरा साधन नहीं। गांव के हरिजन भी शहर की तरफ आ रहे हैं, कम से कम रिक्शा चलाने को मिल जाती है। गांव का महाजन शहर में आड़ते का काम खोल बैठ जाता है। गांव उजड़े हुए हैं। लुहार हैं, कुम्हार है, सब अपनी जीविका उपार्जन का साधन शहर को मानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास आज बहुत आवश्यक हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज गांवों में रहने वाले जो आदमी है जैसे लुहार, बढइ व महाजन लोग जो है वह सभी काम की तलाश में जयपुर है या जो बडे बड़े शहर हैं वहां पर जाकर अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। और गांव आज उजाड़ हो रहे हैं। वहां पर सिर्फ रह गया है बेचारा किसान। आज शहरो की आबादी बढ रही है। वहां पर आज शहर में कन्जेक्शन बढ़ रहा है। और इस तरह से शहरों में भी कई प्रकार को परेशानियां पैदा हो गई हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। मेरा राज्य सरकार से यह सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास जल्दी से जल्दी होना चाहिये। अभी राज्यपाल महोदय के भाषण में यह कहा गया है कि बिजली की क्षमता बढ़ाकर 288 मेगावाट हो गई है। वह मैं मानता हूं कि आज राजस्थान बनने के बाद काफी विद्युतिकरण हुआ है। पर फिर भी जितना विद्युतिकरण होना चाहिये उतना नहीं हुआ है। इसलिये मेरा उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों का जल्दी से जल्दी विद्युतिकरण होना चाहिये ताकि वहां पर जितने भी कुए हैं वहां पर इन्जन लगे मोटरें लगें और किसानों को अपनी खेती के लिये पानी अधिक मिले जिससे कि काश्तकार का भला हो सके। आज जयपुर के जिले के बारे में मैं आपसे कह रहा हूं कि विद्युतिकरण की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिये मैं राज्य सरकार का इस ओर प्रगति करने के लिये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्योंकि जितनी भी गांवों को जो बिजली गई है वह कम है। इसके अलावा जो मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह है गांवों के औद्योगिक विकास के बारे में। मैं यह नहीं कहता कि बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने गांव में खोले जायें। पर मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत कि राज्य सरकार की यह नीति रहनी चाहिये कि गांवों में छोटे-छोटे उद्योग धन्धे खोले जायें। आज जो गांवों से लोग लुहार, बढ़ई वगैरा जो कि अपनी जीविकोपार्जन के लिये शहरों में जाते है वहां पर उन्हें रोजगार मिलने की ज्यादा गुन्जायश रहती है तो आज शहरों की आबादी बढ़ती जायेगी, लोगों को पानी की, रहने का भी बहुत तकलीफें बढ़ जायेंगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह ग्रामीण क्षेत्र के आस पास जो कस्बे हैं वहां पर ही या ग्रामीण क्षेत्रों में ही छोटे-छोटे उद्योग धन्धे खोले जायें; ताकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वहां पर काम भी मिल जायेगा और जो आज शहरों में पानी, आवास, या बिजली की जो समस्यायें है वह कम होंगी। इसलिए मैं राज्य सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो ये उद्योग धन्धों के लिए राज्य सरकार से जो लाइसेन्स दिये जाते हैं वह उद्योग धन्धे बड़े शहरों में लगाने के लिये न दिये जाकर,

(श्री सहदेव शर्मा)
उन कस्बों को दिये जायें जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के नजदीक हों जिससे कि गांवों के लोग उन कस्बों में आकर अपनी आजीविका कर सकें। आज जयपुर की स्थिति यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि जयपुर जिले के आस पास के गावों के लोग यहां आकर अपनी जीविकोपार्जन करने लग गये हैं जिससे आज जयपुर में आबादी बहुत बढ़ गई है, मकान व्यवस्था विकट हो गई है, पानी की कठिनाइयां यहां की जो जनता है उन्हें हो रही है, जो बिजली की परेशानी हो रही है वह कस्बों में लाइसेन्स छोटे-छोटे उद्योग धन्धों के मिलने से कम हो जायेगी। इसके साथ साथ मैं आपसे उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ वह जयपुर जिले की सड़कों के बारे में। पहले तो जयपुर जिले में सड़कों का अभाव है। दूसरे जहां पर भी सड़के हैं उनकी कई बरसों से मरम्मत तक नहीं हुई है। क्योंकि पहले कभी दो तीन सड़के बन गयी तो बन गयी। उसके बाद में जयपुर जिले के अन्दर सड़कों का निर्माण बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपको निवेदन करदूं कि सन् 57 में जब मैं विधान सभा का सदस्य था तो मैंने पुरजोर शब्दों में इस सदन में मांग की थी उस वक्त के मन्त्री महोदय से कि जयपुर जिले की सड़कों का विकास किया जाय। उस वक्त दो तीन सड़कें बनी थी। पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने दूसरी सड़कें बनाना तो दूर पर जो बनाई थी उनकी मरम्मत भी नहीं कर रही है। आज राजस्थान सरकार का पी.डब्ल्यू. डी. विभाग जो है वह जयपुर जिले के बारे में, सड़कों की मरम्मत के बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो सड़कें पुरानी हैं टूट गई हैं, जगह जगह पर गड्ढे हैं जिससे जनता को परेशानी होती है उन्हें मरम्मत कराकर उस पर तारकोल करवाया जाय। इन सड़कों पर डामर करना अत्यन्त ही आवश्यक है, उपाध्यक्ष महोदय, ताकि जो भी मोटर गाड़ियां उन पर गुजरे उनको भी खराबी नहीं होगी। उसके साथ साथ जनता को भी आराम पहुंचेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जो मैं और निवेदन करना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वह राज्य सरकार को चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति का विकास जल्दी से जल्दी किया जाय। वहां पर आर्थिक दृष्टि से विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि वहां पर सिंचाई साधन उपलब्ध किए जायें। आज ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों का अभाव वैसे तो राजस्थान में ही है, पर उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले की स्थिति जिसमें खास तौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत ही कमी है। वहाँ पर सिंचाई का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं हुआ है। आज काश्तकारों के लिए जब पानी की, वर्षा की, वजह से कमी हो तो हमें दूसरे सिंचाई के साधनों से खेती करने की आवश्यकता होती है। चूंकि जयपुर जिले में सिंचाई के साधनों की कमी है इसलिए उस ओर राज्य सरकार को ज्यादा से ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है ताकि वहां के काश्तकारों की आर्थिक स्थिति सुधरे। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं कहता कि आप बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं को अभी तुरन्त ही लागू करें। पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक बड़ी सिंचाई योजनायें नहीं

(श्री सहदेव शर्मा)
शुरू हों तब तक लघु सिंचाई योजनायें जयपुर जिले में शुरू की जायें। ताकि वो उसके शुरू होने में समय भी कम लगे और काश्तकारों को इसका फायदा हो। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं राज्य सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह एनीकट बनाये ताकि पानी उसमें वर्षा के दिनों में भर जाय और फिर उसमें खेती का काम हो सके। वैसे तो लोगों में यह पहले से ही धारणा है कि जयपुर में पानी की कमी नहीं है। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं उपाध्यक्ष महोदय, आज पिछले कई वर्षों में जयपुर जिले में भी पानी का अभाव हो गया है। मैं आपको खास तौर से मेरे क्षेत्र की बात बतादूं कि वहां की स्थिति बड़ी दयनीय है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई एनीकट नहीं न कोई तालाब है और न ही कोई सिंचाई के साधन ही उपलब्ध हैं। तो मेरा निवेदन है कि जमवारामगढ़ क्षेत्र में पानी की व्यवस्था के लिए चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे वह सिंचाई के लिए हो, जल्दी से जल्दी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आज जमवारामगढ़ क्षेत्र में पानी की समस्या का यह हाल है कि जहां पर वर्षा की कमी है, पानी कुओं में नहीं रहा, अतः गांव वाले लोग तीन तीन चार चार कोस से पानी लाते हैं और महिलाओं में तो यह होड़ लग जाती है कि कौन पहले पानी भर के लाये ताकि वहां का पानी उनके हाथ आजाये। मैं आपको इसलिए निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि वो इस ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा एनीकट बनवाये, ताकि किसानों को जब बरसात खतम हो जाये तो खेती करने के लिए पानी मिल जाए। आज स्थिति यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि जब बरसात होती है तो गांवों की भूमि ऐसी है कि पानी बह जाता है चूंकि वहां छोटे छोटे एनीकट बने हुए नहीं हैं और बाद में पानी का अभाव हो जाता है। इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि एनीकट गांवों में बनाये जायें। इससे ऐसा होगा कि जब बरसात आयेगी तो ये छोटे छोटे एनीकट भर जायेंगे और जो पानी बरसात में बह जाने से जमीन सोख लेती है इससे बरसात पर भी असर पड़ता है। जब छोटे छोटे एनीकट होंगे, तो बरसात में यह छोटे छोटे तालाब भर जायेंगे और ये जलाशय किसानों के लिए काफी मददगार रहेंगे। मैं तो यह मानता हूं कि इन छोटे छोटे जलाशयों के अभाव से ही पानी की कमी होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जिस वक्त सन् 66-67 में जयपुर जिले में भयंकर अकाल पड़ा था तो मैंने इस क्षेत्र में दौरा किया था। आपको विश्वास दिला देना चाहूंगा कि स्थिति बहुत ही विकट होगयी थी। पीने के पानी की आमेर और जमवारामगढ़ के क्षेत्र में भयंकर कमी थी। लोग प्यासे मर रहे थे। और लोगों को पानी की व्यवस्था के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। और उसके बाद आज भी जयपुर में व जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जमवारामगढ़ के क्षेत्र में वही की वही स्थिति पीने के पानी की तथा सिंचाई के लिए पानी की कमी है। आज कुओं में पानी नहीं है। लोगों की पानी की समस्यायें हैं उसकी तरफ मैं राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसकी

(श्री सहदेव शर्मा)

व्यवस्था जल्दी से जल्दी करायी जाय । इसलिए मेरा सुझाव है कि ज्यादा से ज्यादा एनीकट बनवाये जायं, जिसकी नेचूरल वेल्यू भी बहुत होगी इसके अलावा मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह है विद्युतिकरण के बारे में । उपाध्यक्ष महोदय, जो विद्युतिकरण आज ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा है उसकी प्रगति बहुत ही धीमी है । मेरा राज्य सरकार से यह आपके मार्फत निवेदन है कि जो ग्रामीण विद्युतिकरण की योजनायें हैं उन्हें तुरन्त क्रियान्वित किया जाए । इसके लिए एक टाइम बाउन्ड प्रोग्राम होना चाहिए । आज टाइम बाउन्ड प्रोग्राम विद्युतिकरण का नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों में अगर पहुंच गयी है तो कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं । आज स्थिति यह हैं कि कुओं से मोटरें लग गयी हैं एन्जिन फिट हो गये है पर बिजली बिल्कुल काम करनी शुरू नहीं हुई है । तो मेरा आपके मार्फत राज्य के मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि अब समय काफी हो गया है और किसान इन्तजार नहीं कर सकेगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर विद्युतिकरण किया जाय । आज जयपुर जिले में जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है जो भी हुआ है, उसकी यह हालत है कि ग्रामीण क्षेत्र में 100 कुओं में से 50 कुओं में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और उनमें जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि पानी इतना नीचे चला गया है कि वहां पर भी अब पानी की कमी होने लग गयी है । आज किसान का पानी बिजली द्वारा निकालने के बाद में अपने कुओं में से 100, सो चड़स पानी निकालना पड़ता है , इसलिये इस स्थिति का निराकरण होना काश्तकार के हित के लिये जरूरी है । आज हमारे यहां जो लोन दिया जाता है, आज जो हमारे यहां पर आर. ई. सी और ए. आर. सी. की जो किसान के लिये आपने स्कीम्स बनायी हैं जो योजनायें बनायी हैं उनका आपस में कोई समन्वय नहीं है, जो कि होना बहुत ही जरूरी है । आज स्थिति ऐसी है कि किसान जब कर्जे की मांग करता है तो उसे समय पर कर्जा नहीं मिलता है । जो बैंको से कर्जा मिलता है उसमें अनपढ़ किसान को पता ही नहीं लगता कि कैसे कैसे उसे कर्ज मिल सकता है उसमें भी कई प्रकार की दिक्कतें हैं, आज गांव को पंचायत समितियों के पास पैसा नहीं और वहां के जो गांव के महाजन हैं, जो मनी-लेण्डर्स हैं वह यह समझते हैं कि हम अगर इन्हें रुपया कर्ज देंगे तो सरकार ने ऐसे कानून बना दिये हैं कि वह हमें वापिस नहीं मिलेगा । तो इस प्रकार की एक समस्या हमारे किसान के सामने आज खड़ी है, और जब किसान के पास पैसा नहीं, कर्ज उसे मिलता नहीं है तो फिर बगैर पैसे वह कहां से खाद खरीदेगा, कहां से पम्प लगायेगा और कहां से वह बीज लायेगा । तो मेरा आपसे निवेदन है कि काश्तकारों के लिये आप ऐसी व्यवस्था करें कि उन्हें समय पर यह सभी चीजें उपलब्ध हो जायें । इसके लिये मैं आपके मार्फत, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि ए. आर. सी. और आर. ई. सी. का ऐसा नियोजन किया जाये कि उन दोनों के समन्वय से काश्तकार को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे । इसके अलावा एक बात की ओर मैं राज्य

(श्री सहदेव शर्मा)

सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि किसानों को जो दवाइयां खेती के लिये मिलती हैं वह समय पर नहीं मिलती हैं। तो मेरा इसके लिये कृषि विभाग के मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि समय पर काश्तकारों को दवाइयां वगैरह मिल जाये ऐसे आदेश अपने विभाग को दे दें, ताकि काश्तकारों को इसकी असुविधा न हो। इसका मुझे कटु अनुभव है क्योंकि मैं जिला प्रमुख भी हूं। मैंने जिला प्रमुख की हैसियत से इस जयपुर जिले का दौरा किया है, मुझे यह अनुभव हुआ है कि किसान को आज समय पर दवाइयां खेत में डालने को नहीं मिलती किसान को समय पर खाद, बीज, ट्रैक्टर वगैरह का कर्ज समय पर नहीं मिलता है और यह है तो वहां कुओं में बिजली का कनैक्शन नहीं मिला है इस तरह से काश्तकार आज परेशान है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि इन समस्याओं का हल तुरन्त किया जाये ताकि किसान को राहत मिले।

अन्त में एक बात मैं आपसे जो निवेदन करना चाहता हूं वह है पंचायत विभाग के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय आज पंचायत विभाग का हाल बहुत ही खराब है। आज स्थिति ऐसी है कि पंचायतों और जिला परिषदों के पास कोई काम नहीं है। आज पंचायतों और जिला परिषदों के पास सिवाय एक्सटेन्शन ऑफिसर्स और उनके नीचे जो सबोर्डीनेट स्टाफ को तनख्वाह देने के सिवाय कोई काम नहीं है। इसके लिये मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि या तो आप पंचायत राज को खतम कर दीजिये या फिर इसे सशक्त बनाइये। इसके लिये अगर पंचायत राज को सही मायने में चलाना चाहते हैं तो पंचायतों को काम दीजिये, पावर दीजिये पंचायत समितियों को और जिला परिषदों को ताकि इससे जनता का भला हो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। आज जो आपने कमेटियां बनायी हैं जैसे सादिक अली रिपोर्ट उसने जो आपको रिकमन्डेशन्स की है उन्हें आप लागू कीजिये। आज स्थिति ऐसी है कि सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट आयी पड़ी है उसकी रिकमन्डेशन्स की क्रियान्विति नहीं की गयी है वह रिपोर्ट सिर्फ आई पड़ी है। भूतपूर्व मुख्यमन्त्री ने आबू में एक कमेटी इस बारे में विचार करने के लिये बनाई थी कि सादिक अली कमेटी की सिफारिशों को किस सीमा तक स्वीकार किया जाय और दूसरे राज्यों में इस बारे में क्या स्थिति है इसको देखकर यहां भी आवश्यक शक्तियां पंचायत राज को सौंपी जाने की बात कही गई थी।

इसके बाद पिछले मन्त्रिमण्डल ने इस पर और गहराई से छानबीन करने और रिपोर्ट देने के लिये गिरधारीलाल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी और बनाई थी। मुझे नहीं मालूम कि इस कमेटी ने अब तक कितना काम किया है। अगर राजस्थान में पंचायत राज चलाना है तो हमें गुजरात महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेशों के पैटर्न को भी देखना होगा। आज तो कमिटेड एक्सपेण्डीचर के अलावा पंचायत समितियों और जिला परिषद् के पास कुछ नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में आज के रूप में तो पंचायती राज चलने वाला

(श्री सहदेव शर्मा)
नहीं है, यह सब मानते हैं। आगे क्या रूप इसको आप देना चाहते हैं यह निश्चित करना बहुत जरूरी है और आवश्यक है।

अध्यापकों को तनख्वा उनके मैडिकल बिल के भत्ते, आदि सरकार देने के लिये वचनबद्ध है। पर वह भी सरकार कर नहीं रही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। हाउस में कोरम नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : कोरम तो है। सारे पासे उल्टे पड़ रहे हैं आपके तो।

श्री सहदेव शर्मा : आज जिस रुपये को विकास के काम में खर्च करना चाहिये वह रुपया अध्यापकों और कर्मचारियों को वेतन और मैडिकल बिलों आदि में एडजस्ट करना पड़ता है तो फिलहाल सरकार यह सारा रुपया उनको दे तो अच्छा होगा।

मेरा वित्त मन्त्री और विधि मन्त्री दोनों से निवेदन करना है कि वे पंचायत राज के सारे स्वरूप पर नये सिरे से विचार करें। नहीं तो जो आज स्थिति है उससे तो अच्छा यही होगा कि इसे बन्द कर दिया जाय। सरकार अपने मन्त्रि-मण्डल पर इस पृष्ठभूमि में विचार कर ले। पंचायत राज का भविष्य निश्चित् करें।

इसके चुनाव भी होने चाहियें और जल्दी ही होने चाहिये अगर आप इस पंचायत राज संस्था को जीवित रखना चाहते हैं तो। चुनाव नहीं होने से भी इसमें निष्क्रियता आ गई है।

इतना ही निवेदन करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द जाटव।

श्री गोकुलचन्द जाटव (कठूमर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1972-73 का विनियोग विधेयक सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है, उस सम्बन्ध में मैं संक्षेप में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है।

मैं शायद उस समय उपस्थित नहीं था जबकि इस तरह की घोषणा वित्त मन्त्री महोदय या मुख्य मन्त्रीजी ने कर दी हो या न करदी हो अगर कर दी हो तो क्षमा चाहूंगा कि मैं उस समय सदन में उपस्थित नहीं था।

मेरी जानकारी यह है, चुनाव के दौरान मुझे गांव गांव में जाना पड़ा था। सभी माननीय सदस्य भी जाकर आये हैं। अबकी बार तो किसानों पर आफत आई, मुझे नहीं मालूम, अन्य जगहों की क्या स्थिति है, पर अलवर और भरतपुर जिले, जो मेरे पड़ौस में हैं, अलवर मेरा देखा हुआ है, वहां किसानों की सरसों की पैदावार को चेपा ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। दूसरी पैदावार चना और अरहर भी नष्ट हो चुकी है। किसान आज परेशान है।

आप जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि किसान ने कुओं पर बीज पर तकावी का लोन का रुपया लिया हुआ है। मकान बनाने के लिये भी कर्जा लिया है किसी ने को-ऑपरेटिव सोसायटियों से तो किसी ने बाहर से या अन्य किसी जगह से ऋण लिया है। आज वह किसान कैसे किश्तें दे पावेगा।

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

तो इसके लिये मैं चाहूंगा कि उनसे लगान ग्रादि की वसूली इस साल स्थगित करदी जाये। ग्रगर वित्त मन्त्री महोदय ने इसकी घोषणा कर दी है तो खुशी की बात है। नहीं की है तो यह घोषणा वे तुरन्त करने की कृपा करें। सारा लगान सारी वसूलियां स्थगित होनी चाहिये। किसान ग्राज पीडित है ग्रौर चिन्तित है।

दूसरा प्रश्न यह रखना चाहता हूँ कि सरकार बड़ी रकम खर्च कर रही है। ग्रावास की योजनाग्रों पर सरकार की बडी बड़ी बिल्डिगें बन रही हैं। पर हरिजनों के लिये छात्रावास भवन सरकार ग्रभी तक नहीं बना पाई है।

ग्रलवर में हरिजन छात्रावास खोला गया। ग्राज उसकी यह दशा है कि वह कभी किसी मकान में रखा जाता है तो कभी किसी में। सरकार ग्रपनी तरफ से एक बिल्डिग छात्रावास के लिये ग्रलवर में नहीं बनवा सकी। प्रावधान भी नहीं रखा। इसलिये सरकार से निवेदन करता हूँ कि जहां सरकार इतनी बड़ी बडी बिल्डिगें ग्रौर कामों के लिये बनवा रही है वहां हरिजन छात्रों के लिए छात्रावास बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। बच्चों को इसके ग्रभाव में बड़ी परेशानी होती है। ग्राज वह छात्रावास पहले जहां था वहां से भी हटाकर पहाड़ के नीचे पलवा हाउस में ले जाया गया है। इसकी तो तकलीफ नहीं। पर वह उपयुक्त बिल्डिग नहीं है। सरकार का ध्येय है पिछड़े वर्ग को उन्नति करना। उनको समान ग्रधिकार दिलाना, बराबर लाना तो सरकार का ध्यान इस ग्रोर जितना जाना चाहिये नहीं जा रहा है। मुझे ग्राशा है इस भवन के बनाने के लिये सरकार ग्रवश्यक कदम उठावेगी।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो कृषि भूमि ग्रावन्टित की जाती है उसके लिए सरकार ने, यदि मैं भूला नहीं हूं, तो यह घोषणा की थी कि ग्रमुक तारीख तक सारी भूमि जितनी ग्रलॉटमेन्ट के काबिल है उसके ग्रांकड़े मंगा लिये जायें ग्रौर वह ग्रलॉट कर दी जावेगी। मैं नही समझता वह ग्रादेश सरकार ने कैसे दिया तो फिर उसकी पालना क्यों नहीं की गई। ग्रब कहां से नई जमीन ग्रावेगी। जब सब फैक्ट्स मंगा लिये जितनी भूमि खाली थी उसके ग्रांकड़े सब ग्रा गये तो फिर क्या कमी रह गई। क्या सरकार के हुक्म का पालन नहीं हुग्रा किसी कर्मचारी ने हेराफेरी की। गडबड़ी की ? या सरकार की मन्शा ऐसी ही थी। उत्तर सही दें। हर साल इस प्रकार का चकमा देना ठीक नहीं है चकमा शब्द शायद ठीक नहीं है। जब ग्राप हर बार ग्रलॉटमेन्ट की बात करते हैं तो फिर वह होता क्यों नहीं है। ग्रब जिनको थोडा बहुत ग्रलॉटमेन्ट हुग्रा, वे मैंने भी देखे। किसी को एक बीघा किसी को सवा बीघा। एक बीघा सवा बीघा से ज्यादा नहीं है कहते हैं जमीन ही नहीं है। एक एक बीघा ही देकर राजा कर दो चलो। मैं भी जब जमीन नहीं है तो क्या कह सकता था। मेरा कौन दोस्त ग्रौर कौन दुश्मन। पर इसके बाद सरकार ध्यान नहीं देती। उन लोगों की तरफ जिन्होंने हजारों बीघा जमीन पर नाजायज जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है। सरकार उनको रेगुलेराइज करने जा रही है। चलो इसको भी थोड़ी देर के लिए सही मान लेते हैं। सरकार का ग्रादेश सिर

(श्री गोकुलचन्द जाटव)
माथे पर। आप सब को खुश रखना चाहते हैं। हम अपना मन मारकर बैठे रहते हैं। पर ऐसे किस्से भी देखने को मिलेंगे कि 67 तक आपने ऐसे केस रेगुलेराइज किये। पर वे 67 वाले केस आज भी रेगुलेराइज नहीं हुए कि दूसरी घोषणा सरकार ने और कर दी कि इसके बाद भी जनवरी 71, तक जिन्होंने अनधिकृत कब्जे किये हैं तो उनको भी रेगुलेराइज कर दिया जावे। तो यह अनधिकृत कब्जा करने का जबर्दस्ती कब्जा करने का और उनके बाद में रेगुलेराइज कर देने का। क्या यह एक तरह से अनधिकृत कब्जा करने वालों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन नहीं है। दूसरी तरफ आप कहते हैं गरीब कमजोर हरिजन तबके को आप आगे लाना चाहते हैं। गरीबों को रोटी देना चाहते हैं। पर यह आप कैसे कर सकेंगे। जो जबर्दस्त होंगे वे कब्जा करते रहेंगे गरीब पिछड़ जावेगा, और जबर्दस्त को आप रेगुलेराइज कर देगें। गरीब आपका मुंह देखता रह जावेगा। यह कैसा आपका तरीका है गरीबी मिटाने का? इसमें स्पष्टीकरण करें कि सरकार ऐसा क्यों करती है? क्या कमजोरी है? सरकार के आदेश क्यों नहीं माने जाते? सरकार की क्या नीति है नहीं तो सरकार स्पष्ट तौर से कह दे कि सरकार मजबूर है उन जबर्दस्तों के सामने। गरीबों की मदद करना चाहती है सरकार पर मजबूर है कि कर नहीं सकती। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है। चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं शिक्षण संस्थायें आजकल प्राईवेट बहुत चल रही हैं। हमारे देखने में आया है कि समाजवाद की बात बराबर की जा रही है और हमें बड़ी खुशी है, मैं खुद मानता हूं और जानता भी हूं हमारी प्रधान मन्त्री के लम्बे चौड़े भाषण सुने, उनका दृष्टिकोण भी सुना और यह भी देखा है कि वे असमानता को मिटाने के लिये और समाजवाद को लाने के लिये कटिबद्ध है। समाजवाद अभी हमने पिछले दिनों देखा एक केन्द्र के उप-मन्त्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया के बच्चे और भूतपूर्व समाज कल्याण मंत्री श्री अमृतलाल यादव के बच्चे सेन्ट जेवियर स्कूल में पढ़ते थे लेकिन क्या आप समझते हैं क्या हर एक हरिजन का बच्चा, हर गरीब का बच्चा सेन्ट जेवियर में पढ़ सकता है तो मेरा निवेदन है कि सारे प्रान्त में, सारे देश में एक जैसी शिक्षण संस्थायें होनी चाहिये। पढ़ाई के बारे में कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिये। आप चाहते हैं समानता की बात तो करें लेकिन अमीरों के बच्चे तो ऊंची स्कूलों में जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फीसें हैं, वहां पढ़े और एक गरीब का बच्चा गरीबी के अभाव में ठीक ढंग से पढ़ भी नहीं पाता है। गरीब जमीन पर पैदल चलता है और लोग हवाई जहाज में उड़ते हैं। गरीब थर्ड क्लास में सफर करें तो दूसरे लोग ऐयर कन्डीशन में सफर करें तो क्या आप इसी तरह का समाजवाद लाना चाहते हैं। मैं मानता हूं आखिर कुछ मजबूरियां होती होंगी लेकिन जब ये ऐक्शन सामने आते हैं तो मुझे तो फरक लगता है कि समाजवाद केवल थोथे नारों से आने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं सरकार कुछ नीति स्पष्ट करे। सारी शिक्षण संस्थायें एक जैसी होनी चाहिये, इसमें मतभेद नहीं होना चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूँ मैंने सरकार की तरफ से और माननीय मुख्य मन्त्री जी की तरफ से यह सुना कि वे

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

ट्रान्सफर केसेज से बड़े परेशान हैं अखबारों में भी पढ़ा गया है कि एम. एल. एज. का धन्धा ही ट्रान्सफर बाजी रह गया है। मैं ऐसा तो नहीं मानता हूं लेकिन किसी केस में मिनिस्टर से जाकर कह दें कि यह ट्रान्सफर उचित है या अनुचित है तो मैं समझता हूं ऐसी कोई बात नहीं है। एक गरीब चतुर्थ श्रेणी, एल. डी. सी., यू. डी. सी. का ट्रान्सफर बिना किसी कारण के और वह भी एक साल में दो-दो तीन-तीन बार कर देते हैं। कभी उसका ट्रान्सफर जैसलमेर कर देते हैं तो कभी उसका ट्रान्सफर सिरोही कर देते हैं तो कभी बाड़मेर करते हैं। मैं आपको बताता हूं वे लोग इन ट्रान्सफरों से कितने पीड़ित हुये हैं। दूसरी जगह जाते हैं उनको कोई पास बैठाने को तैयार नहीं हैं। उनको बार बार नई जगह जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी नई जगह पर व्यवस्था ठीक से बैठ नहीं पाती है कि फिर ट्रान्सफर कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई एम. एल. ए. किसी के लिये मिनिस्टर को कह देता है तो मैं समझता हूं यह उस कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं करता है। ऐसा कौनसा निकम्मा एम. एल. ए. होगा जो बिना बात बिना किसी कारण के ट्रान्सफर केसेज के लिये जाकर मिनिस्टर से कहेगा। मैं समझता हूं कोई एम. एल. ए. इस बात को पसन्द नहीं करेगा। एक फोर्थ क्लास कर्मचारी को जिसको बहुत कम तनख्वाह मिलती है उसको भी आप होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप कोई पनिशमेन्ट देना चाहते हैं तो दीजिये आपको कौन रोकता है और कौन उसके लिये जाकर कहता है लेकिन रोजाना, आये दिन ट्रान्सफर होते हैं तो क्या हम भाड़ झोंकने के लिये यहां आये हैं। वह भी हमारा एक मतदाता हो सकता है किसी न किसी रूप में उसका भाई हमारा मतदाता हो सकता है, उसका पिता और माता हमारे मतदाता हो सकते हैं। कर्मचारी हमेशा अपने चुने हुये प्रतिनिधि का लाभ उठाना चाहता है और मैं समझता हूं अगर वाजिब लाभ है तो क्यों नहीं उठाना चाहिये। मैं सरकार से स्पष्ट चाहूंगा उनकी स्पष्ट पॉलिसी क्या होगी जो बार बार यह बात कही जाती है कि एम. एल. एज. का धन्धा ही ट्रान्सफर बाजी का हो गया है। यह हम लोगों के लिये एक शर्मिन्दगी की बात है। मैं निवेदन करूंगा हमारा इस प्रकार का कोई इन्टरेस्ट नहीं है, हमारा कोई इस प्रकार का धन्धा नहीं है लेकिन जो गरीब और छोटे कर्मचारी हैं उनके साथ इस प्रकार का पनिशमेन्ट नहीं होना चाहिये। उनको इस प्रकार आप दूर भेज दें। आप यह चाहते हैं जो सर्विस करेगा वह अपने घर पर मिलने नहीं जायेगा, उसके घर में शादी-विवाह और अनेक पारिवारिक बातें ऐसी आती हैं जिनमें उसको जाना जरूरी होता है। एक गरीब एल. डी. सी., यू. डी. सी. के लिये यह बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वह अपने अल्प वेतन में से आने जाने में खर्च कर देता है। इन सब बातों की ओर ध्यान देना चाहिये। सरकार को मैं जो कुछ भी संक्षेप में कह पाया हूं वह मैंने कहा है। मैं चाहता हूं सरकार इस ओर अवश्य ध्यान दें। मैं धन्यवाद देता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने का अवसर दिया और यह कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : मान्यवर, आज एप्रोप्रियेशन बिल पर जो जनरल डिबेट करने का मौका मिल रहा है इस वक्त पर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं वैसे तो वित्त मन्त्री महोदय जब अपना फुल फ्लेज्ड बजट पेश करेंगे तब वास्तविक इकोनोमिक कन्डीशन पर बोलने का मौका मिलेगा। आज तो मैं यह कह सकता हूं—Equity of protection and protection plus, Equity जबकि सेन्ट्रल बजट हमारे सामने पेश हो गया, जनरल डिसक्शन हो गया, फाइनेन्स मिनिस्टर की स्पीच हो गई, रिप्लाई भी आ गया। मैं यह मानकर चलता हूं हिन्दुस्तान में जो बजट पेश हुआ वह किन कन्डीशन में हुआ अगर इस बजट को गाइड लाइन मानकर चलें तो मैं मान्यवर यह निवेदन करता हूं राजस्थान के किसान को, राजस्थान के मजदूरों को और राजस्थान के आम आदमी को राहत मिलने वाली नहीं है कारण उस इकोनोमिक सर्वे का स्टेटमेंट पेश किया गया—लोक सभा के मेम्बर्स के सामने। वह स्टेटमेन्ट मेरे पास है मैं उसको यहां साइट करूंगा। मान्यवर मेरा निवेदन है अगर मोनोपोलिस्ट पर कन्ट्रोल किया जाय तो कुछ हो सकता है। प्राइसेज को स्टेवलाइज करने के लिए, प्राइसेज को मिनिमाइज करने के लिए राजस्थान की इकोनोमी में कुछ करना चाहिये लेकिन मान्यवर इस बारे में कोई बजट में लफ्ज नहीं है और आयन्दा टैक्सेज का क्या होगा किस पर इनसिन्डेन्ट पड़ने वाला है और हमारी इकोनोमिक ग्रोथ क्या होगी। अगर इसमें से कुछ नहीं है तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं राजस्थान का भविष्य अन्धकार मय है। आज राजस्थान, हिन्दुस्तान की बात कहें, दो स्टडी टीम लगी हुई हैं, क्या राजस्थान की पावर्टी लाइन बढ़ी है या कम हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आज भी 40 प्रतिशत लोग बीलो सबस्टेन्शियल फूड लेते हैं, आदिवासियों की बात को छोड़कर उनकी जो पर-केपिटा इन्कम है वह बहुत कम है। मैं यह मानता हूं फाइनेन्स मिनिस्टर यह बजट फ्रेम करें तो यह पर-केपिटा इन्कम बदलनी चाहिये। यह गलत तरीका है इसलिए हमारे राजस्थान की पर-केपिटा इन्कम इन हालतों में गिरी है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं जब आप रिप्लाई दें तो प्राइसेज के बारे में आपका क्या रिफलेक्शन है। प्राइसेज की स्टेबिलिटि कब आ सकती है जब मोनोपोलिस्ट्स को खतम किया जाय, टैक्सेज को कम किया जाय जब तक यह नहीं किया जायगा तब तक स्टेबलिटि नहीं आ सकती है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं आपकी मार्फत फोर्थ प्लान की रिपोर्ट आये तो उसमें यह स्पष्ट होना चाहिये क्या टार्गेट्स हैं; उसमें क्या शार्टफाल हुआ है ये चीज हमारे सामने आनी चाहिये। उसके बिना उस कमी के कारण आज कौनसी बात बयान कर दें यह मेरा अन्दाज नहीं लगता है। अगर आप चाहते हैं इन्डीज्युअल इम्बेलेन्सेज समाप्त हो, अगर आप चाहते हैं सोशियल जस्टिस हो तो कुछ फार्मूलेशन करने पड़ेंगे। चाहे राजस्थान का बजट हो, चाहे इण्डिया का बजट हो कुछ फार्मूलेशन करके चलना पड़ेगा, कुछ नये डिपारचर भी करने पड़ेंगे। मै चाहता हूं राजस्थान के अन्दर जब हम वित्तीय स्थिति की बात करते हैं कितना कर्जा है, कितना केपिटल फार्मेशन है, कितनी उसकी रेट आॅफ ग्रोथ है—फोर्थ

(श्री केदारनाथ)

प्लान के थ्री इयर समाप्त हो गये हैं लेकिन कुछ आज भी मालूम नहीं पड़ता है। केवल सेन्ट्रल से असिसटेन्स लेते रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा नहीं पाये, रेट ऑफ ग्रोथ इकोनोमिक को बहुत कम है। आपने कभी सोचा उस पैसे का रिटर्न क्या हुआ ? स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज हैं, लार्ज स्केल इण्डस्ट्रीज हैं और जहां जहां आपने पैसा खर्च किया है कभी सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि उसका रिटर्न क्या होगा। प्रास्पेरिटी की बात, ऑर्डर की बात, प्रायोरिटी की बात आप कभी सोच कर नहीं चले। जनता ने आपके हक में फैसला किया है मैं समझता हूं कि आपको मौका मिला है और आप राजस्थान की इकानॉमी को हैन्डल कीजिए। हमारे फाइनेन्सेज बहुत गिरे हुए हैं, हमारी इकॉनामी क्रिपल है और मैं बधाई देता हूं अगर आप राजस्थान को स्टियर कर दो और जो स्टेगनेन्ट इकानॉमी है इसको स्टियर कर दो। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि राजस्थान सिवाय बिहार के पर-केपिटा इनकम में सबसे कम है और यहां पर बर्डन ऑफ टैक्सेस सबसे ज्यादा हैं। तो पर-केपिटा इन्कम और बर्डन ऑफ टैक्सेस को कैसे मेल करने जा रहे हैं इसलिए मैं जो इकॉनामिक सर्वे की रिपोर्ट है उसका लास्ट पैरा सुनाना चाहता हूं :

"The evolution of appropriate Centre-State relations is crucial not only in regard to the resources mobilisation but in respect of proper utilisation of available resources and for speedy removal of regional inequalities as well. The effective implementation of many of our socially oriented schemes of development in rural areas would depend again on the quality and education of, local leadership. The challenge of rapid economic development thus cannot be met merely by sound economic management. It is to be met also at a much deeper social, political and institutional level. "

यह लास्ट पैरा है। मैं समझता हूं कि राजस्थान पर यह लागू होना चाहिए। आज की कन्डीशन्स को देखते हुए अगर आप मुझ से पूछें श्रीमान् तो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि 700-750 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और 600-650 रुपये का कर्ज है और राजस्थान में बैकवर्ड इकानॉमी है। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान में भी कहा था कि यह बैकवर्ड इकानॉमी है और फैमिन स्टेट है और बोर्डर स्टेट हैं तो मैं, जब यह अर्ज कर रहा हूं कि मैंने पॉलिटिकल रिलेशन्स की बात भी कही कि हमारे चीफ मिनिस्टर कैसे राजस्थान और राजस्थान के बाहर लीडरशिप दे पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब फाइनेन्सेस की बात करता हूं। छठे फाइनेन्स कमीशन के सामने कैसे अपना केस पुट-अप कर रहे हैं और हमारे राजस्थान के फाइनेन्स की कैसे पिक्चर पेश कर रहे हैं और राजस्थान को जो एलोकेशन हो रहा है उसका

(श्री केदारनाथ)
पैटर्न बदला जाये ताकि राजस्थान की बैकवर्डनेस को निजी रिसोर्सेस पूरा नहीं कर पायेंगे, राजस्थान के ऊपर कितना कर्ज है और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और लोगों के ऊपर दूसरी स्टेट्स के मुकाबले टैक्स बर्डन ज्यादा है तो इन हालात को देखते हुए कितना एलोकेशन आप करवा पाते हैं यह आपकी काबलियत पर निर्भर करता है।

तो मैं उपाध्यक्ष जी, ज्यादा न बोलते हुए एक बात कहना चाहता हूँ प्राईसेस के बारे में। आज एक नेशनल कान्शश बन गया कि रिच पीजेन्ट्री के ऊपर टैक्स लगे। मैं भी इसका स्वागत् करता हूं लेकिन कम से कम आम किसान को उसकी प्रोड्यूस की कीमत तो दी जाये। जो छोटे किसान हैं, जिनके पास स्माल होल्डिंग्स हैं, 15-15 और 20-20 बीघा जिनके पास जमीन है, छोटी छोटी फार्मस् हैं, मेह्नत से कमाते हैं उसकी कास्ट ऑफ प्राडक्शन कितनी है उसको आप कितना मार्जिन देना चाहते हैं और फसल आने के बाद उसी कमोडिटी की कीमत क्या हो जाती है, फसल का क्या रेशो होना चाहिए-तो आप कोई तो प्राईस पॉलिसी तय करो। जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीजहैं— इन्डस्ट्रियल कमोडिटीज हैं उसका क्या मेल होना चाहिए। अगर आप किसान की प्रोड्यूस को कीमत नहीं दे पायेंगे तो रूरल इकानॉमी जिसके कारण से 50 पर्सेन्ट आपकी स्टेट इकानॉमी में पैसा आता है उसकी बैकबोन टूट जायेगी, वह जिन्दा नहीं रहेगा। आप चाहते हैं प्राईस कम कर दें तो आप उसको सबसीडाइज कीजिए। हैप्पी बैलेन्स क्रियेट करना आपका फर्ज है। अगर एक कमोडिटी की कीमत बढ़ती है तो सारी चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए कैसे आप चैक एन्ड बैलेन्स कर सकते हैं यह आपका काम है।

दूसरी बात में यह कहना चाहता था कि प्लानिंग कमिशन की मीटिंग होगी और फिर चीफ मिनिस्टर्स की कान्फरेन्स होगी उसमें आप फ्यूचर के लिए क्या व्यू ले रहे हैं यह देखने की बात है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर के आब्जर्वेशन आये हैं और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के भी आये हैं आपकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए यह देखना है।

दूसरी बात बोर्डर के इलाके के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर बोर्डर पर 10 मील का एरिया आपने खाली करवा दिया लड़ाई के समय में। कितना मुआवजा देने के लिए आपने सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को मूव किया है? फेमिलीज का मूवमेन्ट हुवा? उनके कैम्प का इन्तजाम आपने किया, कितनी उनको दिक्कतें आईं? जैसे पंजाब में लैंड रेवेन्यू माफ कर दिया, इर्रीगेशन चार्जेज माफ कर दिये उनके मूवमेन्ट का मुआवजा, खड़ी फसल छोड गये उसका मुआवजा और आने वाले समय में जो फसल नहीं हो सकी उसका मुआवजा-ये सारे मुआवजे आज से एक महीने पहले दे दिये गये। इस बारे में आपका कोई स्टेटमेन्ट नहीं है, न तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आया और न चीफ मिनिस्टर अपने रिप्लाई में बोले। मैं चाहता हूँ कि फाइनेन्स मिनिस्टर बतायें कि बोर्डर पर जितना नुकसान हुआ है कितना क्लेम सेन्टर से आपने मांगा है

(श्री केदारनाथ)

और मांगा है तो कितना पैसा मन्जूर हुआ यह बहुत बड़ा अहम मसला है। सब जगह बोर्डर अलाउन्स मिलता है और गंगानगर के 10 मील के अन्दर तक जो काम करते हैं उनको अलाउन्स नहीं यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अगर आपने बोर्डर को डिफाइन कर दिया, 10-15 मील को आपने बोर्डर एरिया डिक्लेयर कर दिया तो लाजिमी उनको अलाउन्स मिलना चाहिए। तो श्रीमान्, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे राजस्थान की हालत को देखते हुए जो प्रायोरिटी लाने की बात कही, राजस्थान पर कर्जा है और टैक्स ज्यादा है—ऐसी हालत में शैटरिंग इकानामी का कैसे रूप बदलेंगे यह आपके काबलियत पर है।

मैं ज्यादा न बोलते हुए अंत में यह कहना चाहता हूं कि हम अब दस दिन के बाद मिलेंगे और तब बजट सैशन शुरू होगा उससे पहले हमें प्लान का री-एप्रेजल प्लानिंग कमेटी बना कर कर लेना चाहिए। प्लानिंग कमेटी बनाई है या नहीं यह भी पूछना चाहता हूं या केवल डिपार्टमेन्टल ही सिर्फ कार्यवाही है। कोई एक्सपर्ट की, एम.एल.ए., एम.पी. की बाड़ी बना रखी है जो कि प्लान के बारे में, डेवलपमेन्ट स्कीम के बारे में कोई नक्शा रख सके। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि सारी स्टेट्स में इस तरह की कमेटी बनी हुई है और 6-6 महीने के बाद प्लान का री-एप्रेजल होता हैं, कितना टारगेट आप पूरा कर पाये हैं, क्या कमियां हैं-मैं चाहता हूं कि ये सारी बातें सामने आये। ज्यादा न बोलते हुए अंत में यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की हालत पालिटिकली, इकानामीकली और सोशियेली ऐसी हालत है कि अगर 6 महीने तक और नहीं संभाला गया तो गरीब आदमियों को राहत नहीं मिलेगी। हम सोचते थे कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह आयेगा कि फलां तारीख तक सन् 74 तक इस देश में 200 रुपये से कम किसी आदमी की आमदनी नहीं होगी—हम तो इस तरह की आशा करते थे। चाहे मजदूर कारखाने में काम करे, घर में चपरासी का काम करे या माइन्स में काम करें तो 200 रुपये से कम किसी की आमदनी नहीं हो ऐसी हम आशा करते थे कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आयेगा। यह भी हम आशा करते थे कि जो सोशियेलिज्म हम चाहते हैं राजस्थान में, हिन्दुस्तान में कि चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो 1500 रुपये से ज्यादा खर्च करने का अधिकार किसी को भी नहीं है लिमिट बांध दीजिए। आज अन्य देशों में भी, कैपिटल देशों में भी रेशो है गरीबी और अमीरी का। एक और पांच का, एक और पच्चीस का एक और तीस का लेकिन आपके यहां है एक और तीन सौ का। यहां एक और तीन सौ का रेशो है फिर आप किस प्रकार से इकोनोमिक ट्रांजेक्शन का सोशियलिज्म कर पायेंगे। ऐसी हालत में तो यह इकोनोमिक ट्रांजेक्शन ऑफ सोशियलिज्म एक मखौल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप आमदनी और खर्च की लिमिट बांधें। हरएक आदमी को यकीन होना चाहिए कि उसको तीन सौ रुपये की या दो सौ रुपये की आमदनी होगी। कोई

(श्री केदारनाथ)

सर्विसेज की, एम्पलोयमेंट की सिक्योरिटि हो तो हम मानकर चल सकते हैं कि आप राजस्थान में कोई नई चीज लाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलने के मौके पर मैं खास करके जयपुर इलाके की दो चार समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात को स्वीकार किया था कि यहां पर चांपे की बीमारी हुई थी। 67 के अन्दर भी चांपे की बीमारी हुई थी और कुछ रिलीफ दिया गया था। मैं आज जयपुर जिले के किसानों के बारे में कहना चाहता हूं कि पिछली खरीफ की फसल में हमारे यहां बाजरे में बीमारी हुई थी। इस बात को हमने विधान सभा में भी रखा था लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। सारी की सारी फसल में बीमारी लग गई और उसने फसल को नष्ट कर दिया। उसके बाद हमारे यहां पर फ्लड आया। खास करके पिछली बरसात में फागी, फुलेरा और दूदू तहसील में। उस समय जो फ्लड आई तो मुख्य मंत्रीजी ने भी कई जगह जाकर देखा और वहां की सिचुएशन देखकर आए कि गांव के गांव में एक भी मकान नहीं बच सका। सब बह गए सारे मकान टूट गए बरसात की वजह से। उनको सिर्फ तीन सौ रुपया और आठ टिन शीट्स दी गई सिर ढंकने के लिए और एक हफ्ते का राशन दिया गया था। लेकिन उस फ्लड से उनकी खेती की जमीन खराब हो गई और बरसात की वजह से उनकी खेती की जमीन पर जो सायल थी वह बह गई, उस पर कंकड़ आ गए। इसके लिए पहले हमसे यह कहा गया कि हम सेंटर को रिकमण्ड कर रहे हैं कि रिलीफ की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं हुई।

दूसरी बात यह है कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही ठण्डी से जो चने की फसल, गेहूं की फसल थी वह मारी गई। हमसे कहा कि इसके लिए भी रिलीफ का इन्तजाम किया जाएगा। सरकार ने कलेक्टर को हुकुम दिया। इसके नुकसानात दर्ज किए गए और कहा गया कि किसानों को रिलीफ दी जाएगी लेकिन आज तक इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं हुई। मैं कहना चाहूंगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में लगातार बिमारियां हुई हैं। इस इलाके में सरसों होती है तो सरसों को भी नुकसान हुआ। उसके बाद फ्लड हुआ। लेकिन जितने इफेक्टेड किसान हैं उनको किसी प्रकार की रिलीफ सरकार की तरफ से नहीं दी गई। हम चाहते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान दें और जिन एरियाज में नुकसान हुआ है, चाहे सर्दी से हुआ हो चाहे फ्लड से हुआ हो, उनको कम से कम इमीजियेटली अकालग्रस्त घोषित करके कम से कम उनका लगान और जो तकावी की वसूली होती है वह तो कम से कम रोक दी जाय। फिलहाल इतना तो गवर्नमेंट करे। और फागी और सांभर सब डिविजन है, जहां फ्लड की वजह से जमीन खत्म हो गई खेती की जमीन बर्बाद हो गयी, उनको कम से कम कर्जा तो दिया जाय। कुछ न कुछ, रिहैबिलिटेड होने के

(श्री पी. के. चौधरी)

लिए, उनको कर्जा वगैरा देना चाहिये। उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरफ अगर ध्यान नहीं दिया तो हमें दूसरे तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षित करने को मजबूर होना पड़ेगा।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अबकी बार राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कम्युनिटि ट्यूब वैल्स का जिक्र किया कि इसके लिए नागौर और अलवर जिले को पसन्द किया गया है। जयपुर जिले, मैं समझता हूं कि जहां तक पानी का सवाल है और दूसरी तरफ की इर्रीगेशन फेसैलिटिज यहां पर अवेलेबल नहीं हैं इसको देखते हुए कम्युनिटि ट्यूबवैल के लिए जयपुर जिला सबसे अधिक उपयुक्त है। समझ में नहीं आता कि सरकार द्वारा इस प्रकार की उदासीनता जयपुर जिले के साथ क्यों बर्ती जाती है।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि कुछ इण्डस्ट्रीज के लिए लेटर ऑफ इन्टेन्ट मिनरल एन्ड इन्डस्ट्रियल डवलपमैन्ट कारपोरेशन को मिला है और उसमें एक लेटर ऑफ इण्टेट सोडा-एश, कार्बन के बारे में मिला है। जहां तक सोडा एस का सवाल है हमने भूतपूर्व मुख्यमंत्री से भी बात की थी, सांभर साल्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर से भी बात की थी कि सोडा एश को फैक्ट्री लगाना है तो वह सांभर में लगाई जाय। हम ऐसा सुन रहे हैं कि यह जो लेटर ऑफ इंटेन्ट मिला है उसको लेकर सरकार सोडा एश फैक्ट्री जोइन्ट सेक्टर में प्राइवेट पार्टीज के साथ मिल कर इसको कोटा में लगाना चाहती है, फैक्ट्री कोटा में लगायेगें और उसका रा-मेटिरियल सांभर से जाएगा। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इस बारे में स्पष्ट घोषणा हो जानी चाहिए कि फैक्ट्री प्राईवेट सेक्टर में नहीं लगाकर पब्लिक सेक्टर में लगाया जाएगा। सांभर साल्ट उसमें बराबर का हिस्सा लेने को तैयार है। गवर्नमेन्ट इसमें जितना इन्वेस्टमेन्ट करना चाहे कर ले, जितने शेयर गवर्नमेंन्ट लेना चाहे ले ले और बाकी का पैसा सांभर साल्ट देने को तैयार है और इसका लेटर ऑफ इन्टेंट सॉभर साल्ट को दिया जाय। सांभर साल्ट खुद फैक्ट्री लगाने को तैयार है। मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं कि सोडा एश फैक्ट्री के लिए आज से पिछले दस साल से हम इसके लिए प्रयत्न करते आ रहे हैं। और समय समय पर इस सदन में बताया गया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी गवर्नमैंन्ट के पास तैयार हो गई है। इसके लिए फ्रैंच एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया था और आज जब लेटर ऑफ इंटेन्ट इश्यु होता है तब कहा जाता है कि उसे जोइन्ट सेक्टर में खोलने का विचार है। जोइन्ट सेक्टर में खोल कर प्राईवेट पार्टीज को फायदा देना चाहते हैं और सांभर में जहां कि रा-मेटिरियल पैदा होता है वहां फैक्ट्री न लगा कर कोटा में लगाना चाहते हैं तो मैं भी सरकार को स्पष्ट रूप से इस बात को रख देना चाहता हूं कि आप इस फैक्ट्री को सांभर में ही लगायें। अगर सांभर में नहीं लगाते हैं तो एक बात निश्चित रूप से मान लें कि इसको प्राइवेट पार्टीज के साथ मिल कर कोटा में लगाना चाहेंगे तो कम से कम सांभर से तो रा-मेटिरियल वहां जाने नहीं

(श्री पी. के. चौधरी)
देंगे और पब्लिक तरीके से रुकावट पैदा करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सोडा एश फैक्ट्री है उसको पब्लिक सेक्टर में सांभर में लगाइए जिससे सिर्फ सांभर को ही नहीं आस पास के जो इलाके हैं उनको भी फायदा पहुंचेगा। यही बात मैं इस मौके पर फिर दोहराना चाहता हूं।

श्री किशन मोटवानी : मैं बोलने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यस, श्री मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल, 72 की डिबेट में मैं चन्द चीजें आपके सामने तवज्जोह के लिए पेश करूंगा। इनके मुतल्लिक जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद हुआ था उस समय भी मैं बोला था और फिर से मैं वह और कुछ अन्य चीजों को, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गवर्नमेंट की तवज्जोह के लिए रखूंगा। स्लम्स, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक स्लेर है। स्लम्स अजमेर का हो, चाहे जयपुर का हो, चाहे कोटा का हो या किसी भी अन्य शहर का हो वह एक बहुत भारी प्राबलम है। जिस तरह से हम विलेजेज के अप-लिफ्ट की बात करते हैं उसी तरह से मैं निवेदन करूंगा कि स्लम्स की प्राबलम को भी उसी तरीके से हल किया जाना चाहिए जिस तरीके से हम विलेजेज अपलिफ्टमैन की बात कहते हैं। स्लम्स में जिस तरह से लोग रहते हैं, उनकी कीचड़ में एक कीड़े की तरह की कण्डीशन है। विलेज में फिर भी उनको आबोहवा सही मिल जाती है परन्तु इन स्लम्स में उस आदमी का दम घुटता है, हवा भी उसे प्योर नहीं मिलती। मुझे दुख है कि स्लम्स के मुतल्लिक किसी भी तरीके से इसमें कुछ भी नहीं लिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्लम्स क्लियरेंस के मुतल्लिक क्रेश प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए या और कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए लेकिन कम से कम इसमें किसी किस्म की डिले नहीं होनी चाहिए।

मैं दूसरी प्राबलम जो अर्ज करूंगा वह सब शहरों की है और वह है पेयजल की। इसकी इम्पोरटेंस बढ़ती जाएगी। इसको भी जल्दी से जल्दी हल कर कोई न कोई सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। बनास योजना जो अजमेर के लिए थी और जिसमें डबल लाईन लगाने की बात थी, उसको सिंगल लाईन कर दिया गया है इसको भी अर्सा हो गया है लेकिन कोई अन्य किस्म की स्कीम लागू करने की कोशिश नहीं की गई ताकि वहां का विकास जिस तरह से होना चाहिये, वैसे तो अजमेर का विकास जिस किस्म से होना चाहिये वह न होकर कछुवे की चाल की तरह से हो रहा है। अजमेर में इस समय पेय जल की विकट समस्या है और यहां तक कि म्युनिसिपल कौउन्सिलर ने हंगर स्ट्राइक पर बैठने का नोटिस दे दिया है। पूरी की पूरी जनता प्लस हम जो उनके प्रतिनिधि है, उनके द्वारा कड़ी कार्यवाही करने की सूचना आपको देनी पड़ेगी।

अजमेर की दूसरी समस्या व अन्य शहरों की समस्या बिजली की है। अजमेर में पावर हाउस हुआ करता था। वह एक

(श्री किशन मोटवानी)

प्राइवेट कम्पनी का था। पहले भी इसके बारे में कह चुका हूं और फिर भी कहूंगा। यह विकट समस्या है। जिसका हल अति आवश्यक है। अब आर. एस. ई बी. का हमारा अपना पावर हाउस है। पहले इस प्राइवेट कम्पनी को बिचौलिया बना कर सस्ती रेट पर आर. एस. ई. बी. बिजली देता था और वह कम्पनी शहर वालों को बड़ी दर पर बिजली देती थी। कई बार इसके खिलाफ आवाज उठाई गई। हमारे कई कार्यकर्ताओं ने वहां पर इस मामले को हंगर स्ट्राइक कर के उठाया गवर्नमेंट द्वारा तवज्जोह देने के लिये कई मेमोरेन्डम दिये गये और उसके बाद हम को एक आशा की रेखा नजर आई जब कि पावर हाउस को प्राइवेट कम्पनी से आर. एस. ई. बी. ने ले लिया और तब हमने सोचा कि अब बिजली हमें कम रेट पर मिलेगी परन्तु इसकी यह प्रतिक्रिया नहीं हुई। जिस रेट पर पुराना पावर हाउस बिजली दिया करता था उसी रेट पर बिजली देने को कोशिश की गई है। उसके बाद, आर. एस. ई. बी. के आने के बाद जो सब से बड़ी समस्या हमारे सामने आई वह बिजलियां लगाने की, स्ट्रीटलाइट्स लगाने की आई। पुरानी पावर हाउस यह फ्री दिया करता था। अब आर. एस. ई. बी. हम से डिमांड करती है 500/600 रुपया एक नयी बिजली लगाने के लिये। अर्सा हो गया आर. एस. ई. बी. द्वारा पावर हाउस का टेक ओवर किये और एक भी नयी रोशनी अजमेर शहर में नहीं लग पाई है। यह एक दुखद घटना है आर. एस. ई. बी. हमारा एक अंग है। वह हम को इस किस्म की अमेनिटीज नहीं दे सके तो क्या फायदा है। जब एक कम्पनी दूसरी कम्पनी को खरीदती है तो उसकी असेट्स, लाइबिलिटीज साथ में आती है इसी तरीके से जब आर. एस. ई. बी. ने पावर हाउस को लिया है तो उसकी सब चीजें तो खरीद ली है तो हम यह भी मानते हैं कि आर. एस. ई. बी. को उसका कान्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशन ग्रहण करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस मैटर को सही तरीके से टेक अप करें और इस प्राब्लम को हल करें। रेट कम न करें तो कम से कम हमें स्ट्रीट लाइट्स तो दी जाये। शहर अन्धकार में पड़ा हुआ है ताकि यह अन्धकार की जो समस्या है उसका हल होजाये।

एक निवेदन और करूंगा। अजमेर एक ऐतिहासिक शहर है। अजमेर में टूरिज्म के अच्छे अच्छे स्थान है जहां से अपनी गवर्नमेन्ट को काफी आय हो सकती है। इनको इम्प्रूवमेन्ट करने के लिये एक छोटा सा एग्जाम्पल अर्ज करूंगा। हमारे यहां पर तारागढ़ एक अच्छा स्थान है। अच्छी ऊंचाई पर है। इसको खास तौर से हिल स्टेशन की तरह डवलप किया जा सकता है। काफी बड़ी आबादी यहां पर है। अगर हम इसको नुक्ते नजर न देकर जनता को राहत देने की कुछ मन में निष्ठा रखेंगे तो हम को इस जगह को डवलप करना होगा। वहां पर इसेन्शियल अमेनिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करना चाहिये। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर तीन अमेनिटीज पानी की, रोड की और बिजली की हम दे सकते हैं। बड़ी सस्ती और थोड़े खर्चे में यह उपलब्ध कर सकते हैं। उनको यह दे देंगे तो मैं यह समझता

(श्री किशन मोटवानी)
हूं कि इस हिल से हमको अच्छी इन्कम हो सकती है और वहां पर हर साल लाखों की तादाद में लोग जाते है। पांच, दस पैसे एक विजिटर पर कर लगा देते हैं तो हम अपना खर्चा प्राप्त कर लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक और अर्ज करूंगा। हमारे जो वजट एस्टीमेट्स यहां पर दिये गये हैं उसमें यह कहा गया है। अजमेर शहर में टाडगढ़ की तरफ जाने के लिये एक ओवर ब्रिज की समस्या है। कई बार इसके लिये रिप्रिजेन्टेशन किये गये हैं। वहां पर घनी बस्ती है। और सब से बड़ी बात तो वहां पर हायर सैकेन्ड्री स्कूल है। इधर की तरफ से बच्चे वहां पर जाते हैं। उनकी सेफ्टी का हमेशा भय बना रहता है। इसलिये लोगों के आने जाने की सुविधा को मद्दे नजर रखते हुए जो यह ओवर ब्रिज की प्लान है उसको लागू करने की शीघ्र ही कोशिश की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वित्त मन्त्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर जो विचार यहां पर प्रस्तुत किये गये हैं उनके सिलसिले में कुछ बातें मुझे यहां पर अर्ज करनी है।

एक बात जो कही गई है कि हमें डेफिसिट फ्लानिंग की तरफ नहीं जाना चाहिये ओवर ड्राफ्ट नहीं हो इसका प्रयत्न करना चाहिये। ओवर ड्राफ्ट के मामले पर इस देश में पिछले दिनों से चर्चाएं हो रही हैं। लोक सभा में भी इस पर चर्चा हुई है, अखबारों में भी इसको लेकर चर्चाएं हुई हैं। मैं भी इसके बारे में यहां पर अर्ज करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में चौथी पंचवर्षीय योजना जब से चालू हुई हमारा ओवर ड्राफ्ट काफी ऊंचा चला गया। इसके कई कारण थे। मैं सदन को उन कारणों के बारे में विश्वास में लेना चाहता हूं। सन 1969-70 और 1970-71 में हमारे राजस्थान में बहुत बड़े अकाल पड़े। उनके कारणों से हमें 113 करोड़ 47 लाख रुपये, जो हमारा साधारण अकाल का दौरा होता है उससे ज्यादा हमें अकाल राहत कार्यों में खर्च करना पड़े। हमें यह उम्मीद थी कि यह पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं वह भारत सरकार से प्राप्त हो जायेगा लेकिन किन्हीं कारणों से इन मदों में बहुत कम रुपया भारत सरकार से करीब 80 करोड़ 1 लाख रुपया ही प्राप्त हुआ। इस तरह से अकाल के कारण से हमें करीब 34 करोड़ रुपया कम प्राप्त हुआ और यह हमारे ओवर ड्राफ्ट या डेफिसिट फाईनेंसिग का कारण हुआ।

दूसरा कारण यह था कि हमने अपने कर्मचारियों को जो एडहॉक रिलीफ दी उससे हमें करीब 5 करोड़ 69 लाख रुपया ज्यादा खर्च करना पड़ा इस तरीके से योजना के तीन साल गुजरे। इन तीन सालों में योजना में भी जितनी धनराशि स्वीकृत थी उससे करीब 7 करोड़ 54 लाख रुपया ज्यादा खर्च करना पड़ा। इस प्रकार और भी मदें हैं उस सब मदों को लेकर हमारा ओवर ड्राफ्ट दो, तीन सालों में काफी ऊंचा हो गया और इसके कारण से हमको यह महसूस हुआ कि शायद हमारा जो फाइनेन्सिग है वह हमेशा के लिये डेफिसिट अवस्था में चला गया है और उसको हम सम्भाल नहीं पायेंगे। लेकिन जो हल हमने सोचा है कि किस तरीके से हमारे जो रेवेन्यू और

(श्री चन्दनमल वैद)

नॉन प्लान का गेप है, आय और व्यय को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और जिस तरीके से ओवर ड्राफ्ट हमारे सामने मुंह बायें खड़ा है और जिसके लिये हमारे माननीय सदस्यों को चिन्ता है उसी तरीके से सरकार को भी यह चिन्ता है कि किस प्रकार से इस समस्या को हल किया जा सकता है इसके लिये हम बराबर प्रयत्नशील हैं। अभी भारत सरकार के अधिकारियों के साथ हमने बातचीत की, और बातचीत के दौरान हमने यह तय पाया कि जो हमारा ओवर ड्राफ्ट है उसका 15 पर्सेन्ट हर साल भारत सरकार हमें एक स्पेशल लोन रेज करने की इजाजत दे दे तो उसमें साढ़े तेरह पर्सेन्ट का लोन रेज करलें और डेढ़ पर्सेन्ट हमारी रेवेन्यू में से जो नॉन-प्लान का एक्सपैन्डीचर है उसमें से निकाल कर पे कर दें। इस तरीके से ओवर ड्राफ्ट हर साल 15 पर्सेन्ट कम करते चले जायं। 15 पर्सेन्ट में से 13½ पर्सेन्ट तो स्पेशल लोन रेज करके और 1½ पर्सेन्ट।

(म. प. 4.30 बजे)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

रेवेन्यू में से नॉन प्लान एक्सपेन्डीचर में हर साल डेढ़ पर्सेन्ट कम करें तो 6-7 साल में ओवर ड्राफ्ट जो चढ़ा हुआ है उसको खत्म कर सकते हैं। जो ओवर ड्राफ्ट हमारे ऊपर बढ़ा है वह किस तरह से बढ़ा है। जो बजट आज आपके सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें आपने देखा होगा कि 27 करोड़ रुपये का घाटा बताया गया है उस घाटे को कैसे पूरा किया जाय, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। अगर हमने सचेष्ट रूप से, पूरे कठिन परिश्रम से और लगन के साथ काम नहीं लिया तो राजस्थान की इकोनॉमिक पोजीशन जो पिछड़ गई है, बुरी तरह से खराब हो गई है वह सुधर नहीं सकेगी। इस खयाल से यह जरूरी है कि हम कठिन परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ इन सब चीजों को ठीक करने की कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सोचा है इसके लिए कि एक पांच सूत्री कार्यक्रम बनाया जाय और इस पांच सूत्री कार्यक्रम से अगर सदन का सहयोग रहा और प्रकृति की कृपा रही तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस पांच सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के बाद निश्चित रूप से 3-4 साल में राजस्थान के आय-व्यय में जो इतना बड़ा फर्क है उसको दूर किया जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं।

पहला जो कार्यक्रम इस पंचसूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत है वह यह है कि अपने खर्चे में कमी करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपकी और सदन की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि इसके लिए एक इकॉनोमिक कमेटी का निर्माण किया हुआ है। उस इकॉनोमिक कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, हमारे भूतपूर्व सेक्रेटरी श्री भगवत सिंहजी मेहता, फाइनेन्स कमिश्नर और दूसरे अधिकारी लोग हैं। यह इकॉनोमिक कमेटी 4-5 मीटिंग कर चुकी है और कई डिपार्टमेन्ट्स का सिंहावलोकन कर चुकी है। उनके सारे खर्चों को उसने देखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि सारे डिपार्टमेन्ट्स का अच्छी तरह से अवलोकन करने के बाद खर्चे में हम काफी कमी कर सकेंगे।

Page No. 107

(श्री चन्दनमल वैद)

दूसरा कार्य मैं इस पांच सूत्री कार्यक्रम के अन्दर करना चाहता हूं वह यह है कि जो टैक्स वसूल कर रहे हैं उन टैक्सेज में कई जगह लीकेज और लूपहोल्स हो सकते हैं तो अगर मजबूती के साथ और कठिन परिश्रम के साथ और ईमानदारी के साथ मेहनत करके जो टैक्सेज चढ़े हुए हैं उन्हें बिना जनता को तकलीफ दिये बगैर अगर वसूल करें तो वह ज्यादा वसूल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कठिन परिश्रम और मुस्तैदी की जरूरत है।

तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वह यह है कि जो लोन्स का बहुत सा बकाया पड़ा हुआ है उसका वसूल करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में एक बात और भी अर्ज करना चाहता हूं कि बार बार यह कहा जाता है और सदन में भी बहुत सी बार कहा गया है कि जो लोन्स की बकाया पड़ी हुई है उसको हम वसूल नहीं कर रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं। कि कई ऋण ऐसे हैं कि जिनका वसूल करना आसान काम नहीं है। आज हम समाजवाद की बात करते हैं और वीकर सैक्शन को मदद करने की बात करते हैं तो कुछ लोन्स जो वीकर सैक्शन पर हैं उनसे यदि सख्ती से वसूल करें तो सदन के माननीय सदस्य भी कहेंगे कि हमें सख्ती नहीं करना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर यह बताना चाहता हूं कि हमारे जो ऋण हैं वे किस तरीके के हैं—

फेमीन लोन	11,68,00,000 रु.
पंचायतों के लोन	22,83,00,000 रु.
म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कार्पोरेशन्स को	2,49,00,000 रु.
कोआॅपरेटिव इन्स्टीटयूशन्स	5,26,00,000 रु.
डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को	1,09,00,000 रु.

इस तरह से 43,25,00,000 रु. का जो ऋण है माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि वह इतनी सख्ती से वसूल नहीं किया जा सकता है जितनी सख्ती से माननीय सदस्य चाहते हैं, फिर भी कोशिश हमारी यह होगी कि जो ऋण है उनको सख्ती के साथ वसूल किया जाय जिससे यह भी एक कार्यक्रम पूरा हो।

चौथा कार्य जो इस सिलसिले में हम करना चाहते हैं वह यह है कि जो हमारी नॉन-टैक्स रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के लिए उपाय सोचे जायें। इसके बारे में जल्दी ही मैं जो स्टेट एन्टरप्राइज और फाइनेन्स डिपार्टमेंट हैं उन सब लोगों से इस बारे में विचार विमर्श करना चाहता हूं कि किस तरह से हम नॉन-टैक्स रेवेन्यू को ज्यादा बढ़ा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सबसे आखरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम जो इस पंचसूत्री कार्यक्रम में करना चाहते हैं वह यह है कि जो सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन नियुक्त होने वाला है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपनी रिपोर्ट देने वाला है उसके सामने राजस्थान सरकार अपने सब केसेज बड़ी मुस्तैदी के साथ और एफिशियेन्सी के साथ रखे जिससे हम उनसे ज्यादा पैसा वसूल कर सकें।

मुझे पूरा भरोसा है कि जो पांच सूत्री कार्यक्रम आपके सामने रखा है इसको मुस्तैदी और कठिन परिश्रम के साथ करेंगे और सदन का सहयोग और प्रकृति की

(श्री चन्दनमल वैद)

कृपा हम पर रही और हमने ठीक तरह से कार्य किया तो आगे आने वाले 3-4 सालों में राजस्थान सरप्लस नहीं तो कम से कम रेवेन्यू और एक्सपेन्डीचर में जो घाटा है उसको वाइप आउट कर सकता हैं। और राजस्थान की इकोनामिक पोजीशन को साउण्ड स्थिति में ला सकते हैं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस सारे काम के लिए सदन के सहयोग और प्रकृति की कृपा का अपेक्षा है।

अध्यक्ष महोदय, आज बहस के दौरान न केवल फाइनेन्स की बातें की हैं लेकिन राजनैतिक बातों को भी चर्चा की गई है तो यह जरूरी हो जाता है कि मैं भी इस बारे में चर्चा करूं। यह कहा गया कि जो इतिहास और भूगोल बदला है वह इतिहास केवल कांग्रेस का बदला है और भूगोल बदलने की बात दूर है। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि कांग्रेस के इतिहास की बात आती है लेकिन 100, 200, 300 और 100 वर्ष पूर्व भी चले जायं तो आज तक इस देश की फौजों ने कभी किसी दूसरी भूमि पर जाकर विजय प्राप्त की हो तो बता दें। आप कांग्रेस के इतिहास के बदलने की बात करते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि 100 200, 300 या 400 बरसों में पहले कभी इस देश की फौजों ने विदेशी भूमि पर जाकर विजय हासिल नहीं की। मैं कहता हूं कि दुनियां के इतिहास में बहुत कम मिशाल ऐसी हैं कि किसी एक राष्ट्र ने दूसरा राष्ट्र जीता हो और जीतकर दूसरे राष्ट्र के रहने वालों को सौंप दिया हो। ऐसा एक उदाहरण हमें रामायण में भगवान राम का मिलेगा जिन्होंने लंका को जीतकर विभिषण को सौंप दिया। दूसरा उदाहरण अभी का मिलता है जो कि हमारी जिन्दगी में मिला जब कि हमारी सेना ने बंगला देश को जीतकर मुजीब को सौंप दिया। इतिहास बदला है या नहीं यह आगे आने वाला जमाना कहेगा और आश्चर्य करेगा कि ऐसे भी लाग थे जिन्होंने ऐसी बात की जिसका उदाहरण हमें रामायण में मिलता है। वे दांतों तले अंगुली दबायेंगे और आश्चर्य करेंगे कि ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसी चीजें कीं जो कि अभी हमारी जिन्दगी में घट रही हैं। वे उन पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके उपरान्त भी वे इसको इतिहास और भूगोल का बदलना नहीं मानते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ऐसी कोई रीजनिंग नहीं है, ऐसा कोई लाजिक नहीं है कि जिससे मैं उनको समझा सकूं। जो जनता के समझाने से नहीं समझ सके उन्हें मैं क्या समझा सकता हूं।

भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मैं फिर चैलेन्ज देता हूं और कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास में किसी मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर के खिलाफ कोई स्पेसिफिक चार्जेज हों तो बताइये उसका जवाब देंगे लेकिन यह कहना कि श्रीमती इन्दिरा गांधी से लगाकर नीचे तक के सारे के सारे भ्रष्टाचारी हों भ्रष्टाचारी पड़े हुए हैं, यह कोई सही बात नहीं है। मैं यह कह दूं कि सारे सदन में माननीय सदस्य और उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचारी हों तो कोई मायने नहीं रखता है। कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स होना चाहिए कोई बात कहना चाहिए जिससे कि जवाब दिया जा सके। केवल यह कहना कि भ्रष्टाचारी हैं उचित नहीं है। आपके नेता जो सदन में गूंजा करते थे और बीस साल से भ्रष्टाचार

(श्री चन्दनमल वैद)
भ्रष्टाचार की बात किया करते थे तो जनता ने देखा कि सिवाय भ्रष्टाचार के इनके पास कुछ नहीं है तो उन्हें घर बिठा दिया....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप जो वित्त के मामले में बातें कही गई हैं उनका जवाब दें। इस तरह से कहना उचित नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : आपके नेता जब बोल रहे थे ये बातें तो क्या उचित नहीं बोल रहे थे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह बोलने का समय नहीं है इसके बारे में....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : फाइनेन्स मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं तो माननीय सदस्य डिस्टर्ब करते हैं यह एक गम्भीर प्रश्न है....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह वित्त से सम्बन्धित बातें नहीं हैं।

श्री चन्दनमल वैद : यह वित्त से सम्बन्धित नहीं हैं लेकिन यह जनसंघ ने जो बातें कहीं हैं उनसे सम्बन्धित है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से यह निवेदन कर रहा था....

श्री चन्दनमल वैद : जनसंघ के नेता ने बातें कही थी उसका उत्तर है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मै समझता हूं कि आज तो गालियां देने की बात नहीं है.......

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : वे डिस्टर्ब कर रहे हैं सदन को।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने दो सुझाव दिये थे जिनके बारे में बतायें। बनास योजना जयपुर शहर....

श्री चन्दनमल वैद : वह सब कहूंगा। माननीय सदस्य जो मुझे इन्टरप्ट कर रहे हैं उनसे मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उनके नेता की बातों का जवाब दे दूं उसके बाद में आपको जवाब दूंगा। यह बात नहीं है कि उनकी बातों का जवाब देना नहीं चाहूंगा।

श्री खेतसिंह : इन्टरप्ट नहीं करेंगे।
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो स्पेसिफिक आरोप लगाइये और कहिये कि तुमने यह किया है। अगर आप यों ही कहते हैं तो उसका जवाब तो जनता ने आपको दे दिया है। आप हमारी बात माने या न माने। यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है। यह कहना कि यह भ्रष्टाचारी है, वह भ्रष्टाचारी है। यों तो सारे हिन्दुस्तान की जनता भ्रष्टाचारी हो गई जो इन भ्रष्टाचारियों को जिता जिता कर यहां भेज रही है।

एक माननीय सदस्य : माननीय मन्त्री, यह जयपुर के रहने वाले हैं।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं पानी की समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यहां पर अजमेर, जयपुर, ब्यावर और देहातों के बारे में पानी की समस्या पर काफी बातें कही गई हैं। कल मैं कह चुका हूं कि करीब 10 करोड़ रुपये

(श्री चन्दनमल वैद)

पानी की समस्या के हल के लिए लगाये जायेंगे। बात यह है कि पानी की समस्या वहां पर काफी गम्भीर है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे बताया कि बीकानेर में पानी की समस्या काफी गम्भीर होती जा रही है। इसके लिए हम बड़ी योजना बना रहे हैं। उसमें कुछ देर लग सकती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात अर्ज करना चाहता हूं कि पानी की समस्या को सही तरीके से समझने की जरूरत है। जो माननीय सदस्य इस बारे में अधिक कह रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वह हमारे साथ चलें बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू जैसी जगहों में चलकर देखें। जहां बीस-बीस मील की दूरी से लोगों को पीने का पानी लाना पड़ता है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य केवल एक दिन हमारे साथ हमारे इलाके में चलें। एक दिन से ज्यादा वह सहन नहीं कर सकेंगे। जयपुर शहर में और बीकानेर शहर में आप महसूस नहीं कर सकते हैं। अजमेर, बीकानेर और जयपुर की समस्या को हल करना है लेकिन उन देहातों में जहां एक एक घड़े पानी के लिए बीस-बीस मील दूर आदमी को जाना पड़ता है हमें उनको पहले देखना होगा। यह नहीं हो सकता है कि हम उन देहातों की पानी की समस्या को नजरन्दाज कर दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह नहीं कह रहा हूं। सवाल जैसलमेर, बीकानेर की पानी को समस्या का नहीं है। मेरा निवेदन है कि मुख्य मन्त्री महोदय ने जो सदन में आश्वासन दिया था उस आश्वासन के बारे में आप क्या कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : बाड़मेर समस्या की चिन्ता नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास 10 करोड़ रुपया है। मैं बनास से पानी लाकर जयपुर को दूं। अजमेर, बीकानेर की समस्या को सुलझाऊं या जो और दूसरी समस्याएं हैं, उनको सुलझाऊं। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां पानी की ज्यादा तकलीफ है, वहां की समस्या को पहले सुलझाया जाएगा। जहां पानी की तकलीफ इतनी ज्यादा नहीं है, वहां की पानी की समस्या को बाद में सुलझाया जाएगा। जहां समस्या जितनी ज्यादा है, वहां पहले सुलझाई जायेगी। बड़ी समस्या वाले इन्तजाम को बड़ी योजना से कराया जा सकता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अजमेर और टोंक में सिंचाई के लिए व्यवस्था होने वाली है या पीने के पानी के लिए?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! स्थान ग्रहण करें।

श्री रोशनलाल शर्मा : गांवों में पीने के लिए पानी नहीं मिलता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बीच बीच में बोलने का तरीका अच्छा नहीं है। यह परम्परा के अनुकूल नहीं है।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : बहुत बुरा है। अशोभनीय है।

Page No. 111

श्री चन्दनमल बैद : जयपुर की समस्या के बारे में मैं पहले यह ध्यान रखूंगा, जहां गरीब बस्तियां हैं, हरिजन बस्तियां हैं, उनको पहले पानी दिया जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उनको जरूर दीजिये। जहां गरीब और हरिजन बस्तियां हैं। लेकिन उनको भी पानी तभी दिया जा सकेगा जब जयपुर में बनास योजना लागू हो जाएगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये बार बार बीच में बोलते हैं। इनको ताड़ना दी जाये।

श्री अध्यक्ष : मजबूर होकर यह करना पड़ेगा। यह अंकित न किया जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

श्री चन्दनमल बैद : यह नहीं हो सकता है कि एक तरफ तो हम पानी इसलिए मुहैया करें कि खस की टट्टियों में डालें और दूसरी तरफ पीने के पानी के लिए लोग तरसते रहें। यह नहीं हो सकता है। उनकी समस्या को पहले हल किया जायगा। हमारा दृढ निश्चय है, ज्यों ज्यों साल आगे आते जायेंगे राजस्थान में पीने के पानी की समस्या हल होती जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर नशाबन्दी के लिए कहा गया है। इस सम्बन्ध में जो सेवा भावी संस्थायें हैं। सेवा भावी और समाज सेवी लोग हैं, उनके सहयोग से हम हल करना चाहते हैं। हमारी, सबकी इतनी ही मंशा है, जैसा कि मैंने अर्ज किया है, हमारे जो फाइनेंसेज हैं, वह हमें अलाऊ नहीं करते हैं कि हम एक करोड़ की आमदनी छोड़ दें। एक तरफ हम बैंकों से कर्जा ले रहे हैं। भारत सरकार ओवरड्राफ्ट के बारे में कह रही है। दूसरी तरफ हमारा जो रेवेन्यू है, वह हम छोड़ दें। इस बारे में किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। यह हम कुछ दिनों के लिए छोड़ रहे हैं।

श्री केदारनाथ : बीयर का कारखाना पेयिंग प्रपोजीशन है।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य गंगानगर के रहने वाले हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि वह कितना पेयिंग प्रपोजिशन है।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं और ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता हूं। मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, बजट के सारे आंकड़े लेकर, प्रस्तावों को लेकर, उस समय माननीय सदस्यों को बहस करने का अवसर मिलेगा। उस समय अलग अलग मांगों पर, अलग अलग विभागों पर विस्तृत चर्चा हो सकेगी और माननीय मन्त्रीगण जवाब दे सकेंगे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि किसी आदमी के प्रति अविश्वास की भावना से नहीं देखा जाना चाहिये। काम करने की भावना से देखा जाना चाहिये। जनसंघ के माननीय नेता महोदय को मैं कहूंगा कि उनके पास किसी भ्रष्टाचार का स्पेसिफिक आरोप है तो उसको रखें।

××× माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No. 112

(श्री चन्दनमल बैद)
केवल यही नहीं कहें कि यह भ्रष्टाचारी हैं, सभी भ्रष्टाचारी हैं। यह तो मैं भी कह सकता हूं कि वह है, वह है। (अल्प विराम)

अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक 7 अप्रेल, 72 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 4.50 बजे म. प. दिनांक 7-4-72 शुक्रवार के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 2 की सूची)

गांधी जन्म शताब्दी वर्ष में जयपुर में विभिन्न कार्यों के लिए स्वीकृत व उपयोग में ली गई राशि का विगत

क्रमांक	कार्य जिसके लिए राशि स्वीकृत की गई	स्वीकृत राशि	अब तक उपयोग में ली गई राशि	शेष राशि के उपयोग में नहीं लिए जाने का कारण
1	2	3	4	5
	भंगी कष्ट मुक्ति योजना			
1.	आधुनिक रीति के सुधरे हुये यंत्र एवं वाहन जैसे स्कूटर, टेम्पो, बाल्टी, खुर्पा आदि क्रय करने हेतु।	4,00,000	1,60,954	इस धनराशि के उपयोग करने की अवधि 31-3-72 तक है तथा इसे 30 जून, 72 तक की अवधि बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है। राशि के पूर्ण व्यय नहीं हो सकने का यद्यपि कोई स्पष्ट कारण नगर परिषद्, जयपुर द्वारा अवगत नहीं कराया गया है तथापि जहां तक जानकारी उपलब्ध हो सकी है उसका कारण यह है कि इस मद में क्रय किये जाने वाले स्कूटर, टेम्पो आदि नियंत्रित वस्तु होने के नाते नगर परिषद् की ओर मांग के अनुसार स्वीकृत कोटा के अभाव में उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, यद्यपि विभाग द्वारा क्रय करने कि स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इसके लिए अन्य विकल्प खोजने के सक्रिय प्रयास जारी हैं।

1	2	3	4	5
2.	निजी कच्चे एवं सूखे शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तित करने के हेतु।	3,00,000	—	नगर परिषद्, जयपुर द्वारा नियमानुसार प्रार्थना-पत्र आमंत्रित कर आवश्यक स्वीकृतियां ज री करने की कार्यवाही अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी है । इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर भी नगर परिषद्, जयपुर ने नहीं दिया है।
3.	सार्वजनिक कच्चे एवं सूखे शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तित करने के लिये ।	2,00,000	69,705	इस सम्बन्ध में भी नगर परिषद् कोई स्पष्ट व सन्तोषजनक कारण अवगत नहीं करा सकी है ।
4.	सफाई कार्यों में लगे हुए मेहतरों की आवासीय स्थिति में सुधार हेतु भवन निर्माण के लिये नगर विकास न्यास, जयपुर को ब्याज मुक्ति ऋण राशि ।	9,00,000	2,17,861	अभी तक नगर विकास न्यास, जयपुर ने दो बस्तियों में ही भवन निर्माण हेतु आवश्यक प्राथमिक खाना पूर्तियां पूरी की हैं । अन्य दो बस्तियों में कार्य प्रगति पर है । प्रारम्भ में ये धनराशि 3,000 रुपये प्रति मकान की दर से 300 मकानों के लिए थी । बाद में नगर न्यास द्वारा यह प्रत्यक्ष में अनुभव किये जाने पर कि 3,000 रुपये में एक मकान नहीं बन सकता, मामले पर पुनः विचार किया गया तथा टाउन प्लानिंग विभाग से विचार विमर्श कर परिवर्तित दर 5,000 रु. प्रति मकान के हिसाब से निर्धारित कराई गई। इस सब कार्यवाही में समय लग जाने के कारण

1	2	3	4	5
				धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका। नगर परिषद् को अविलम्ब बचत राशि के उपयोग करने के लिए आग्रह किया जा रहा है।
5.	जयपुर शहर की हरिजन बस्तियों में नल लगाने हेतु।	82,050	1,12,620	अतिरिक्त खर्च शहर की आवश्यकता को देखते हुए बउम्मीद मंजूरी जल प्रदाय विभाग ने खर्च कर दी है। यह अतिरिक्त राशि शीघ्र ही स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
6.	जयपुर शहर की हरिजन बस्तियों में बिजली लगाने हेतु।	2,00,430	1,10,382	शेष धनराशि में कार्य राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा पूरा कराया जाना है।
7.	जयपुर शहर के हरिजनों को गृह निर्माण हेतु अनुदान।	28,000	27,000	अठाइस मकानों में से 22 मकान पूर्ण हैं। 5 पर कार्य चल रहा है।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 7 की सूची)

अभाव ग्रस्त घोषित गावों का जिलेवार विवरण

क. सं.	नाम जिला	अभावग्रस्त गावों की संख्या	दिनांक
1.	बीकानेर	415	10-2-72
2.	भीलवाड़ा	83	4-3-72
3.	चूरू	193	22-2-72
4.	गंगानगर	20	4-3-72
5.	जैसलमेर	312	25-3-72
6.	बाड़मेर	310	25-3-72
7.	जोधपुर	361	28-3-72

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 10 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

REVENUE (COLONISATION) DEPARTMENT

No. F. 3 (b) (22) Rev./Col./70. Dated 25th Jan., 1971

To

The Collector,
Ganganagar.

Sub:-Renewal of T.Cs. in the project areas (Except R.C.P. areas) of Garganagar District.

Ref:—Your endst. No.F.12 (2) Rev/14487, dated 4-1?-1970 to the Revenue Secretary.

Sir

In pursuance of rule No. 6 (2) (3) of the Rajasthan Colonisation (Gang Canal Land Permanent Allotment) Rules, 1956 I am directed to convey the approval of the rates on T. C. leases as under:—

1. Rs. 4/- per bigha to be charged for all fresh allotment.

2. (a) Rs. 8/-per bigha for renewal of earlier allotment.

   (b) 1½ (one and half) times of the price of earlier auction price received, for renewal of earlier auction allotment.

Yours faithfully,

Sd/-

(M. L. Sureka)

Dy. Secretary to Government.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

REVENUE COLONISATION DEPARTMENT

No. F. 3 b (2) Rev /Col/70 Dated :3 July, 1971

To,

The Collector,
Ganganagar.

Sub:—Renewal of T. Cs. in the Project areas (Except R.C.P. areas) of Ganganagar District.

Ref:—Your D.O. letter No.F.12 (11)(12) Rev/4368, dated 22-5-71.

Sir,

In partial modification of this Department letter of even number dated 2:-1-71, I am directed to say that only Rs. 4/- per Bigha for renewal of earlier allotments be charged instead of Rs. 8/- per Bigha approved previously.

Your Faithfully,
Sd/-
(R. C. Chobey)
Asstt. Secretary to the Government

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 13 की सूची)

जयपुर, मार्च 19, 1972

सूची (अ) तारांकित प्रश्न संख्या 9 स्वा. म.:—

सूची रोड्स जो रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत तहसील शेरगढ़ में स्वीकृत की गई है।

(1) शेरगढ़ से फलसूंड सड़क का कार्य जोधपुर जिले की सरहद तक।

(2) शेरगढ़ से मिनयाना का कार्य 27 कि. मी. तक।

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 15 की सूची)

जय महालक्ष्मी कॉटन मिल को दिये गये पानी तथा उससे होने वाली आय का विवरण (वर्ष 1957-58 व 1971-72)

क्र. सं.	वर्ष	पानी की सप्लाई क्यूसेक्स में	जल कर जो देय था	जल कर जो वसूल किया गया
1.	1957-58	0.11	581.40	581.40
2.	58-59	0.11	3467.50	3467.50
3.	59-60	0.11	3467.50	3467.50
4.	60-61	0.11	3467.50	—
5.	61-62	0.11	3467.50	6935.00
6.	62-63	0.055	1735.75	—
7.	63-64	0.055	1735.75	—
8.	64-65	0.055	1735.75	5207.25
9.	65-66	0.055	1735.75	1735.75
10.	66-67	0.055	1735.75	1735.75
11.	67-68	0.055	1735.75	1735.75
12.	68-69	0.055	1735.75	—
13.	69-70	0.055	1735.75	3400.00
14.	70-71	0.055	1735.75	—
15.	71-72	0.055	1735.75	3512.00

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 2 की सूची)

सूची हिस्सेदारान जिनको पिछले पांच वर्षों में (3/67) से बाग का पानी स्वीकृत किया गया है ।

क्र.संख्या	नाम नहर	नाम चक	नाम हिस्सेदार	रकबा जिसके लिये बाग स्वीकृत किया गया		कॉलम नं 5 के लिये अतिरिक्त पानी की मात्रा क्यूसेक्स में
				बीघा	बिस्वा	
1	2	3	4	5		6
1.	एम. एल. डिस्टी	3 वाई	श्री शंकरदास मिलवीराम	6	0	0-02
2.	,,	5 डी	श्री जैसाराम पुत्र हरीराम	3	0	0-01
3.	एच डिस्टी	2 डब्ल्यू	श्री नकशतरसिंह.गुरदेवसिंह	14	14	0-08
4.	,,	4 टी	श्रीमती पंजाब कौर जोजा करनलसिंह	15	14	0-07
5.	एफ डिस्टी	16 ओ	श्री गुरदीपसिंह	25	19	0-13
6.	,,	20 एफ	श्री दयालसिंह	4	18	0-02
7.	,,	,,	श्री पालसिंह	9	14	0-05
8.	जैड डिस्टी	1 ए	श्री बलवन्तसिंह कुलदीपसिंह	15	0	0-07
9.	,,	1 बी फ.	श्री अरुण कुमार पुत्र रामस्वरूप	10	0	0-05
10.	,,	1 ए	श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र कुण्डासिंह	4	10	0-02
11.	,,	,,	श्री अरजनसिंह	4	16	0-02
12.	,,	5 जैड	श्री जगदीश वमान	3	0	0-01
13.	,,	14 जैड	श्री महावीरप्रसाद अ. पृ. (2) —	6	0	0-28

1	2	3	4	5		6
14.	जेड डिस्टी	14 जेड	श्री बजरंगलाल	5	10	0-82
15.	,,	5 जेड	श्री जगदीश बमान	8	5	0-04
16.	,,	,,	मै. लायलपुर फ्रूट फार्म एण्ड नर्सरी	40	0	0-19
17.	,,	7 जेड	श्री गुलाबसिंह	2	14	0-01
18.	,,	10 जेड	श्री धर्मवीर व भगवन्तसिंह	15	0	0-07
19.	,,	8 ए	श्री रवीन्द्रकुमार/सुरेन्द्रकुमार	25	0	0-01
20.	,,	10 जेड	श्री गौरीशंकर	10	0	0-04
21.	,,	4 बी	श्री चन्दनसिंह/गण्डा सिंह	3	0	0-01
22.	जी जी डिस्टी	8 जी	श्री छगनलाल	5	0	0-02
23.	,,	2 जी 11	श्री सुरेन्द्र प्रकाश भाटिया	5	0	0-02
24.	,,	17 जी	श्री रतनसिंह दानसिंह	10	0	0-04
25.	,,	8 जी	श्री शुभकरन व दुर्गा प्रसाद	5	0	0-02
				4	15	0-02
26.	,,	33 जी जी	श्री मनमोहन सिंह	3	15	0-02
27.	बी बी डी	2 बी बी	श्री बलवन्तसिंह-	6	0	0-03
28.	,,	9 बी बी	श्री सुखलाल लकुकड़	3	16	0-02
29.	,,	25 बी बी	श्री रघुवीरसिंह	10	16	0-05
30.	,,	9 बी बी	श्री प्रभुदयाल लकुकड़	5	0	0-02
31.	,,	23 बी बी	श्री रामदास	3	14	0-02
32.	बी बी डिस्टी	24 बी बी	श्री कस्तुरी लाल	6	7	0-02

33.	,,	5 डी डी	श्री रामरुख	8	14	0-03
34.	करनीजी डिस्टी	26 जी बी	श्रीमती सूरज कुमारी	3	0	0-01
35.	,,	,,	श्री जसवन्तसिंह	3	0	0-01
36.	,,	,,	श्री फूलसिंह	3	0	0-01

शुद्धि-पत्र

[बृहस्पतिवार, दिनांक 30 मार्च (ब), 1972]

स्कम्भ संख्या		पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1		2	3	4
6		16	व्वस्या	व्यवस्था
25		13	गई	गया
28	अन्तिम से	11	लौढाया	लौटाया
29	,,	14	निदेश	निर्देश
30	,,	16	व्या या	व्याख्या
31	,,	5	पद पुर	पदमपुर
34	,,	17	के आबाद	की आबादी
39	,,	13	प्रश्नो उत्तर	प्रश्नोत्तर
43	,,	2	f तनी	कितनी
43	,,	1	संस्था	संस्थाओं
48	,,	5	को	के लिये
48	,,	4	खू ा	खून
49		10	कारनर	कारगर
51		11	ह	रह
51	अन्तिम से	3	ी तो कमला बेनीवाल	श्रीमती कमला बेनीवाल
62	,,	8	साधे	सीधे
62	,,	1	लो	लोगों
86	,,	11	श्री गुलाबसिंह शत्तावत	श्री गुलाबसिंह शक्तावत
93		6	होन	होने
95		13	प्रल्न	प्रश्न
96		6	होने वाले व्यय	होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय
98		7	व्यय जाने वाले	जाने वाले व्यय
113	अन्तिम से	1	उन	उन्हें
115	,,	10	पहले नहीं की	पहले की

1	2	3	4
119	11	सा-	द्वारा
120	1	डकैतियां है	डकैतियांहुई हैं
120	8	इपोलसिंह	इपोल शंख
120	अन्तिम से 3, 4 व 7	फाइनेर्नसिंह	फाइनेर्नसिंग
123	20	आशुक्त	आयुक्त
123	22	क्वालिफिकेशन	दलील
124	4	करके जांच करवायेंगे	करके करवायेंगे
146	10	तई	गई
168	12	प्रदि	प्रति
164	अन्तिम से 8	के	ने
175	,, 17	कक्नेशन	कनेक्शन
180	,, 9	राजा	राजी
186	15	कब	तब
195	शीर्षक	वनियोग	विनियोग
209	6	आप जो	आपसे जो
218	2	ज री	जारी
225	2	(अतारांकि	(अतारांकित